

## शासकीय महाविद्यालयों में जनभागीदारी का प्रारंभ एवं विकास

मध्यप्रदेश में राज्य शासन ने ३० सितम्बर १९९६ को असाधारण राजपत्र में प्रकाशित कर जनभागीदारी समितियों का प्रारंभ इस प्रकार किया।

### मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

---

क्रमांक ४७। भोपाल, सोमवार, दिनांक ३० सितम्बर १९९६ - आश्विन ८, शक १९१८

---

**उच्च शिक्षा विभाग**  
**मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल**  
**भोपाल, दिनांक ३० सितम्बर १९९६**

क्र. एफ-७३-६-९६-सी-३-३६-शासकीय महाविद्यालयों के प्रबंधन में जन भागीदारी की दृष्टि से शासन द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिया गया है :-

- (क) शासकीय महाविद्यालयों में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उनके स्थानीय प्रबंधन को एक समिति को सौंपा जाएगा, यह समिति “मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३” के अन्तर्गत पंजीकृत की जाएगी।
- (ख) इस समिति को यह अधिकार होगा कि यह महाविद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा के विकास के लिए स्थानीय नागरिकों से स्वेच्छिक रूप से संसाधन एकत्रित करें, विभिन्न गतिविधियों पर फीस लगाएं या बढ़ाएं और कन्सलटेंसी आदि के धन एकत्रित करें, इस संसाधनों का उपयोग यह समिति महाविद्यालय की विभिन्न गतिविधियों के लिए कर सकेगी, समिति जन सहयोग के जरिए महाविद्यालय में अच्छा बौद्धिक पर्यावरण बनाने में सहायक होगी, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ के प्रावधानों के अन्तर्गत जो शासकीय महाविद्यालय स्वशासी घोषित कर दिए गए हैं, उनकी प्रबंध समिति को अकादमिक मामलों में भी स्वायतता होगी, अर्थात् ऐसी समितियां स्थानीय स्तर पर प्रवेश नियम बनायेंगी, पाठ्यक्रमों का निर्धारण करेगी, अध्ययन-अध्यापन, परीक्षा संचालन एवं मूल्यांकन की नई पद्धतियों का विकास करेंगी।
- (ग) समिति के कार्य क्लापों का प्रबंधन सामान्य परिषद् के निर्देश एवं नियंत्रण में किया जायेगा, यह समिति की सर्वोच्च सभा होगी, इस सभा का अध्यक्ष राज्य शासन द्वारा नियुक्त किया जायेगा, राज्य शासन संबंधित नगर निकाय, जनपद एवं जिला पंचायत के सदस्य, विधायक अथवा सांसद में से किसी को अध्यक्ष नियुक्त करेगा, सामान्य परिषद् का उपाध्यक्ष क्लेक्टर अथवा उनका प्रतिनिधि होगा, सामान्य परिषद् में विधायक, सांसद अथवा उनके नामजद प्रतिनिधि सदस्य होंगे।

इन परिषद् में मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा के उत्पाद का उपयोग करने वाले स्थानीय संगठन, उद्योग, अभिभाषक, पूर्व विद्यार्थियों, स्थानीय संस्थाओं, दान-दाताओं, कृषकों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं पोषक शालाओं आदि के प्रतिनिधि सदस्य होंगे, सामान्य परिषद् में अभिभावकों एवं पूर्व छात्रों के दो-दो प्रतिनिधि होंगे।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग में से प्रत्येक उस वर्ग का एक अभिभावक, जिसके कोई सदस्य अन्य

त्रेणियों में न आये हों, परिषद् का सदस्य नामांकित किया जायेगा।

परिषद् में एक महिला अभिभावक को सदस्य नामांकित किया जायेगा यदि अन्य किसी त्रेणी में महिला न आई हो, दानदाताओं के प्रतिनिधि का नामांकन निम्नलिखित मापदण्ड के आधार पर दानदाताओं में से किया जाएगा :

1. दस हजार से कम आबादी वाले क्षेत्रों द्वारा दस हजार रुपये से अधिक दान देने वालों में से,
2. दस हजार से पचास हजार तक की आबादी वाले स्थानों में रुपये पच्चीस हजार से अधिक दान देने वालों में से।
3. पचास हजार से एक लाख तक की आबादी वाले क्षेत्रों में, रुपये पचास हजार से अधिक दान देने वालों में से।
4. एक लाख से अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में एक लाख रुपये से अधिक दान देने वालों में से, सामान्य परिषद् में नामजद किए जाने वाले प्रतिनिधि, अध्यक्ष द्वारा नामजद किए जाएं, महाविद्यालय के प्राचार्य इस समिति के सदस्य सचिव होंगे।

**साधारणतः** सामान्य परिषद् की बैठक वर्ष में दो बार होगी, आवश्यकतानुसार परिषद् की विशेष बैठक भी बुलाई जा सकेगी, परिषद् नीति-निर्धारण के साथ ही महाविद्यालय की गतिविधियों की सामान्य रूप से देखरेख करेंगी, परिषद् के कार्य-कलापों की प्रक्रिया विस्तृत रूप से निर्धारित कर दी गई है ताकि परिषद् के संचालन में किसी प्रकार की कठिनाई न हो,

- (घ) सामान्य परिषद् के अतिरिक्त समिति के कार्य-कलापों के समुचित प्रबंधन के लिए प्रबंध समिति एवं वित्त समिति भी होगी,
- (ङ) प्रबंध समिति सभी प्रबंध संबंधी मामलों के लिए जिम्मेदार होगी तथा यह सामान्य परिषद् के कार्य सम्पादन में भी सहायक होगी, सामान्य परिषद् का अध्यक्ष ही प्रबंध समिति का भी अध्यक्ष होगा, संभागीय मुख्यालय में स्थित महाविद्यालयों में जिलाध्यक्ष एवं अन्य महाविद्यालयों में उच्च शिक्षा आयुक्त द्वारा मनोनीत शिक्षा शास्त्री उपाध्यक्ष होंगे, महाविद्यालय के प्राचार्य सदस्य सचिव होंगे, निर्माण विभाग के स्थानीय कार्यालय के प्रमुख, महाविद्यालय के दो शिक्षक, विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिनिधि, दानदाताओं, एक अशासकीय संगठन तथा स्थानीय औद्योगिक संगठन के प्रतिनिधि इसके सदस्य होंगे, प्रबंध समिति की बैठक आवश्यकतानुसार होगी किन्तु तीन माह में कम से कम एक बार अवश्य होगी,
- (च) वित्त समिति के अध्यक्ष प्राचार्य होंगे, बैंकिंग/वित्तीय कार्य में अनुभवी व्यक्ति, महाविद्यालय के दो वरिष्ठ शिक्षक, संबंधित कोषालय अधिकारी या इनके द्वारा मनोनीत उप कोषालय अधिकारी इस समिति के सदस्य होंगे, वित्त समिति महाविद्यालय में वित्तीय अनुशासन बनाये रखने के कार्य में सहायता करेंगी,
- (छ) समिति द्वारा स्थानीय रूप से एकत्रित किए गए वित्तीय संसाधनों को किसी अनुसूचित बैंक में समिति की निधि के रूप में रखा जायेगा, इस निधि का व्यय समिति द्वारा स्वयं निर्धारित नियमों प्रक्रिया के अनुसार महाविद्यालय की अधोसंरचना के विकास के लिए किया जायेगा, संस्था की निधि का लेखा परीक्षण सामान्य परिषद् के द्वारा नियुक्त चार्टड अंकेक्षक द्वारा प्रतिवर्ष किया जायेगा, महाविद्यालय को राज्य शासन से प्राप्त सभी राशियों की व्यय व्यवस्था एवं लेखा संधारण तथा अंकेक्षण शासकीय नियमानुसार होगी,

समिति की निधि का उपयोग महाविद्यालय के विकास के लिए किया जायेगा, सोशल गेदरिंग, निर्वाचन, स्वागत, विज्ञापन जैसी गैर अकादमिक गतिविधियों के लिए नहीं किया जाएगा, इसके लिए नियम बनाये जायेंगे।

समिति द्वारा निर्धारित शिक्षा शुल्क में वृद्धि की जा सकेगी, तथा समिति नये शुल्क भी लगा सकेगी और आय वृद्धि के अन्य उपाय भी कर सकेगी, ये सभी अतिरिक्त आय समिति की निधि में सम्मिलित की जायेंगी।

- (ज) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अनुसार जो शासकीय महाविद्यालय स्वशासी घोषित कर दिए गए हैं उसका अकादमिक परिषद् और अध्ययन मण्डल भी होंगे, अकादमिक परिषद् एवं अध्ययन मण्डल महाविद्यालय अकादमिक कार्य-कलापों में स्वायत्तता एवं समुचित प्रबंध को सुनिश्चित करेंगे, इनकी सदस्यता शिक्षा शास्त्रियों एवं विशेषज्ञों तक ही सीमित रहेगी।
- (झ) समिति अपने कार्य के लिए कोई स्टाफ नियुक्त नहीं करेगी, महाविद्यालय के किसी एक कर्मचारी को ही समिति की राशि में से

मानदेय देकर अपना कार्य संचालन करेगी,

- (त) महाविद्यालय के प्राचार्य एवं महाविद्यालय के सभी शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्तियाँ राज्य शासन द्वारा शासकीय महाविद्यालयों के विद्यमान स्टाफ में से वर्तमान नियमों के अनुसार की जावेगी, भविष्य में ये अधिकार उन समितियों को दिए जायेंगे, जिनकी उपलब्धियाँ उल्लेखनीय होगी, परन्तु शासन की अनुमति के बिना किसी नये पद का निर्माण नहीं किया जा सकेगा।
- (थ) मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अतिरिक्त यदि शासन चाहेगा तो समिति की जांच करा सकेगा व ऐसा निर्देश दे सकेगा जैसा शासन उपयुक्त समझता है।
- (द) वह व्यवस्था प्रदेश के समस्त शासकीय महाविद्यालयों में लागू की जायेगी,

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

पी.डी. अग्रवाल, उपसचिव,

## समिति का ज्ञापन

1. समिति का नाम ..... होगा।
2. समिति का पंजीयित कार्यालय ..... में होगा।
3. समिति की स्थापना का उद्देश्य .....

महाविद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा के विकास के लिए स्थानीय नागरिकों से स्वैच्छिक रूप से संसाधन एकत्रित करना, विभिन्न गतिविधियों एवं विषयों के अध्ययन के लिए शुल्क लगाना/बढ़ाना और कन्सलटेन्सी आदि से धन एकत्रित करना। इस प्रकार जुटाये गए संसाधनों का उपयोग का सहयोग के जरिए महाविद्यालय में अच्छा बौद्धिक वातावरण बनाने के लिए करना।

स्वशासी महाविद्यालयों के मामले में समिति के निम्न अतिरिक्त उद्देश्य भी होंगे-

- (क) अध्ययनक्रमों और पाठ्यक्रमों का निर्धारण
- (ख) शासन के आरक्षण नियमों के अध्याधीन प्रवेश नियमों की रचना
- (ग) परीक्षा संचालन एवं मूल्यांकन की पद्धतियों का विकास

4. समिति के प्रबंध विनियमों द्वारा समिति के कार्यों का प्रबंध शासक परिषद्, संचालकों, सभा या शासी-निकाय को सौंपा गया है। जिनके नाम, पते तथा धन्धों का उल्लेख निम्नांकित हैं:-

क्र.	नाम पिता/पति का नाम	पद	पूर्ण पता	धन्धा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

- 1.
  2. समिति के सामान्य परिषद् अथवा प्रबंध समिति में से कोई भी सात पदाधिकारियों के नाम व अन्य विवरण अंकित करें।
  - 3.
  - 4.
  - 5.
  - 6.
  - 7.
5. समिति के इस ज्ञापन-पत्र के साथ समिति के विनियमों की एक प्रमाणित प्रति जैसा कि म.प्र. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (1973 का 44) की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित है, संलग्न है।

हम, अनेक व्यक्ति, जिनके नाम और पते नीचे लिखे हैं, समिति का निर्माण उपरोक्त ज्ञापन-पत्र के अनुसार करने के इच्छुक हैं तथा ज्ञापन पत्र पर निम्नांकित साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए हैं।

क्र.	निर्माणकर्ताओं के नाम, पूर्ण पते पिता/पति का नाम सहित	हस्ताक्षर
(१)	(२)	(३)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		

जो अनावश्यक हो उसे काटिये।

### साक्षी

हस्ताक्षर ..... .

नाम .....

पूर्ण पता .....

## नियमावली

- (१) संस्था का नाम ..... होगा।
- (२) संस्था का कार्यालय ..... म.नं ..... मोहल्ले का नाम .....  
तहसील ..... जिला ..... मध्यप्रदेश।
- (३) संस्था का कार्यक्षेत्र ..... मध्यप्रदेश होगा।
- (४) संस्था का उद्देश्य .....

(जो ज्ञापन पत्र में अंकित है वहीं लिखें)

.....  
.....

- (१) इन विनियमों, में, यदि विषय या प्रसंग के अनुसार अन्यथा अभीष्ट न होतो  
 (क) महाविद्यालय से तात्पर्य (नाम) ..... शासकीय स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालय  
 (ख) समिति से तात्पर्य है, (नाम) ..... महाविद्यालय स्थानीय प्रबंधन समिति  
 (ग) राज्य शासन से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश शासन,  
 (घ) विश्वविद्यालय से तात्पर्य है, (नाम) ..... विश्वविद्यालय  
 (ङ) कुलपति से तात्पर्य है, (नाम) ..... विश्वविद्यालय का कुलपति,  
 (च) आयुक्त से तात्पर्य है, आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र., भोपाल,  
 (छ) प्राचार्य से तात्पर्य है, संबंधित महाविद्यालय का प्राचार्य,
- (२) समिति की संरचना निम्नानुसार होगी :-  
 (१) सामान्य परिषद  
 (२) प्रबंध समिति  
 (३) वित्त समिति

समिति द्वारा समस्त नीति निर्धारण एवं कार्य संचालन के कार्य उक्त संस्थाओं के माध्यम से किया जाएगा।

## सामान्य परिषद

- (1) समिति के कार्यकलापों का प्रबंधन सामान्य परिषद के निर्देश एवं नियंत्रण में किया जाएगा। वह समिति की सर्वोच्च सभा होगी।
- (2) सामान्य परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे-

क्र.	नाम	पता	पद
1.	संबंधित जिला पंचायत, जनपद पंचायत या नगर निकास के सदस्य, विधायक या सांसद में से राज्य शासन द्वारा नियुक्त व्यक्ति		अध्यक्ष
2.	कलेक्टर या उसका प्रतिनिधि		उपाध्यक्ष
3.	जहाँ महाविद्यालय स्थित है उस क्षेत्र का संसद सदस्य या उसका नामांकित प्रतिनिधि		सदस्य
4.	जहाँ महाविद्यालय स्थित है उस क्षेत्र का विधायक या उसका नामांकित प्रतिनिधि		सदस्य
5.	प्रदेश में उच्च शिक्षा के उत्पाद का उपयोग करने वाले स्थानीय संगठन, उद्योग, स्थानीय संस्थाओं, दानदाताओं, कृषकों एवं पोषक शालाओं के एक-एक प्रतिनिधि		
6.	अभिभावकों एवं पूर्व छात्रों के दो-दो प्रतिनिधि		सदस्य
7.	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग में से प्रत्येक उस वर्ग का एक अभिभावक, जिसके कोई सदस्य अन्य श्रेणियों में न आये हों		सदस्य
8.	एक महिला अभिभावक, यदि अन्य किसी श्रेणी में महिला न आई हो		सदस्य
9.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा मनोनीत सदस्य		सदस्य
10.	महाविद्यालय का प्राचार्य		सदस्य सचिव

टीप- क्रमांक 5, 6, 7 एवं 8 के अन्तर्गत नामजद किए जाने वाले प्रतिनिधि अध्यक्ष द्वारा नामजद किए जायेंगे।

- (3) समिति की सामान्य परिषद् निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगी, अर्थात्-

- (क) महाविद्यालय की सामान्य नीतियों और कार्यक्रमों का निर्धारण
- (ख) पूर्व में निर्धारित नीतियों के क्रियान्वयन का समय-समय पर पुनरीक्षण
- (ग) विभिन्न पाठ्यक्रमों तथा कार्यक्रमों के लिए छात्रों देय शुल्क दरों की संरचना तथा अन्य भुगतानों का निर्धारण
- (घ) राज्य शासन द्वारा प्रदत्त निधियों के अलावा निजी संसाधनों से अनुपूरक निधियों के अर्जन की विधियाँ खोजना

- (ङ) समिति के वार्षिक वित्तीय अनुमान पर विचार करना, उन्हें अंगीकृत करना
- (च) समिति के वार्षिक प्रतिवेदन, अंकेक्षित वार्षिक लेखा एवं स्थिति विवरण पर विचार करना और उन्हें अंगीकृत करना
- (छ) प्रबंध समिति की अनुशंसा पर छात्रवृत्तियाँ, अध्ययनवृत्तियाँ, पदकों, पारितोषकों तथा प्रमाण-पत्रों को संस्थित करना
- (ज) आगामी वर्ष के लिए संस्था के लेखा परीक्षण हेतु अंकेक्षकों की नियुक्ति एवं उनके पासिश्रमिक का निर्धारण
- (झ) यदि आवश्यक हो तो समिति के विनियमों में संशोधनों का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजना
- (ञ) महाविद्यालय की किसी चल या अचल संपत्ति के हस्तांतरण अथवा हस्तांतरण स्वीकृति हेतु राज्य शासन को अनुशंसा प्रेषित करना

**(४) सामान्य परिषद् के कार्य संचालन की प्रक्रिया :-**

- (क) साधारणतः सामान्य परिषद की बैठक साल में दो बार होगी। आवश्यकतानुसार परिषद् की विशेष बैठक भी बुलाई जा सकेगी।
- (ख) सामान्य परिषद् की बैठक की सूचना में बैठक की तिथि, समय तथा स्थान स्पष्ट अंकित होंगे। बैठक की सूचना प्रत्येक सदस्य को पंजीयत डाक से कम से कम इक्कीस दिन पहले प्रेषित हो जानी चाहिए, किन्तु किसी विशेष बैठक के संदर्भ में अध्यक्ष इस समयावधि को घटा भी सकेंगे।
- (ग) परिषद् की किसी भी सभा के लिए अध्यक्ष सहित पांच सदस्यों की गणपूर्ति (कोरम) आवश्यक होगी, परन्तु किसी भी स्थगित बैठक के लिए गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी।
- (घ) परिषद् की प्रत्येक बैठक अध्यक्ष की अध्यक्षता में सम्पन्न होगी और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष यह दायित्व निभायेंगे। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यगण अपने बीच में से किसी एक का चुनाव केवल उस बैठक के लिए अध्यक्ष के रूप में करेंगे।
- (ङ) अध्यक्ष सहित परिषद् के प्रत्येक सदस्य का एक-एक मत होगा। यदि किसी प्रकरण में दोनों पक्षों को बराबर मत प्राप्त होते हैं, तो उक्त स्थिति में अध्यक्ष का एक अतिरिक्त निर्णायक मत होगा।
- (च) प्रत्येक बैठक के कार्य विवरण की प्रतिलिपि यथाशीघ्र आयुक्त, शिक्षा की ओर अग्रेषित की जाएगी।

**(५) सदस्यों की पंजी :-**

- (क) समिति की सामान्य परिषद् द्वारा महाविद्यालय में अपने सदस्यों की एक पंजी रखी जाएगी और समिति के अध्यक्ष सहित प्रत्येक सदस्य अपने हस्ताक्षर करेगा। पंजी में प्रत्येक सदस्य का व्यवसाय एवं पता अंकित रहेगा किसी भी व्यक्ति को पंजी में पूर्वोक्त प्रकार से हस्ताक्षर किए बिना अपनी सदस्यता के अधिकारों एवं विशेषाधिकारों के उपयोग हेतु योग्य नहीं माना जायेगा।
- (ख) सामान्य परिषद् के किसी सदस्य के पते में यदि कोई परिवर्तन हो तो उसे समिति के सचिव को सूचित करना होगा, यदि वह अपना नया पता सूचित नहीं कर पाता तो उसका पूर्व पता ही उस पंजी में मान्य होगा।
- (ग) सामान्य परिषद के मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष होगा तथा प्रत्येक मनोनीत सदस्य को पुर्णमोनयन की पात्रता होगी।

**प्रबंध समिति**

1. सामान्य परिषद के अतिरिक्त समिति के कार्यकलापों का समुचित प्रबंधन, प्रबंध समिति द्वारा किया जाएगा। प्रबंध समिति का गठन निम्नानुसार होगा :-
- (१) सामान्य परिषद् का अध्यक्ष ही प्रबंध समिति का भी अध्यक्ष होगा

- (२) संभागीय मुख्यालय में स्थित महाविद्यालयों में जिले का कलेक्टर एवं अन्य महाविद्यालयों में आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा मनोनीत शिक्षाविद् उपाध्यक्ष होंगे।
- (३) लोक निर्माण विभाग के स्थानीय कार्यालय का प्रमुख, महाविद्यालय के दो शिक्षक, जो मनोनीत किए जायेंगे विश्वविद्यालय द्वारा मनोनीत सदस्य, जो प्राध्यापक स्तर से कम का न हो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा मनोनीत एक सदस्य, सामान्य परिषद् का अशासकीय संगठन सदस्य, दानदाताओं एवं स्थानीय औद्योगिक संगठन का प्रतिनिधि इस समिति के सदस्य होंगे।
- (४) महाविद्यालय के प्राचार्य समिति के सदस्य सचिव होंगे।  
मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष की अवधि के लिए होगा तथा इन व्यक्तियों को एक और कार्यकाल में पुनः मनोनयन की पात्रता होगी।

### **प्रबंध समिति के कार्य**

2. प्रबंध समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे, यथा -

- (क) संस्था के उपनियमों के अनुसार शैक्षणिक तथा अशैक्षणिक कर्मचारी वृन्द में अनुशासन लागू करना और बनाए रखना, किन्तु संस्था में कार्यरत शासकीय सेवकों के लिए राज्य शासन के नियम ही लागू रहेंगे।
- (ख) महाविद्यालय के वित्तीय प्रबंध का नियंत्रण एवं निरीक्षण करना तथा व्यय के विनियमन हेतु उप नियमों का अनुमोदन करना।
- (ग) प्राचार्य को ऐसे वित्तीय अधिकार प्रदान करना, जो समिति संस्था को निधियों के संदर्भ में उपयुक्त समझे।
- (घ) स्वशासी महाविद्यालयों के मामले में अकादमिक परिषद् तथा वित्त समिति एवं अन्य में वित्त समिति की अनुशंसा प्राप्त करने के बाद, महाविद्यालय के छात्रों द्वारा देय शुल्क एवं अन्य भुगतानों की सामान्य परिषद को अनुशंसा करना।
- (ङ) संस्थान की छात्रवृत्तियों, अध्येत्तावृत्तियों, पदकों, पारितोषकों एवं प्रमाण-पत्रों को संस्थित करने की सामान्य परिषद को अनुशंसा करना।
- (च) दान तथा विन्यास को स्वीकार करना
- (छ) सामान्य परिषद के कार्य संपादन में सहायक होना, एवं
- (ज) संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अन्य आवश्यक कार्यों का संपादन

प्रबंध समिति की बैठक आवश्यकतानुसार होगी, किन्तु तीन माह में कम से कम एक बार अवश्य होगी।

### **वित्त समिति**

1. वित्त समिति की संरचना निम्नानुसार होगी :-

- |  |         |
|--|---------|
| (१) प्राचार्य  | अध्यक्ष |
| (२) बैंकिंग/वित्तीय कार्य में अनुभवी एक व्यक्ति जिसे प्रबंध समिति द्वारा दो वर्ष के लिए मनोनीत किया जाएगा।                           | सदस्य   |
| (३) पारी क्रम से दो वर्ष के लिए प्राचार्य द्वारा मनोनीत महाविद्यालय के दो वरिष्ठ शिक्षक  | सदस्य   |
| (४) महाविद्यालय, जिस जिले में स्थित है उसका कोषालय अधिकारी या उसके द्वारा मनोनीत व्यक्ति जो उप कोषालय अधिकारी के पद से नीचे का न हो, | सदस्य   |

## 2. वित्त समिति के कार्य

समिति में सभी वित्तीय प्रबंधन से संबंधित प्रकरणों में वित्त समिति सहायक होगी, विशेषतः निम्नलिखित कार्यों में, यथा

- (1) प्रबंध समिति के अनुमोदनार्थ समिति की निधि के व्यय हेतु उपनियमों का प्रारूप बनाना
- (2) वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन (वार्षिक बजट) बनाना
- (3) यह सुनिश्चित करना कि वार्षिक बजट (वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन) आगामी वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से पूर्व सक्षम अधिकारी/निकाय द्वारा विरचित व अनुमोदित है।
- (4) वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय पर नियन्त्रण रखना एवं यदि आवश्यक हो तो बजट में संशोधन अनुशंसित करना।
- (5) लेखा बहिं खातों और तत्संबंधी खातों का अपेक्षित और समुचित रख-रखाव कराना।
- (6) वार्षिक लेखा-जोखा तैयार कराने की प्रक्रिया सुनिश्चित करना एवं उसे अंकेक्षकों को अग्रेषित करना।
- (7) अंकेक्षित प्रतिवेदनों पर विचार कर टिप्पणियाँ अंकित एवं प्रबंध समिति से अनुमोदित कराना।
- (8) सामान्य परिषद् के विचारार्थ अंकेक्षकों का पैनल प्रस्तावित करना, एवं
- (9) ऐसे सभी प्रस्तावों का परीक्षण व अनुशंसन जो पद रचना, पूँजी एवं अन्य व्यय की स्वीकृति से संबंधित हों

### (3) निधि

निम्नलिखित संस्था की निधि के भाग होंगे -

- (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त समस्त राशियाँ
- (ख) समस्त शुल्क एवं समिति द्वारा वसूल की जाने वाली अन्य राशियाँ
- (ग) व्यक्तियों अथवा संस्थानों से अनुदान, उपहार, दान, सहायता राशि एवं वसीयत के रूप में प्राप्त सभी राशियाँ एवं अन्य सभी प्राप्तियाँ। संस्था की निधि भारतीय रिजर्व बैंक के एक्ट 1934 (क्र. 2 सन् 1934) में परिभाषित किसी अनुसूचित बैंक में रखी जाएगी तथा इसका व्यय सामान्य परिषद् द्वारा अनुमोदित बजट तथा प्रबंध समिति द्वारा इस हेतु वित्त समिति की अनुशंसा पर बनाए गए उपनियमों में निर्धारण प्रक्रिया के अनुसार महाविद्यालय के अधोसंरचना विकास के लिए किया जाएगा।

राज्य शासन से महाविद्यालय को प्राप्त सभी प्राप्तियाँ उनमें से व्यय, लेखा संधारण तथा अंकेक्षण शासकीय नियमों से शासित होगा। संस्था की निधि का लेखा परीक्षण सामान्य परिषद् के द्वारा नियुक्त चार्टर्ड अंकेक्षकों द्वारा प्रतिवर्ष किया जाएगा। महाविद्यालय को राज्य शासन से प्राप्त सभी राशियों की व्यय व्यवस्था एवं लेखा संधारण तथा अंकेक्षण शासकीय नियमानुसार होगी।

समिति की निधि का उपयोग महाविद्यालय के विकास के लिए किया जायेगा। सोशल गेदरिंग, निर्वाचन, स्वागत जैसी गतिविधियों के लिए नहीं किया जायेगा। इसके लिए नियम बनाये जायेंगे।

समिति द्वारा निर्धारित शिक्षा शुल्क में वृद्धि की जा सकेगी तथा समिति नये शुल्क भी लगा सकेगी और आय वृद्धि के अन्य उपाय भी कर सकेगी। ये सभी अतिरिक्त की निधि में सम्मिलित की जायेगी।

कार्यालय अयुक्त उच्च शिक्षा म.प्र. शासन  
राज्यपूर्ण मन्त्री, गोपाल

संतानपुर (७७)

मामला 1488 365/आउशि/गो/08  
पाठ्य क्रमांक ३०३/०८  
प्राप्ति,

गोपाल, दिनांक ३२-७-०९

### शासकीय स्नातकोत्तर प्राधिक विभान महाविद्यालय,

उज्जैन ६५०५०४

विषय: स्ववित्तीय योजनांतर्गत नवीन पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रदान करने बाबत।

संदर्भ:-आपका पत्र क्रमांक ८३३/०८ दिनांक ३०.४.२००८


दिश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राप्तवान 26(1)बाँध ये अंतर्गत आद्यत उच्च शिक्षा द्वारा आपके गहाविद्यालय में निम्न लिखित शासी के अंतर्गत नीचे दर्शित विषयों की कक्षाएँ अस्थायी रूप से सात्र 2008-09 से प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

बी. एस. टी. बायोइंफार्मेटिक्स प्रथम बर्ष ६०८ के विषय के स्पष्ट में।

~~अंतर्गत  
उच्च शिक्षा  
द्वारा  
समन्वय  
क्रमांक  
३०३/०८~~

नोट:-

- उक्त पाठ्यक्रम हेतु किसी को शासकीय सेवा में नियुक्त नहीं किया जायेगा।
- कोई शासकीय अधिकारी/कर्मचारी स्ववित्तीय पाठ्यक्रम के तहत मानदेय प्राप्त नहीं करेगा।
- आधारपूर्ण व्यवस्था अतिथि विद्यार्थी को आमंत्रित कर की जावे।
- विभिन्न मर्दी में किए जाने वाले व्यय में पूर्ण मितव्यता बरती जावे।
- कोई नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जावे।
- लिपिक, भूत्य आदि पृथक से न रखे जाये।
- शासन कोई अनुदान/वजाट नहीं देगा।
- प्रवेश देने में प्रवेश नियमों का कड़ाई से पालन अनिवार्य रूप से किया जाये।
- कोई व्यवित्त नियुक्त नहीं होगा।



- सत्र 2008-09 से प्रवेश प्रारम्भ करने के लिये शैक्षणिक स्टाफ को पर्याप्त व्यवस्था हो।
- प्रयोगशाला की संपूर्ण सुविधायें प्रदेश प्रारम्भ करने के पूर्व सुनिश्चित की जाये।
- न.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ./३३१/१५६९/२००७/२/३८ दिनांक १८.२.०८ के अनुसार कार्यालयी की जाने।
- शासन द्वारा साधारण-साधारण पर दिया गये निर्देशों का पालन केया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- गह प्रमाण-पत्र किसी महाविद्यालय को तब तक विषय प्रारम्भ करने/नई कक्षाएँ प्रारम्भ करने के लिये अधिकृत नहीं करेगा जब तक अधिनियम 1973 की धारा 24(X) के अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता प्राप्त कर दी जाती।

(अयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

क्रमांक 365 /आउशि/गो/08

प्रतिलिपि-

- कुलसंचिद दिक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन ६०५०१ की ओर सूचनार्थ एवं धारा 24(X) के अंतर्गत शीघ्र प्रतिवेदन भेजने हेतु।
- अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा क्षेत्रीय कार्यालय, इंदौर उज्जैन सभाग, इंदौर की ओर सूचनार्थ प्रेपित।

प्राचार्य

अपर संचालक (योजना)

Principal  
Medhav Vigyan Ma.  
Govt. Medhav Vigyan Ma.  
U.J.J.A.I.I.

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा म.प्र. शासन  
सतपुड़ा भवन भोपाल

क्रमांक 2002/1101/आउशि/यो./05  
प्रति,

✓प्राचार्य,

शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय  
उज्जैन (म.प्र.)



भोपाल, दिनांक— 29/12/06—

विषय— स्ववित्तीय योजनांतर्गत नवीन पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र।

सन्दर्भ— आपके पत्र क्रमांक 2762/2005 दिनांक 27.12.04 एवं 2038 दिनांक निल

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधान 26 (1) पांच के अंतर्गत आयुक्त उच्च शिक्षा व्यारा आपके महाविद्यालय में निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत नीचे दर्शित विषयों की कक्षायें अस्थायी रूप से सत्र 2006-07 से प्रारंभ करने की कार्यात्मक अनुमति प्रदान की जाती है :—

(1) स्नातक स्तर पर जैब प्रोद्योगिकी — प्रथम वर्ष

नोट—

1. उक्त पाठ्यक्रम हेतु किसी को शासकीय सेवा में नियुक्त नहीं किया जायेगा।
2. कोई शासकीय अधिकारी/कर्मचारी स्ववित्तीय पाठ्यक्रम के तहत मानदेय प्राप्त नहीं करेगा।
3. अध्यापन व्यवस्था अतिथि विद्वानों को आमंत्रित कर की जावे।
4. विभिन्न मदों में किए जाने वाले व्यय में पूर्ण मितव्यिता बरती जावे।
5. कोई नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जावे।
6. लिपिक, भूत्य आदि को पृथक से न रखे जाये।
7. शासन कोई अनुदान/बजट नहीं देगा।
8. प्रवेश देने में प्रवेश नियमों का कड़ाई से पालन अनिवार्य रूप से किया जाये।

1. सत्र 2006-07 से प्रवेश प्रारंभ करने के लिये शैक्षणिक स्टाफ की पर्याप्त व्यवस्था हो।
2. प्रयोगशाला की संपूर्ण सुविधायें प्रवेश प्रारंभ करने के पूर्व की जाय।
3. म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ 19/1098/38-2/02 दिनांक 4.5.02 के अनुसार कार्यवाही की जावे।
4. शासन व्यारा समय समय पर दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
5. यह प्रमाण पत्र किसी महाविद्यालय को तब तक विषय प्रारंभ करने/नई कक्षायें प्रारंभ करने के लिये अधिकृत नहीं करेगा जब तक अधिनियम 1973 की धारा 24(x) के व्यारा सम्बद्धता प्रदान नहीं कर दी जाती।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा के आदेशानुसार)

2006  
(डॉ. एच.के. तिवारी)

अतिरिक्त संचालक  
उच्च शिक्षा म.प्र.

पृष्ठ. /1101/आउशि/यो/05  
प्रतिलिपि—

भोपाल, दिनांक—

1. कुलसचिव विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन म0प्र0 की ओर सूचनार्थ एवं धारा 24(x) के अंतर्गत शीघ्र प्रतिवेदन भेजने हेतु।
2. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा क्षेत्रीय कार्यालय, इंदौर म.प्र. की ओर सूचनार्थ।

2006  
(डॉ. राकेश श्रीवास्तव)  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा म.प्र.

Noted  
2006  
5.1.06

"कार्यालय आयुक्त उच्चशिक्षा, मध्यप्रदेश शासन"  
अज्ञातरी: अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से संबंधित ज्ञान।  
भौपाल भाग रामगढ़ा हिला, भौपाल।

1312/13/13/संबंध/99-2000

भौपाल दि०

गुरुपति  
देवी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय,  
दिल्ली।

मध्यो।

आयुक्त उच्चशिक्षा द्वारा नामांकित दो विषय विशेषज्ञों बाबत।

मध्यप्रदेश सरकार, उच्चशिक्षा मंत्रालय के पत्र क्रमांक/एफ-73/103/बी/96/सी-३/  
३४३ दिनांक 17.3.98।

उक्त संदर्भ में नये महाविद्यालयों/ नये विषयों की संबद्धता संबंधी गुरुपति द्वारा, गणराज्य समिति की तरंगना के लिये आयुक्त द्वारा नामांकित दो विषय विशेषज्ञों के नाम एवं पते निम्नलिखित हैं।

नाम	संकाय	पता
श्री पौडें सिंह	बी.सस.सी. में कम्प्यूटर एप्लीकेशन।	विश्व कर्तव्यस्थ श्री रारी, उच्चशिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भद्रन, भौपाल-५८४००१
श्री सस.सी. डग्गुपाल	बी.सस.सी. में माइक्रोबायो-तांजी-स्क विषय	प्रोफेसर जौफ माइक्रोबायो-तांजी, डॉन्हरी सिंह गौर विठ्ठिला, तामर।

उक्त प्रियों को उच्चशिक्षा महाविद्यालय, उज्ज्वल।

से बधाएं प्रारंभ करने देते निरीक्षण समिति की रिपोर्ट संलग्न प्रोफार्म में भरकर कार्यालय के ना कठ्ठ करें।

निम्न:-

१. प्रोफार्म।

२.

मुष्ट्रीकृ० 1312/13/13/संबंध/99-2000/३०८०

उत्तितिपि:-

१- कैव्रीय अतिरिक्त संचालक समिति के संग्रेजन।

२- इंटर्नल अतिरिक्त संचालक समिति के संग्रेजन।

विश्वविद्यालय

अध्यक्ष/प्राचारी माध्यमिकालय संचालकी भाषापि. उच्चप्र० ५५६०१०

ओ.सस.डी. उच्चशिक्षा विभाग, मंत्रालय मण्डलासन, भौपाल।

अतिरिक्त संचालक।  
भौपाल, दि० १०.६.१९

उच्चशिक्षा इंटर्नल अतिरिक्त संचालक।

SNS Chetan  
10/6/99

अतिरिक्त संचालक।

15/28/2018

कलेज अमृता सरो नियन्त्रण  
सत्तुरा भवन, भोपाल

मुमाल 11-03 2-7-07

बंदर/1000/635/अंतिम/पा/07

भी.

प्रधारे,  
सातार्ही, माधव विद्यालय  
उम्मेन (म.)

दिवान स्वित्तीय पोल्यूलता पाठ्यक्रम दर्शन किए जाने जाएं।  
संदर्भ- आयका पत्र नं. 1463/2007 दिनांक 22-6-07

दिवान स्वित्तीय अंतिम 1973 के पाठ्यक्रम के अनुसार 2010 के अनुसार उन्हें बदला दिया गया है। इसके अनुसार उन्हें बदला जाती है -

1. बीएस-सी कालीस्टील क्रिमेस्टी प्रश्न द्वारा प्रतिरिक्षित किया जाए।

(1) नोट-

1. उक्त पाठ्यक्रम हुआ किसी दो शासकीय सरों में नियुक्त नहीं किया जाएगा।
  2. उड़ा सातार्ही अधिकारी/कर्मचारी रवित्तीय पाठ्यक्रम के तहत मानदेश प्राप्त नहीं करेगा।
  3. अध्यापन घरस्था अंतिम विद्युनी को अमरित कर की जाए।
  4. दिविन नदी ने विद्युत जाने जाते थे तो उन्हें नदी की जाने जाए।
  5. उड़ा नियुक्ति पर्याय जारी नहीं किया जाए।
  6. नियुक्ति भूत्य आदि पृष्ठक से न रख जाए।
  7. गारन कार्ड अनुसार/दण्ड नहीं दाग।
  8. दस्ता देने पर दस्ता विद्या का एडार्ड से पाठ्य अंकित्या रूप से किया जाए।
  9. कर्तु घर्जन नियुक्ति नहीं होगा।
  10. दिवान स्वित्तीय से सम्बद्धता प्राप्त किये दिना द्वारा न दिये जाए।
- सत्र 2007-08 न पठन प्रारम्भ करने के लिए शासकीय स्टार्फ का पर्याय घरस्था है।
- प्रयोगसात्ता की संपूर्ण सुविधाये प्रदेश प्रारम्भ करने के पूर्व सुनिश्चित यीं जाए।
- म.प्र. सातार्ही, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र नं. 146./19/1028/38-2/02 दिनांक 4-5-02 का अनुसार  
कार्यदारी की जाए।
- गारन द्वारा गारन गारन पर दिये गये निर्देश का पाठ्य विद्या जाना गुणित्वात् किया जाए।
- वह प्रभाग-पत्र किसी प्राविद्यालय का तरफ दिये प्रारम्भ करने/नई कार्यालय प्रारम्भ करने के लिये  
अधिकृत नहीं करना जरूर तक आयनियम 1973 की धारा 24(5)के अंतर्गत विद्यालय द्वारा गमनद्वारा  
प्रदान नहीं कर दी जाती।

(अनुसार, उच्च शिक्षा व्यारा अनुसौदित)

3-7-07  
(दृ. के.डी.साहन)  
अंतिम संचालक  
उच्च शिक्षा, मप्र

पृष्ठा क्रमांक/ 635/अंतिम/पा/07

मांगल, दिनांक

प्रकाशिति

1. कुलसात्तीय विद्या विद्यालय नक्सा का आर यूनिवर्सिटी ए.पी.यू. 24(5) के अनुसार द्वारा  
प्राप्तिकर्त्ता भवते हैं।
2. अंतिम संचालक, उच्च शिक्षा, इंदौर उच्चालय गमन, इंदौर म.प्र. की ओर यूनिवर्सिटी।

(दृ. के.डी.साहन)  
अंतिम संचालक  
उच्च शिक्षा, मप्र

Principal  
Govt. Model School, Bhind

आयुर्वेदिक अध्ययन उच्चशिक्षा, माध्यमिक शासन  
उच्चशिक्षा संस्थानों से संबंधित शाखा।  
भौपाल, राजस्थान राजस्थान हिल्स, भौपाल।

भौपाल दि०

31/12/13/13/12/2000

लिपति  
द्विंशी अधिकारी प्रिव्विधालय,  
इंदौर। १८०५।

राज्यकृत उच्चशिक्षा द्वारा नामांकित दो विषय विशेषज्ञों बाबत  
राज्यकृत अधिकारी, उच्चशिक्षा संस्थान, उच्चशिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक/एफ-73/103/बी/96/सी-३/  
३८, दिनांक 17-१-१९९८।

उक्त संदर्भ में नये महाविद्यालयों/ नये विषयों की संबंधित संबंधी कुलपति द्वारा,  
विह तमिति की संरक्षण के लिये आयुर्वेद द्वारा नामांकित दो विषय विशेषज्ञों के  
स्वं पते निम्नलिखित हैं:-

नाम	संकाय	पता
बी. एस. सी. मे कम्प्यूटर एप्लीकेशन। राज्यविद्यालय	बी. एस. सी. मे कम्प्यूटर एप्लीकेशन। राज्यविद्यालय	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्चशिक्षा संवालन संलय, सतपुड़ा भौपाल। म.प्र०।
बी. एस. सी. मे माइक्रोबायो- टॉक्षी-स्क विषय	बी. एस. सी. मे माइक्रोबायो- टॉक्षी-स्क विषय	प्रोफेसर जौफ माइक्रोबायो- टॉक्षी-स्क विषय डॉ. डॉरी सिंह गौर विद्यावाचार।

उपता १९९९/२०००/१२/१२/२०००/महाविद्यालय, उज्जैन  
संत्र - से - - - बी. एस. सी. मे कम्प्यूटर एप्लीकेशन एक विषय स्वं  
कक्षाएं प्रारंभ करने देते निरीक्षण तमिति की रिपोर्ट संलग्न प्रोफार्म में भरकर कार्यालय  
पेजने का कष्ट करें।

संलग्न:-  
१. प्रोफार्म।

२.

पुष्ट्रक्र० १३१२/१३/३३१/संव०/९९-२०००/३४१५

प्रतिलिपि:-  
१- वैद्यीय अतिरिक्त संचालक तमिति के संयोजक।

२- परिसर, छादार।

विश्वविद्यालय

३- अध्यक्ष/प्राचार्य माध्यविद्यालय संचालक भाषा विभ. उज्जैन- ५५६०१०

४. भौ. एस. डी. उच्चशिक्षा विभाग, मंत्रालय मध्यकृत अधिकारी, भौपाल।

अतिरिक्त संचालक।  
८/१२ भौपाल, दि० १०-१-१९९९  
उच्चशिक्षा इंदौर-उज्जैन संभाग मौती

१८०५।

G.N.S.Karim  
10/12/99

अतिरिक्त संचालक।

"कानूनिक आयुक्त उच्चशिक्षा, मध्यप्रदेश शासन"  
आजानकीय प्रतिविहारी संस्थागों से संपर्कित शाश्वत  
हिन्दी भवन इयामला हिल्स, भोपाल.

दस्तावेज़ / १३१२/१३/१३४/संख्या १९९-२०००/

भोपाल दिनों

प्रति,

कुलपति

दृष्टि अस्तित्व विधायिकालय  
मुख्यमंत्री दृष्टि विधायिकालय

निधि:- आयुक्त उच्चशिक्षा द्वारा नामांकित दो विषय विशेषज्ञों बाबत

निधि:- निधि अस्तित्व विधायिकालय के पत्र क्रमांक/एफ-७३/१०३/बी/१९६/ती-३/  
३८, दिनांक १७.३.१९८०।

उपर संदर्भ में निधि महाविद्यालयों/ निधि विषयों की संबंधता संबंधी कुलपति द्वारा  
उपर समिति ली तरचना के लिये आयुक्त द्वारा नामांकित दो विषय विशेषज्ञों के  
नाम एवं पते निम्नलिखित हैं।

नाम

संकाय

पता

१. श्री पंडित शिंदे

श्री. एस. श्री. पुष्पग मै लम्पन्नार ताडिन शिंदे लम्पन्नार उपिकारी,  
उच्च विधायिकालय  
मध्यप्रदेश भवन भोपाल

उपर समिति संस्था/महाविद्यालय उपर्यन्त

में सत्र १९९९-२००० से श्री. एस. श्री. पुष्पग मै लम्पन्नार ताडिन

लां कधाएं प्रारंभ करने हेतु निरीक्षण समिति फी रिपोर्ट संलग्न प्रोफार्म में भरकर कार्यालय  
में जने का बढ़ा करें।

संलग्न:-

१. प्रोफार्म।

२.

पुष्पग ०५० १३१२/१३/१३४/संख्या १९९-२०००/ ४५०४

भोपाल, दिनों १५/७/१९९९

प्रतिलिपि:-

- १- ऐक्रीय अतिरिक्त संचालक (समिति के संयोजक) उच्च विधायिकालय
- २- अध्यक्ष/प्राचारी - वाचन विद्यालय अस्तित्व विधायिकालय उच्च विधायिकालय
- ३- श्री. एस. डी. उच्चशिक्षा विभाग, मंत्रालय। मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।

अतिरिक्त संचालक।

IT + E

कार्यालय आयुक्त उच्च, शिक्षा मध्यप्रदेश  
सतपुरा भवन, भोपाल

क्रमांक / ११३ / ४४४ / आउटिंग / यो / ०७  
प्रति,

भोपाल, दिनांक २६-५-०७

प्राचार्य,  
शासकीय माधव महाविद्यालय,  
उज्जैन (म.प्र.)

विषय: स्ववित्तीय योजनांतर्गत पाठ्यक्रम आरंभ करने हेतु अनापत्ति प्रदान करने बाबत् ।  
संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक ५६७ / २००७ दिनांक ६.३.०७


विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ के प्रावधान २६(१)पांच के अंतर्गत आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा आपके महाविद्यालय में प्रदान की जाती है :-

(१) वी.एस-सी. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रायोगिक विषय पुष्टि वक्तु

नोट:-

- उक्त पाठ्यक्रम हेतु किसी को शासकीय सेवा में नियुक्त नहीं किया जायेगा ।
- कोई शासकीय अधिकारी / कर्मचारी स्ववित्तीय पाठ्यक्रम के तहत मानदेय प्राप्त नहीं करेगा
- अध्यापन व्यवस्था अतिथि विद्वानों को आमंत्रित कर की जावे ।
- विभिन्न मदों में किए जाने वाले व्यय में पूर्ण मितव्यता बरती जावे ।
- कोई नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जावे ।
- लिपिक, भृत्य आदि पृथक से न रखे जाये ।
- शासन कोई अनुदान / बजट नहीं देगा ।
- प्रवेश देने में प्रवेश नियमों का कड़ाई से पालन अनिवार्य रूप से किया जाये ।
- कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं होगा ।
- विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त किये बिना प्रवेश न दिये जायें ।

- सत्र २००७-०८ से प्रवेश प्रारम्भ करने के लिये शोक्षणिक स्टाफ की पर्याप्त व्यवस्था हो ।
- प्रयोगशाला की संपूर्ण सुविधायें प्रवेश प्रारम्भ करने के पूर्व सुनिश्चित की जाये ।
- म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ./१९/१०९८/३८-२/०२ दिनांक ४.५.०२ के अनुसार कार्यवाही की जावे ।
- शासन द्वारा समय समय पर दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।
- यह प्रमाण-पत्र किसी महाविद्यालय को तब तक विषय प्रारम्भ करने / नई कक्षाएं प्रारम्भ करने के लिये अधिकृत नहीं करेगा जब तक अधिनियम १९७३ की धारा २४(X) के अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता प्रदान नहीं कर दी जाती ।



पृष्ठा क्रमांक / ४४४ / आउटिंग / यो / ०७  
प्रतिलिपि -

(डॉ. यू.सी.जैन)  
अतिरिक्त संचालक  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

भोपाल, दिनांक

- कुल सविव विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन म०प्र० की ओर सूचनार्थ एवं धारा २४(X) के अंतर्गत शीघ्र प्रतिवेदन भेजने हेतु ।
- अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा उज्जैन-इंदौर संभाग, इंदौर म.प्र. की ओर सूचनार्थ ।

माधव विद्यालय  
भवन पत्र प्राप्ति  
उज्जैन



माधव विद्यालय  
उज्जैन  
म.प्र.  
दिनांक ०२/०७/०७  
माधव विद्यालय  
उज्जैन  
म.प्र.  
दिनांक ०२/०७/०७  
माधव विद्यालय  
उज्जैन  
म.प्र.  
दिनांक ०२/०७/०७

(डॉ. यू.सी.जैन)  
अतिरिक्त संचालक  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

दिनांक ०२/०७/०७

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश  
सतपुड़ी भवन, भोपाल

क्रमांक / ८१३ / ४४४ / आउशि / यो / ०७

भोपाल, दिनांक २६-५-०२

प्रति

प्राचार्य

शासकीय माध्यम नहाविद्यालय,  
उज्जैन (म.प्र.)

विषय: स्ववित्तीय योजनांतर्गत पाठ्यक्रम आरम्भ करने हेतु अनापत्ति प्रदान करने बाबत।  
रादर्भ:- आपका पत्र क्रमांक ५६७ / २००७ दिनांक ६.३.०७

विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ के प्रावधान २६(१)पांच के अंतर्गत आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा आपके महाविद्यालय में निम्न लिखित शर्तों के अंतर्गत वीचे दर्शित विषयों की कक्षाएं अव्याधी रूप से सत्र २००७-०८ से प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

११

(१) वी.एस-सी. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रौद्योगिक विषय छठमं वष्टि

नोट:-

- १ उक्त पाठ्यक्रम हेतु किसी को शासकीय सेवा में नियुक्त नहीं किया जायेगा।
- २ कोई शासकीय अधिकारी/कर्मचारी स्ववित्तीय पाठ्यक्रम के तहत मानदेय प्राप्त नहीं करेगा।
- ३ अध्यापन व्यवरथा अतिथि विद्वानों को आमंत्रित कर की जाये।
- ४ विभिन्न मट्डों में किए जाने वाले व्यय में पूर्ण मितव्यता बरती जावे।
- ५ कोई वियुक्त पत्र जारी नहीं किया जावे।
- ६ लिपिक, भूत्य आदि पृथक से न रखे जाये।
- ७ शासन कोई अनुदान/बजट नहीं देगा।
- ८ प्रवेश देने में प्रवेश नियमों का कड़ाई से पालन अनिवार्य रूप से किया जाये।
- ९ कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं होगा।
- १० विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त किये बिना प्रवेश न दिये जायें।


१. सत्र २००७-०८ से प्रवेश प्रारम्भ करने के लिये शैक्षणिक रूपांक की पर्याप्त व्यवस्था हो।

२. प्रयोगशाला की संपूर्ण सुविधायें प्रवेश प्रारम्भ करने के पूर्व सुनिश्चित की जाय।

३. म.प्र. शपराज डिप्लोमा शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ./१४/१०९८/३८-२/०२ दिनांक ४.५.०२ के अनुसार कार्यवाही की जायें।

४. शमसन द्वारा समय समय पर दिये गये विक्रेता-बा-प्रालन लिया जाना सुनिश्चित किया जाय।

५. यह प्रमाण-पत्र विरासी महाविद्यालय को तब तक विषय प्रारम्भ करने/नई कक्षाएं प्रारम्भ करने के लिये अधिकृत नहीं करेगी। जब तक अधिनियम १९७३ की धारा २४(X) के अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता प्रदान नहीं कर दी जाती।



पत्र क्रमांक / ४४४ / आउशि / यो / ०७

(डॉ. यू.सी.जैन)  
अतिरिक्त संचालक  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि-

१. कुल सचिव, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं धारा २४(X) के अंतर्गत शीघ्र प्रतिवेदन भेजने हेतु।
२. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा उज्जैन-इदोर रीभाग, इदोर म.प्र. की ओर सूचनार्थ।

माध्यमिक  
भवन, पत्र प्रिक्टिक  
उज्जैन

१३१  
०२/१०८  
२०१८  
म.प्र.  
विश्वविद्यालय  
द्वारा प्रदान  
की जानी जाती है।

(डॉ. यू.सी.जैन)  
अतिरिक्त संचालक  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

साधव विज्ञान  
द अमृत आयुक्त उच्च शिक्षा मंड़ी इन्स्टीट्यू  
— सहायता भवन, भोपाल

देनांक 22-6-09

क्रमांक 696 / 462


आउटिंग / दो/09

## शासकीय काप्ति क्षात्र बहाविद्यालय, उज्जैन इम्फैटी

दिव्यधर्म एवं धर्मशास्त्र के अनुबन्ध करने के लिए अनापात्म प्रदान करने वाले ।  
दिव्यधर्म एवं धर्मशास्त्र के अनुबन्ध करने की अनुबत्ति प्रदान की जाती है ।

दिव्यविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधान 26(1)पार्ट के अंतर्गत आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा  
आपके बहाविद्यालय में निम्न लिखित शर्तों के अंतर्गत नीचे दर्शित विषयों की कक्षाएँ अस्थायी रूप से  
तक 2009-10 तक प्रारम्भ करने की अनुबत्ति प्रदान की जाती है ।

क्री. क्री. ३: इम्फैटी बहाविद्यालय उच्च बह



- नोट:- उक्त बाठधर्म हतु किसी की शासकीय सदा में नियुक्त नहीं किया जाएगा ।  
1. कोई शासकीय अधिकारी / कर्मचारी स्वदिलीय पाठ्यक्रम के तहस भान्डेप्राप्त नहीं करेगा  
अध्यापन व्यवस्था अतिथि विद्यार्थी को आमंत्रित कर की जाए ।  
2. विभिन्न सदों में किए जाने वाले व्यय में पूर्ण नितध्वन बरती जाए ।  
3. कोई नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जाए ।  
4. लिपिक, भूत्य आदि पृथक से न रखे जाए ।  
5. शासन कोई अनुदान / इजाद नहीं देगा ।  
6. प्रदेश देश में प्रवेश नियमों का कड़ाई से पात्र अनिवार्य रूप से किया जाए ।  
7. कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं होगा ।  
8. विश्वविद्यालय से तन्त्रज्ञता प्राप्त किये दिना प्रवेश न होइ जाए ।

1. तभी 2009-10 में प्रवेश प्रारम्भ करने के लिये शैक्षणिक स्टाफ की पर्याप्त व्यवस्था हो  
प्रध्यागशाला की संपूर्ण सुविधाएँ प्रवेश प्रारम्भ करने के पूर्व स्वीकृतिशील की जाए ।  
2. सभूत शासन उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एक/331/1569/2007/2/38 दिनांक  
18-2-08 के अनुसार शास्त्रीय की जाए ।  
3. शासन हारा संघ-भमय पर दिल एये निरूपण का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।  
4. यह प्राप्ति-पत्र किसी महाविद्यालय को तब तक लिया प्रारम्भ करने/ नहीं कक्षाएँ प्रारम्भ करने  
के लिये अधिकृत नहीं करेगा जह तक अधिनियम 1973 की धारा 24(X) के अहरात  
विश्वविद्यालय द्वारा तन्त्रज्ञता प्राप्त नहीं कर दी जाती ।

(आयुक्त उच्च शिक्षा हारा अनुमोदित)

लंबुष्ठा संचालक (योजना)  
उच्च शिक्षा, म.प.  
दिनांक

क्रमांक 462 / आउटिंग / दो/09

इहालियि-

1. लुल हरिहर, छिक्कू, विश्वविद्यालय उज्जैन 309, की ओर सूचनार्थ एवं धारा 24(X)  
के अहरात शैक्षणिक प्रवेश करने के लिए इस दस्तावेज का उत्तराधिकारी लक्ष्मणरामभाग मुन्द्रित होने और  
2. अस्तित्व संचालक उच्च शिक्षा विभाग के लिए इस दस्तावेज का उत्तराधिकारी लक्ष्मणरामभाग मुन्द्रित होने

विश्वविद्यालय (योजना)  
उच्च शिक्षा

न. ५२०८८९८०

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मोप्र० शासन  
सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004

क्रमांक 1028  
प्रति. 652/आउशि/योजना/2012,

भोपाल, दिनांक १८-५-१२

प्राचार्य,  
शासकीय माधव विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
उज्जैन, मोप्र०

विषय:- स्ववित्तीय योजनान्तर्गत नवीन पाठ्यक्रम एम.एस.सी. एप्लाइड माइक्रोबायलाजी पूर्वार्द्ध की कक्षायें प्रारम्भ करने हेतु  
(नवीनीकरण) अनापत्ति प्रदान करने वाले।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 1042/11, दिनांक 11.4.12.

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधान 26(1) पांच के आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा आपके महाविद्यालय में  
निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत नीचे दर्शित विषय की कक्षायें अरथाई रूप से सत्र 2012-13 से प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान  
की जाती है:-

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल के आदेश क्रमांक 833/371/आउशि/यो/11, दिनांक  
14.7.2011 के द्वारा एम.एस.सी. एप्लाइड माइक्रोबायलाजी पूर्वार्द्ध की कक्षायें वर्ष 2011-12 से प्रारम्भ करने की दी गई  
अनुमति को निरस्त करते हुये यह विषय सत्र 2012-13 से प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की जाती है।  
नोट -

- उक्त पाठ्यक्रम हेतु किसी को शासकीय सेवा से नियुक्त नहीं किया जायेगा।
- कोई शासकीय अधिकारी/कर्मचारी स्ववित्तीय पाठ्यक्रम के तहत मानदेय प्राप्त नहीं करेगा।
- अध्ययन व्यवस्था अतिथि विद्वानों को आमंत्रित कर की जावे।
- विभिन्न मदों में किये जाने वाले व्यय गें पूर्ण मितव्यता बरती जायें।
- कोई नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जावे।
- लिपिक, भृत्य आदि पृथक से न रखे जायें।
- शासन कोई अनुदान/वजट नहीं देगा।
- प्रवेश देने में प्रवेश टिक्कों का कड़ाई से पालन अनिवार्य रूप से किया जायें।
- लोई व्यक्ति नियुक्त नहीं होगा।
- विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त किये विना प्रवेश न दिये जायें।

- वर्ष 2012-13 से प्रवेश प्रारम्भ करने के लिये शैक्षणिक स्टाफ की पर्याप्त व्यवस्था हो।
- प्रयोगशाला की संपूर्ण सुविधायें प्रवेश प्रारम्भ करने के पूर्व सुनिश्चित की जायें।
- मोप्र० शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ/331/1569/2007/2/38 दिनांक 18.2.2008 के  
अनुसार कार्यवाही की जायें।
- शासन द्वारा समय पर दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
- यह प्रमाण पत्र किरी महाविद्यालय को तब तक विषय प्रारंभ करने/नई कक्षाएं प्रारंभ करने के लिये अधिकृत नहीं करेगा,  
जब तक अधिनियम 1973 की धारा 24(X) के अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता प्रदान नहीं कर ती जाती।  
(आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

पृष्ठांक 652/आउशि/योजना/12  
प्रतिलिपि:-

अतिरिक्त संचालक योजना  
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश  
भोपाल, दिनांक

- कुलसचिव, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन, मोप्र० की ओर सूचनार्थ एवं धारा 24(X) के अंतर्गत शीघ्र प्रतिवेदन  
भेजने हेतु।
- अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, इन्डौर-उज्जैन संभाग, इन्डौर।
- प्रभारी आईटी सेल, कृपया पिभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित द्वान

प्र०. प०

22-५-१२



अतिरिक्त संचालक योजना  
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

## गोपनीय उच्चाधिकारी भवन विद्युत विभाग को लिखा गया।

उच्चाधिकारी

देस विविध विभागों के नाम सहित आवश्यक प्राप्त रूप से विद्युत विभाग को लिखा गया।

देस विविध विभागों के नाम सहित आवश्यक प्राप्त रूप से विद्युत विभाग को लिखा गया।

देस विविध विभागों के नाम सहित आवश्यक प्राप्त रूप से विद्युत विभाग को लिखा गया।

## हम. राज. ती. गुरुत राज विद्युतिकाल कोटे

१. इस प्रदर्शन में हमें विद्युती को शासकीय रूप से विद्युत विभाग लिखा जायेगा।
२. हमें शासकीय अधिकारी/कानूनी व्यवितीय पाठ्यक्रम के तहत यानवेद्य प्राप्त नहीं करेगा।
३. विद्युत विभाग को शासकीय विद्युती को आवश्यक करने की जाए।
४. विद्युत विभाग में विवरण जाने वाले व्यवहार में पूर्ण विवाहित रहती जाए।
५. हमें विद्युती पर लारी बही किया जाए।
६. विद्युत भवन आदि प्रधान से न रखे जाए।
७. शासन कोई अनुसार/बजट नहीं देगा।
८. प्रवेश देने से प्रवेश विभाग का घड़ाई से पालन अनिवार्य स्वरूप किया जाए।
९. हमें व्यवहार विद्युती नहीं होगा।
१०. विद्युतिकाल से राजदरबार प्राप्त विवरण विभाग प्रवेश में दिये जाए।

तिथि २०१०-१। से इस प्राप्त रूप से लिखे गए विवरणों द्वारा यह विवरण दिया गया।

१. प्रदर्शनालय की संपूर्ण विविधार्थी प्रवेश प्राप्त रूप से विवरण दिया गया।
२. ५५. शासन, उच्च विभाग को प्राप्त क्रमांक एन./३३१/१५०९/२००७/२/३५ दिनांक, १२.०७.१० के अनुसार लाइसेंसी की जाए।
३. शासन द्वारा सम्म-सम्म प्राप्त विवरण विवरणों को प्राप्त विवरण दिया गया।
४. यह प्रभाग-८वं विवरण विभाग को तब तक विवरण दिया गया जब तक अधिनियम १९७३ की धारा २४(X)के अंतर्गत विद्युतिकाल द्वारा सम्बद्धता प्रदान नहीं कर दी जाती।

(आद्युक्त उच्च विभाग का अनुमोदित)

तंत्रज्ञान उपालक (योग्यता)

प्रध्य विभाग, ग.प.

भोपाल, दिनांक

ठाकुर /२६७/अप्रैल २०१०

प्रतिलिपि-

१. इस तंत्रज्ञान, विभाग विद्युतिकाल, उच्चाधिकारी विवरण द्वारा २४(X) के अंतर्गत गोपनीय विवरण दिया जाए।
२. अतिरिक्त उपालक, उच्च विभाग के विवरण दिया जाए।

गोपनीय विभाग  
उच्चाधिकारी

गोपनीय विभाग  
उच्चाधिकारी

Principal

तंत्रज्ञान उपालक (योग्यता)  
उच्चाधिकारी



आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा

— सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्रमांक ५२१/२९९ प्रति-

/आठशि/यो/।०

मोपाल, दिनांक २५-३-११

प्राचार्य,

शासकीय माध्यमिकान महाविद्यालय,  
उज्जैन {४०८०}

विषय: स्वदित्तीय रोजनार्गत नवीन पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रदान करने बाबत।  
संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक ७१३/।। दिनांक ।।.७.३.२०१।।

विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ के प्रावधान २६(१)पाँच के अंतर्गत आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा आपके महाविद्यालय में निम्न लिखित शर्तों के अंतर्गत नीचे दर्शित विषयों की कक्षाएँ अस्थायी रूप से त्रै २०१।।-१२ रम्भ करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

सम. सत. ती. गणित, पूर्वाद्

नोट:-

१. उक्त पाठ्यक्रम हेतु किसी को शासकीय सेवा में नियुक्त नहीं किया जायेगा।
२. कोई शासकीय अधिकारी/कर्मचारी स्वयंतीय पाठ्यक्रम के लहर मानदेय प्राप्त नहीं करेगा।
३. अध्यापन व्यवस्था अतिथि विद्वानों को आनंदित कर की जावे।
४. दिनिन्म सदी में किए जाने वाले व्यय में पूर्ण मिलायला प्रती जावे।
५. कोई नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जावे।
६. लिपिक, भूत्य आदि पृथक से न रखे जाये।
७. शासन कोई मनुदान/वजट नहीं देगा।
८. प्रतेश देने में प्रवेश नियमों का कडाई से पालन अनिवार्य रूप से किया जाये।
९. कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं होगा।
१०. विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त किये बिना प्रवेश न दिये जायें।

१. त्रै २०१।।-१२ में प्रवेश प्रारम्भ करने के लिये शैक्षणिक स्टाफ की पर्याप्त व्यवस्था हो।
२. प्रयोगशाला गे संपूर्ण सुविधायें प्रवेश प्रारम्भ करने के पूर्व सुनिश्चित की जाय।
३. म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ./३३१/१५६९/२००७/२/३८ दिनांक १८.२.०८ के ३ नुसार कार्यवाही की जावे।
४. शासन द्वारा नम्य-समय पर दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
५. यह प्रसाग-पत्र किसी महाविद्यालय को तब तक विषय प्रारम्भ करने/नई कक्षाएँ प्रारम्भ करने के लिये अंबेक्त नहीं करेगा जब तक अधिनियम १९७३ की धारा २४(X)के अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता प्रदान नहीं कर दी जाती।

(आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

विश्व कर्त्तव्यस्थ अधिकारी प्रयोजन  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

मोपाल, दिनांक

क्रमांक १२९९ /आठशि/यो/।०  
प्रतिलिपि-

१. कुल तचिक, विश्वविद्यालय उज्जैन म०प्र० की ओर सूचनार्थ एवं धारा २४(X) के अंतर्गत र्षी घ प्रतिवेदन भेजने हेतु।
२. अतिरिक्त रोपालक, उच्च शिक्षा क्षेत्रीय कार्यालय, इन्डौर संगग इन्डौर की ओर सूचनार्थ प्रियि।

विश्व कर्त्तव्यस्थ अधिकारी प्रयोजन  
उच्च शिक्षा, म.प्र.



कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, म०प्र० शासन  
सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004

क्रमांक ५८६ / ८४ / आउशि / योजना / २०१७  
प्रति,

मोपाल, दिनांक: २९/०५/२०१७

प्राचार्य,  
शासकीय माध्यविज्ञान महाविद्यालय,  
उज्जैन (म.प्र.)

विषय:— स्ववित्तीय योजनान्तर्गत सत्र 2017-18 हेतु (1) पी.जी.डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एज्लीकेशन (2) पी.जी.डिप्लोमा इन योगा (दो नये विषय) की निरन्तरता हेतु अनापत्ति प्रदान करने बाबत।  
संदर्भ:— पत्र क्रमांक 157 दिनांक ०७/०२/२०१७।

—००—

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधान 26(1) पांच के अधीन आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा आपके महाविद्यालय में निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत नीचे दर्शित विषय की कक्षायें अस्थाई रूप से सत्र 2017-18 से प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की जाती है:

(1) पी.जी.डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एज्लीकेशन (2) पी.जी.डिप्लोमा इन योगा — प्रथम वर्ष

नोट —

- उक्त पाठ्यक्रम हेतु किसी को शासकीय सेवा से नियुक्त नहीं किया जायेगा।
- कोई शासकीय अधिकारी/कर्मचारी स्ववित्तीय पाठ्यक्रम के तहत मानदेय प्राप्त नहीं करेगा।
- अध्ययन व्यवस्था अतिथि विद्वानों को आमंत्रित कर की जावे।
- विभिन्न मर्दों में किये जाने वाले व्यय में पूर्ण मितव्यता बरती जाये।
- कोई नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जावे।
- लिपिक, मृत्यु आदि पृथक से न रखे जाये।
- शासन कोई अनुदान/बजट नहीं देगा।
- प्रवेश देने में प्रवेश नियमों का कडाई से पालन अनिवार्य रूप से किया जाये।
- कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं होगा।
- विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त किये दिना प्रदेश न दिये जाये।
- वर्ष 2017-18 से प्रवेश प्रारम्भ करने के लिये शैक्षणिक रिटार्फ की पर्याप्त व्यवस्था हो।
- प्रयोगशाला की संपूर्ण सुविधायें प्रवेश प्रारम्भ करने के पूर्व सुनिश्चित की जाये।
- म०प्र० शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ/३३१/१५६९/२००७/२/३८ दिनांक १८.२.२००८ के अनुसार कार्यवाही की जाये।
- शासन द्वारा समय समय पर दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
- यह प्रमाण पत्र किसी महाविद्यालय को तब तक विषय प्रारंभ करने/नई कक्षाएं प्रारंभ करने के लिये अधिकृत नहीं करेगा, जब तक अधिनियम 1973 की धारा 24(X) के अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता प्रदान नहीं कर दी जाती।

(आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

डॉ. अनिल कुमार पाठक  
विशेष कर्तव्यस्था अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.  
मोपाल, दिनांक: २९/०५/२०१७

पृष्ठांक ५८७ / ८४ / आउशि / योजना / २०१७  
प्रतिलिपि:—

- कुलसचिव, विकास विश्वविद्यालय उज्जैन म० प्र० की ओर सूचनार्थ एवं धारा 24(X) के अंतर्गत शीघ्र प्रतिवेदन भेजने हेतु।
- अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, उज्जैन रामगढ़, उज्जैन।
- प्रभारी आईटी सेल, कृपया विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

डॉ. अनिल कुमार पाठक  
विशेष कर्तव्यस्था अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, म०प्र० शासन

सतपुड़ा गवन, भोपाल-462004

क्रमांक ५८६ /४/आउशि/योजना/2017  
प्रति,

मोपाल, दिनांक:- २९/०५/२०१७

प्राचार्य,  
शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय,  
उज्जैन (म.प्र.)

विषय:- स्ववित्तीय योजनान्तर्गत सत्र 2017-18 हेतु (1) पी.जी.डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (2) पी.जी.डिप्लोमा इन योगा (दो नये विषय) की निरन्तरता हेतु अनापत्ति प्रदान करने वाबत्।

संदर्भ:- पत्र क्रमांक 157 दिनांक 07/02/2017।

—००—

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधान 26(1) पांच के अधीन आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा आपके महाविद्यालय में निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत नीचे दर्शित विषय की कक्षायें अस्थाई रूप से रात्र 2017-18 से प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

(1) पी.जी.डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (2) पी.जी.डिप्लोमा इन योगा - प्रथम वर्ष नोट -

1. उक्त पाठ्यक्रम हेतु किसी को शासकीय सेवा से नियुक्त नहीं किया जायेगा।
2. कोई शासकीय अधिकारी/कर्मचारी स्ववित्तीय पाठ्यक्रम के तहत मानदेय प्राप्त नहीं करेगा।
3. अध्ययन व्यवस्था अतिथि विद्यार्थों को आमंत्रित कर की जावे।
4. विभिन्न मर्दों में किये जाने वाले व्यय में पूर्ण मितव्यता वर्ती जाये।
5. कोई नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जावे।
6. लिपिक, मृत्यु आदि पृथक से न रखे जाये।
7. शासन कोई अनुदान/बजट नहीं देगा।
8. प्रवेश देने में प्रवेश नियमों का कड़ाई से पालन अनिवार्य रूप से किया जाये।
9. कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं होगा।
10. विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त किये दिना प्रदेश न दिये जाये।

1. वर्ष 2017-18 से प्रवेश प्रारंभ करने के लिये शैक्षणिक स्टाफ की पर्याप्त व्यवस्था हो।
2. प्रयोगशाला की संपूर्ण सुविधाये प्रवेश प्रारंभ करने के पूर्व सुनिश्चित की जाये।
3. म०प्र० शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ/331/1569/2007/2/38 दिनांक 18.2.2008 के अनुसार कार्यवाही की जाये।
4. शासन द्वारा समय समय पर दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
5. यह प्रमाण पत्र किसी महाविद्यालय को तब तक विषय प्रारंभ करने/नहीं कक्षाएं प्रारंभ करने के लिये अधिकृत नहीं करेगा, जब तक अधिनियम 1973 की धारा 24(X) के अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता प्रदान नहीं कर दी जाती।

(आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुभोदित)

(डॉ. अनिल कुमार पाठक)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

उच्च शिक्षा, म.प्र.

मोपाल, दिनांक: २९/०५/२०१७

प०क्रमांक ५८७ /४/आउशि/योजना/2017  
प्रतिलिपि -

1. कूलसचिव, विकास विश्वविद्यालय उज्जैन म० प्र० की ओर सूचनार्थ एवं धारा 24(X) के अंतर्गत शीघ्र प्रतिवेदन भेजने हेतु।
2. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, उज्जैन रोमांग, उज्जैन।
3. प्रमाणी आईटी सेल, कृष्णा विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करवें।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डॉ. अनिल कुमार पाठक)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

उच्च शिक्षा, म.प्र.

*A. Jall*  
29.5.17

प्राप्ति अनुमति का नियम ०८/११  
लोक / ७०८ / ५११ / आठवीं / ३०/११  
पर्वती, गोपनीय प्रदेश, भारत  
पर्वती, गोपनीय प्रदेश, भारत

प्राप्ति अनुमति का नियम ०८/११

### शासकीय-माध्यम-विभाग... सहायिता उपर्युक्त-५८०८०

विषय: उपर्युक्त घोषणातानि अनुसार विभाग द्वारा दिए गए अनुमति का नियम ०८/११ विभाग का नियम ०८/११ विभाग का नियम ०८/११

विषय: उपर्युक्त घोषणातानि अनुसार विभाग द्वारा दिए गए अनुमति का नियम ०८/११ विभाग का नियम ०८/११ विभाग का नियम ०८/११

### पोस्ट ब्रूरेट किलोग्राम तक व्हेगविधिक व्यापारिक उन्नीस एवं स्पारिंग ऐप्पोर्टुनिटी एक्सपोर्ट मैनेजमेंट

नोट-

- उक्त विभाग द्वारा दिए गए विभागीय नियम में विवेक नामी नियम आवधि ।
- कोई राजकीय अनुकूली/कांपनी व्यवसाय प्रदूषक के द्वारा अनुदाय द्वारा दिए गए विभागीय नियमों को अनुदाय द्वारा दिए गए विभागीय नियमों की तुलना में अधिक नहीं होता है ।
- अन्यथा व्यवसाय अनुकूली नियमों को अनुदाय द्वारा दिए गए विभागीय नियमों की तुलना में अधिक नहीं होता है ।
- दिविष्य नदी एवं जल वाले व्यवसाय में वृक्ष विवादातानि जल वाले ।
- जल विधि : जल ०८/११ विभाग वाले ।
- विधि, भूमि वाले एवं जल वाले ।
- जल वाले एवं व्यवसाय/व्यवसाय नहीं होते ।
- प्रदेश देश में प्रदेश विभागों का कर्तव्य में व्यापक अधिकारों का न दिया जाए ।
- अनुकूल विभाग नहीं होता ।
- विवरित विधायक संघ विभाग प्रबोधन न दिया जाए ।

- २०११-१२ से प्रदेश व्यवसाय करने के लिये दीवानीक स्थान लो पर्सियन व्यवसाय ।
- दीवानीक स्थान का वार्षिक उपचार व्यवसाय प्रारम्भ करने के पूर्ण सुनिश्चित होनी चाही ।
- २५ वार्षिक उपचार विभाग के पूर्ण अनुमति एक./३३/१९६९/२००७/२/३३ विभाग १०,२,०० के अनुकूल जारीवाली की जाए ।
- वास्तव द्वारा व्यवसाय-स्वाप एवं दीवानी का प्रबोधन नहीं जाना सुनिश्चित लिया जाए ।  
एह व्यवसाय एवं दीवानी का तर तर विषय प्रारम्भ करने/नई व्यापार व्यवसाय के लिये अधिकारों नहीं करेगा जल तक अधिकारी १९७३ की वारा २१(X) के अनुसार विवरित विधायक द्वारा व्यवसाय करना नहीं कर सकती ।

(आयुष्मान उमा विकास द्वारा अनुमोदित)

मीरिया नियम ०८/११  
दिवानीक स्थान  
गोपनीय प्रदेश, भारत

कागज ५११/आठवीं/३०/११

मूलिकी-

- कुल उपचार, विभागीय विवरित विधायक उपचार ५०८० की ओर हुमारी देश भारत २०८० के अनुसार ८८.८ म प्रतिवेदन भवने हुए ।
- ओरियन व्यवसाय विभागीय विभागीय विधायक उपचार-उपचार-उपचार उपचार के ज्ञान द्वारा प्रदित्त ।

मीरिया नियम ०८/११  
दिवानीक स्थान

Principal

Govt. Madhya Vigyan Mahavidhyalaya  
UJJAIN (M.P.)



## विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक / अकादमिक / 08/913

### सूचना

दिनांक : 11-8-08

शिक्षा सत्र 2008-09 में नवीन पाठ्यक्रम / विषय एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रम / विषय की आगामी कक्षा / निरंतरता हेतु सम्बद्धता प्रदान करनेके लिये, आपके द्वारा प्रत्युत आवेदन पर निरीक्षण समिति की अनुशंसाओं को कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 14.07.2008 के निर्णय क्र. (6) के अनुपालन में कार्यपरिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपतिजी द्वारा महाविद्यालय को सत्र 2008-09 में निम्नलिखित विवरणानुसार “नितांत अस्थायी सम्बद्धता” प्रदान की जाती है :—

- (अ) महाविद्यालय का नाम : शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय, उज्जैन।  
 (ब) कक्षा / विषय / पाठ्यक्रम : बी.एस.सी. प्रथम वर्ष (बायोइंफार्मटिक्स)

1. यह अस्थायी सम्बद्धता उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन भोपाल द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर प्रदान की गई है।
2. यह सम्बद्धता पूर्णतः अस्थायी है तथा शर्तों की पूर्ति के प्रतिबंध पर प्रदान की जा रही है।
3. निरीक्षण समिति की शर्तों की पूर्ति न होने पर यह सम्बद्धता स्वतः ही निरस्त मानी जाए।

- शर्तों :-
1. आवेदित पाठ्यक्रम हेतु उपलब्ध शिक्षकों की संख्या कम है। अतः न्यूनतम 2 शिक्षकों की व्यवस्था और की जावें।
  2. आवेदित पाठ्यक्रम हेतु न्यूनतम 100 पुस्तकों की व्यवस्था और की जावें।
  3. महाविद्यालय द्वारा यदि आवेदित पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित शुल्क जमा नहीं कराया गया हो तो आवश्यक रूप से दो दिवस में जमा करावें तथा वांछित शर्तों की पूर्ति आवश्यक रूप से नियत अवधि में करें। निश्चित / स्वीकृत संख्या से अधिक स्थानों पर प्रवेश दिए जाने पर विपरीत कार्यवाही की जावेगी। तथा इसके लिए महाविद्यालय ही जवाबदार होगा।  
 (टीप : उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह अनुमति स्वरूप निरस्त समझी जावेगी)

आदेशानुसार

सहायक कुलसचिव (अकादमिक)

दिनांक : 11-8-08

क्रमांक / अकादमिक / सम्बद्धन / 08/913A

प्रतिलिपि :-

1. प्राचार्य, संबंधित महाविद्यालय।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, (अ.शा. महा. शाखा) सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. उपकुलसचिव, परीक्षा विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
4. सहायक कुलसचिव, परीक्षा / गोपनीय / लेखा विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।

Principal

Govt. Madhav Vigyan Mahavidyalaya

IBMC UJJAIN (M.P.)

Page No. 59

प्राचार्य

शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय  
उज्जैन म.प्र.

सहायक कुलसचिव (अकादमिक)



## विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक / अकादमिक / सम्बद्धन / 2006/ 712

दिनांक : 18-4-07

प्रति,

प्राचार्य,  
माधव विज्ञान महाविद्यालय, देवास रोड़,  
उज्जैन

**विषय :-** विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 24 (xii) एवं धारा 35 (j) के तहत निर्मित परिनियम क्र. 27 के खण्ड 11 के अंतर्गत सत्र 2006-2007 से बी.एससी. प्रथम वर्ष में अतिरिक्त विषय बायोटेक्नोलॉजी की सम्बद्धता।

**महोदय,**

उपरोक्त विषय में आदेशानुसार सूचित किया जाता है कि कार्यपरिषद् की बैठक दि. 28.06.06 के परिपालन में आपके महाविद्यालय में सत्र 2006-2007 से “बी.एससी. प्रथम वर्ष” में अतिरिक्त विषय (i) बायोटेक्नोलॉजी प्रारंभ करने हेतु अस्थायी सम्बद्धता दी जाती है :—

- परिनियम क्र. 27 के अनुसार द्वितीय वर्ष की कक्षाएं प्रारंभ करने के पूर्व नियमानुसार सम्बद्धता आवेदन पत्र निर्धारित सम्बद्धता शुल्क तथा म.प्र. शासन की अनुमति के साथ निर्धारित तिथि के पूर्व विश्वविद्यालय में जमा करावे। सम्बद्धता पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही छात्रों को द्वितीय वर्ष में प्रवेश देवे।  
उपरोक्तानुसार कार्यवाही कर विश्वविद्यालय को सूचित करे।

उपकुलसचिव (अकादमिक)

प्र.

दिनांक :

क्रमांक / अकादमिक / सम्बद्धन / 2006 /

**प्रतिलिपि :-**

- आयुक्त उच्चशिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन, भोपाल।
- निदेशक महाविद्यालयीन विकास परिषद् विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन।
- उपकुलसचिव, (परीक्षा) विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन।
- सहायक कुलसचिव (परीक्षा / गोपनीय / लेखा) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
- संकायाध्यक्ष, विद्यार्थी कल्याण विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक कुलसचिव (अकादमिक)

समस्त पत्र-प्रबन्धार  
कुलसचिव को सरोंधित किया  
वाय, किसी बन्ध अधिकारी  
के नाम से नहीं। सम्बन्धित  
विषय पर यदि पूर्व में पत्र-  
प्रबन्धार हुआ हो तो उसके  
इमार थार दिनांक का  
विविचयार्थ: उल्लेख किया  
जाना चाहिए, अन्यथा कोई  
वार्ताही नहीं जी जावेगी।

2175  
प्राप्तक ८-८-२०००

पात्र: कुलसचिव कार्या. ५५२०७२, निवास ५५२०७४  
प्रशासनिक कार्या. ५५१२१२, ५५१२१५, ५५२०७७  
प्रेष : विश्वविद्यालय  
प्रेषा. सम्ब. /२००० फ़ैक्ट : (०७३४) ५५२०७६

## विक्रम विश्वविद्यालय



उच्चान

स्थान \_\_\_\_\_ १९

Tech.

वैष्णव:  
कुलसचिव,  
विक्रम विश्वविद्यालय,  
उच्चान।

इति:  
 प्राप्तार्थ,  
माध्यम विज्ञान महाविद्यालय,  
उच्चान।



विषय:- महाविद्यालय में बी.स्स-सी.भाग-। में कम्प्युटर साइंस, कम्प्युटर सफ्टवेयर स्वर्ण माइक्रो बायलाजी विषय में निरान्त अस्थायी सम्बद्धता सत्र २०००-२००१।  
सन्दर्भ:- के स्विकृति प्र० १८ नं. ४५०८०।

भावोदय,

उपर्युक्त विषय में निवेदन है कि नार्य-परिषद् की बैठक दिनांक

25/२७.७.२००० के निर्णयानुसार महाविद्यालय में बी.स्स-सी.भाग-। में कम्प्युटर साइंस, कम्प्युटर सफ्टवेयर स्वर्ण माइक्रो बायलाजी विषय में निर्मांकित सम्बद्धता शर्तों की पूर्ति करने के प्रतिबंध पर सत्र २०००-२००१ निरान्त अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है। परिनियंत्रण २७ संख्या के प्रावधानान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति कर प्रमाण सहित प्रतिवेदन शीघ्र भेजने का कट करें।

प्रतिबंध की शर्तें बी.स्स-सी.भाग-। कम्प्युटर साइंस, कम्प्युटर सफ्टवेयर स्वर्ण माइक्रो बायलाजी

१. महाविद्यालय में बी.स्स-सी.भाग-। में कम्प्युटर साइंस विषय में ३० छात्र, कम्प्युटर सफ्टवेयर विषय में ३० छात्र स्वर्ण माइक्रो बायलाजी विषयमें २० छात्रों को प्रवेश देगा।
२. आवश्यक साफ्टवेयर स्ववितीय योजना मद से क्र्य करें।
३. शिक्षकों की अनुबंध के आधार पर व्यवस्था करके तूषी प्रस्तुत करें।
४. आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग, म०प्र.शासन, भोपाल से उक्त विषय प्रारंभ करने का अनापत्ति प्रमाण-पत्र। विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करें।

आपके महाविद्यालय को प्रदत्त अस्थायी सम्बद्धता के पत्र ३० जून २००१ तक प्रभावशील रहेगी इस अवधि के पश्चात् अस्थायी सम्बद्धता शुल्क जमा नहीं करने की अन्यति में सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जावेंगी।

कुलसचिव  
महाविद्यालय  
को जून २००१

भद्रीय,  
२००१ (२००१)  
कुलसचिव



8

## दिव्यक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक / अकादमिक / 07 / 1549 / यू-१

दिनांक : 30.7.07

### सूचना

शिक्षा सत्र 2007-08 में नवीन पाठ्यक्रम / विषय एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रम / विषय की आगामी कक्षा / निरंतरता हेतु सम्बद्धता प्रदान करने के लिये, आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर निरीक्षण की समिति की अनुशंसाओं को विद्यापरिषद् की स्थायी समिति (बैठक दि. 28.07.07) द्वारा अनुमोदित किया गया है।

तदुपरान्त, कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 18.06.06 के निर्णय क्र. 14 (XXII)] के अनुपान [कुलपतिजी द्वारा कार्यपरिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में महाविद्यालय को सत्र 2007-08 में निरीक्षण के विवरणानुसार “जितान्त अस्थायी सम्बद्धता” प्रदान की जाती है :-

(अ) महाविद्यालय का नाम

शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय,

उज्जैन

(ब) स्वीकृत विषय / पाठ्यक्रम (i)

B.Sc. I (इलेक्ट्रॉनिक्स / इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी / फार्मस्यूटिक्स एवं अधिकतम प्रबंध संख्या - 30 (प्राची विषय))

(ii) B.Sc. II (बायोटेक्नोलॉजी)

सम्बद्धता की दिस्तुत शर्तें पृथक से प्रेषित की जातेही।


क्रमांक / अकादमिक / सम्बद्धन / 07 / 1550 / यू-१

दिनांक : 30.7.07

### प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, (अ.शा. महा. शाखा) सतपुड़ा भवन, भोपाल।
2. निदेशक, महाविद्यालयीन विकास परिषद् वि. वि. उज्जैन।
3. उपकुलसचिव, परीक्षा विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
4. सहायक कुलसचिव, परीक्षा / गोपनीय / लेखा विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
5. संकायाध्यक्ष, विद्यार्थी कल्याण विभाग, वि. वि. उज्जैन।

AA. Ibm



उज्जैन विश्वविद्यालय / विभाग संख्या

समस्त पन्-व्यवहार  
कुलसचिव को सदोधित किया  
जाय, किसी बन्ध अधिकारी  
के नाम से नहीं। सम्बन्धित  
विषय पर यदि पूर्व में पन्-  
व्यवहार हुआ हो तो उसके  
क्रमांक और दिनांक का  
बनियार्थतः उल्लेख किया  
जाना चाहिए, बन्धया कोई  
कार्यवाही नहीं की जाएगी।

2175

प्रमाण  
१०-८-२०००

प्रधा. सम्ब. /२००० फ़िल्म: (0734) ५५२०७६

माप: कुबरचिव डार्या. ५५२०७२, निवास ५५२०७४  
प्रधावनिक कार्या. ५५१२१२, ५५१२१५, ५५२०७७

प्रेष : विश्वविद्यालय

## विक्रम विश्वविद्यालय



उम्मेद

प्रियोक्ता \_\_\_\_\_ १९

१०८२५.



दैवक:

कुलसचिव,  
विक्रम विश्वविद्यालय,  
उम्मेद।

प्रिय:

✓ प्राधार्य,

माध्य विज्ञान महाविद्यालय,  
उम्मेद।

विषय: महाविद्यालय में बी.स्स-सी.भाग-। में कम्प्युटर साइंस, कम्प्युटर स्प्लीकेशन  
स्वं माइक्रो बायलोजी विषय में नियान्त अस्थायी सम्बद्धता सत्र २०००-२००१

सम्बन्ध: के सिलेक्ट ५११ तक सम्पूर्ण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में नियेदन है कि गर्य-परिषद् की बैठक दिनांक —

२५/२७/७/२००० के निर्णयानुसार महाविद्यालय में बी.स्स-सी.भाग-। में कम्प्युटर स्प्लीकेशन साइंस, कम्प्युटर स्प्लीकेशन स्वं माइक्रो बायलोजी विषय में नियान्त अस्थायी सम्बद्धता इर्तों की पूर्ति करने के प्रतिक्रिया पर सत्र २०००-२००१। नियान्त अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है। परिनियम क्र. २७ संक्षेप के प्रावधानान्तर्गत नियन्तिलिखित इर्तों की पूर्ति कर प्रमाण सहित प्रतिवेदन शीघ्र भेजने का काट वहें।

प्रतिक्रिया की इर्ते बी.स्स-सी.भाग-।, कम्प्युटर साइंस, कम्प्युटर स्प्लीकेशन स्वं माइक्रो बायलोजी।

१. महाविद्यालय में बी.स्स-सी.भाग-। में कम्प्युटर साइंस विषय में ३० छात्र, कम्प्युटर स्प्लीकेशन विषय में ३० छात्र स्वं माइक्रो बायलोजी विषयमें २० छात्रों को प्रवेश देगा।
२. आवश्यक सापूट वेयरस स्वितीय योजना भद ते क्र्य करे।
३. शिक्षकों की अनुबंध के आधार पर व्यवस्था करके सूची प्रस्तुत करें।
४. आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र.भाल, भोपाल से उक्त विषय प्रारंभ करने का अनापत्ति प्रमाणपत्र। विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करें।

आपके महाविद्यालय को प्रदत्त अस्थायी सम्बद्धता केरत ३० जून २००१ तक प्रभावशील रहेगी इस अवधि के पश्चात् अस्थायी सम्बद्धता शुल्क जमा नहीं करने की विधिति में सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जावेगी।

कुलसचिव  
काम्प्लीकेशन  
को नं. ८८५

भदीय,  
२०८२५  
कुलसचिव

प्रमाण  
१०-८-२०००मास : कुष्ठराजिव डार्या. ५५२०७२, निवास ५५२०७४  
प्रधानानिष्ठ कार्यालय. ५५१२१२, ५५१२१५, ५५२०७७

प्रधा. / सम्ब. / २००० नं. : (०७३४) ५५२०७६

## विक्रम विश्वविद्यालय



उच्चतम

स्थानक \_\_\_\_\_ १९

७००२०५.

देवक :

कुलसचिव,  
विक्रम विश्वविद्यालय,  
उज्जैन।

प्राप्ति :

✓ प्राचार्य,  
माध्यमिक विज्ञान महाविद्यालय,  
उज्जैन।

मित्र : महाविद्यालय में बी.स्स-सी.भाग-। में कम्प्युटर साइंस, कम्प्युटर स्प्लीकेशन  
स्वं माइक्रो बायलॉजी विष्य में निरान्त अस्थायी तम्बद्धता सत्र २०००-२००१  
सम्बन्ध : केंद्रीय ५१८ नं. निरान्त अस्थायी तम्बद्धता सत्र २०००-२००१।

महोरय,

उपर्युक्त विष्य में निवेदन है कि नार्य-परिषद् की बैठक दिनांक —

१०. २५/२७/२००० के निर्णयानुसार महाविद्यालय में बी.स्स-सी.भाग-। में कम्प्युटर स्प्लीकेशन स्वं माइक्रो बायलॉजी विष्य में निर्मांकित सम्बद्धता फर्तों की पूर्ति करने के प्रतिक्रिया पर सत्र २०००-२००१ के निरान्त अस्थायी तम्बद्धता प्रदान की जाती है। परिनियंम क्र. २७ संख्या के प्रावधानान्तर्गत निम्नलिखित पर्तों की पूर्ति कर प्रमाण सहित प्रतिवेदन शीघ्र भेजने का काट करें।

प्रतिक्रिया की घर्ते हैं बी.स्स-सी.भाग-। कम्प्युटर साइंस, कम्प्युटर स्प्लीकेशन स्वं माइक्रो बायलॉजी।

१. महाविद्यालय में बी.स्स-सी.भाग-। में कम्प्युटर साइंस विष्य में ३० छात्र, कम्प्युटर स्प्लीकेशन विष्य में ३० छात्र स्वं माइक्रो बायलॉजी विष्यमें २० छात्रों को प्रवेश देगा।

२. आवश्यक सफ्टवेयर स्ववितीय योजनां मद ते क्र्य करे।

उ. शिक्षकों की अनुबंध के आधार पर व्यवस्था करके सूची प्रस्तुत करें।

५. आयुक्त उच्च विधायिका विभाग, म.प्र.शासन, भोपाल से उक्त विष्य प्रारंभ करने का अनापातित प्रमाणपत्र। विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करें।

आपके महाविद्यालय को प्रदत्त अस्थायी तम्बद्धता केत्र ३० जून २००१ तक

प्रभावशील रहेगी इस अवधि के पश्चात् अस्थायी तम्बद्धता शुल्क जमा नहीं करने वाले अंतिम में सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जावेगी।

वैद्युत संस्कृत  
मित्र कामलानी (लाला)  
को नं. ५२ द्वारा  
दिनांक २५/८/२०००

भद्रीय,  
२१३ लोग  
कुलसचिव  
१२/९/२००१



## विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक / अकादमिक / 07 / 1549 / यू-१

दिनांक : 30.7.07

### सुचना

शिक्षा सत्र 2007-08 में नवीन पाठ्यक्रम/विषय एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रम/विषय की आगामी कक्षा/निरंतरता हेतु सम्बद्धता प्रदान करने के लिये, आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर निरीक्षण समिति की अनुशंसाओं को विद्यपरिषद् की स्थायी समिति (बैठक दि. 28.07.07) द्वारा अनुमोदित किया गया है।

तदुपरान्त, कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 18.06.06 के निर्णय क्र. 14 (XXII)] के अनुसार [ 1 ] कुलपतिजी द्वारा कार्यपरिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में महाविद्यालय को सत्र 2007-08 में निम्नालिखित विवरणानुसार ‘जितांत अस्थायी सम्बद्धता’ प्रदान की जाती है :-

- |                            |   |        |
|----------------------------|---|--------|
| (अ) महाविद्यालय का नाम     | शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय,  | उज्जैन |
| (ब) स्वीकृत विषय/पाठ्यक्रम | (i) B.Sc. I (इलेक्ट्रॉनिक्स / इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी / फार्मार्थूटिकल एंड<br>अधिकृत घटेश संख्या - 30 (प्रति विषय)<br>(ii) B.Sc. II (बायोटेक्नोलॉजी) |        |

सम्बद्धता की विस्तृत शर्तें पृथक से प्रेषित की जातेही।

क्रमांक / अकादमिक / सम्बद्धन / 07 / 1550 / यू-१

दिनांक : 30.7.07

### प्रतिलिपि:-

- आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, (अ.शा. महा. शाखा) सतपुड़ा भवन, भोपाल।
- निदेशक, महाविद्यालयीन विकास परिषद् वि. वि. उज्जैन।
- उपकुलसचिव, परीक्षा विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
- सहायक कुलसचिव, परीक्षा / गोपनीय / लेखा विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
- संकायाध्यक्ष, विद्यार्थी कल्याण विभाग, वि. वि. उज्जैन।

AA. IBM



उपकुलसचिव (विभागीय),



## विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/07/1549/यू-1

दिनांक : 30.7.07

### सूचना

शिक्षा सत्र 2007-08 में नवीन पाठ्यक्रम/विषय एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रम/विषय की आगामी कक्षा/निरत्तरता हेतु सम्बद्धता प्रदान करने के लिये, आपके द्वारा प्रस्तुत आदेदन पर निरीक्षण समिति की अनुशंसाओं को विद्यापरिषद् की स्थारी समिति (बैठक दि. 28.07.07) द्वारा अनुमोदित किया गया है।

तदुपरान्त, कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 18.06.06 के निर्णय क्र. 14 (XXII)] के अनुपालन में, कुलपतिजी द्वारा कार्यपरिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में महाविद्यालय को सत्र 2007-08 में निम्नलिखित विवरणानुसार “नितांत अस्थायी सम्बद्धता” प्रदान की जाती है :—

(अ) महाविद्यालय का नाम  शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय, उज्जैन

(ब) स्वीकृत विषय/पाठ्यक्रम (i) B.Sc. I (इलेक्ट्रॉनिक्स/ इन्फारेंशन टेक्नोलॉजी/ फार्मास्यूटिकल क्रेमेस्ट्री)  
अधिकतम प्रवेश संख्या - 30 (प्रति विषय)  
(ii) B.Sc. II (बायोटेक्नोलॉजी)

सम्बद्धता की विस्तृत शर्तें पृथक से प्रेषित की जावेगी।

*M.J.S.*  
कुलसचिव  
P

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धन/07/1550/यू-1

दिनांक : 30.7.07

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, (अ.शा. महा. शाखा) सतपुड़ा भवन, भोपाल।
2. निदेशक, महाविद्यालयीन विकास परिषद् दि. वि. उज्जैन।
3. उपकुलसचिव, परीक्षा विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन
4. सहायक कुलसचिव, परीक्षा / गोपनीय / लेखा विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
5. संकायाध्यक्ष, विद्यार्थी कल्याण विभाग, वि. वि. उज्जैन।





## विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक / अकादमिक / संख्या / 3439

दिनांक 11.8.09

— सूचना —

विष्णा सत्र 2009-10 में नवीन पाठ्यक्रम / नवीन विषय / पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की आगामी कक्षा निरस्त हुए सम्बद्धता प्रदान करने के लिये, आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर निरीक्षण समिति की अनुशंसाओं को विद्यापरि की स्थायी समिति द्वारा (बिटक दि 08.04.2009 एवं 17.7.2009) में अनुमोदित किया गया है। शासन द्वारा सम्बद्ध नियरित अंतिम तिथि की विशेष परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए कुलपति जी द्वारा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय नियन्त्रण 1973 की धारा 15 (4) के तहत कार्यपरिषद की शक्तियों का उपयोग करते हुए महाविद्यालय के सत्र 2009 हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार सम्बद्धता की प्रावधिक अनुमति प्रदान की है :—

- (अ) महाविद्यालय का नाम — शा.माधव विज्ञान महाविद्यालय, उज्जैन  
 (ब) कक्षा / विषय / पाठ्यक्रम — M.Sc. Final (Chemistry,Zoology,Botany)  
 (अनुशासित अधिकतम स्थान संख्या) प्रत्येक विषय हेतु 25  
 B.C.A. I  
 (अनुशासित अधिकतम स्थान संख्या 60)

- 01 यह प्रावधिक अनुमति उच्चशिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के अंतर्गत प्रदान की गई है।  
 02 यह अनुमति पूर्णतः प्रावधिक है।

शर्तों - 1 महाविद्यालय द्वारा यदि आवेदित पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित शुल्क जमा नहीं कराया गया तो तात्परता रूप से दो दिवस में जमा करावे तथा वांछित शता की पूर्ति आवश्यक रूप से नियत अवधि में निर्दिष्ट/स्वीकृत संख्या से अधिक स्थानों पर प्रवेश दिए जाने पर विपरीत कार्यालयी नियमों के अनुसार इसके लिए महाविद्यालय ही जलाबदार होगा।  
 (टीप) — उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह अनुमति स्वभाव समझी जाती है।

क्रमांक / अकादमिक / संख्या / 3440  
 प्रतिलिपि :-

- 01 प्राधार्य, संबंधित महाविद्यालय ;  
 02 आयुक्त, उच्चशिक्षा विभाग (अ.शा.महा.शाखा) सत्रपुड़ा वन भोपाल।  
 03 कुलपतिजी एवं कुलसंघियजी के निजी सहायक, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।  
 04 निदेशक, महाविद्यालयीन विकास परिषद, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।  
 05 उपकुलसंघिय, परीक्षा विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।  
 06 सहायक कुलसंघिय, परीक्षा / गोपनीय / लेखा विभाग विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।



आदेशानुसार  
 10/8/09  
 उपकुलसंघिय अकादमिक

दिनांक

DT 11/27 12-8-09

उपकुलसंघिय अकादमिक

13-8-09



## विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक / अका. / सम्बद्धन / 2012/7042

दिनांक : - २२/६/०१२

प्रति,

प्राचार्य,  
शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय,  
देवास रोड, उज्जैन।

विषय :- विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 की धारा 24(XIII)एवं धारा 35(j) के तहत निर्मित परिनियम क्र. 27 अन्तर्गत सम्बद्धता प्रदान करने विषयक।

शिक्षा सत्र 2012-13 में नवीन संकाय / नवीन विषय / आगामी कक्षा की सम्बद्धता प्रदान करने के लिये परिनियम 27 के प्रावधानानुसार विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति की अनुशंसा को वर्तमान में धारा 52 (4) के तहत माननीय कुलपतिजी द्वारा अनुमोदित किया गया है, तदोपरांत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 15.06.2012 के निर्णयानुसार आपके महाविद्यालय को सत्र 2012-13 से निम्न विवरणानुसार शर्तों के अधीन नितान्त अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

कक्षा / विषय / पाठ्यक्रम :-

(1) एम.एससी.-पूर्वार्द्ध (एप्लाईड माईक्रोबॉयलोजी) (अनुशंसित अधिकतम प्रवेश संख्या 30)

महाविद्यालय द्वारा निम्न शर्तों की पूर्ति शीघ्र की जावे :-

01. यू.वी. स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एवं इन्क्यूबेटर, क्रय किये जाये।
02. पुरतकों की अतिरिक्त प्रतियाँ मंगवाये।
03. आवश्यक संरच्या में अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति की जाये।

टीप :- 01 उपरावत विषय / पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु शासन से निर्देश प्राप्त कर पालन करना सुनिश्चित करें एवं निश्चित / स्वीकृत संख्या से अधिक स्थानों पर प्रवेश न दिए जावे, अन्यथा विपरित कार्यवाही की जावेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तर दायित्व महाविद्यालय का होगा।

02 पत्र प्राप्ति के पश्चात महाविद्यालय को छः माह के भीतर समस्त अधिरोपित शर्ते पूर्ण करने का शपथ पत्र एक सप्ताह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। शर्ते छः माह में पूर्ण न होने पर सम्बद्धता स्वमेव निरस्त समझी जावेगी।

यह अस्थाई सम्बद्धता उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल के पत्र क्रमांक / 1028 / ६५२ / आउशि / योजना / 2012, दिनांक 14.05.2012 द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर प्रदान की गई है।

क्रमांक / अका. / सम्बद्धन / 2012/7043

प्रतिलिपि :-

01. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
02. क्षेत्रिय अतिरिक्त संचालक, इन्दौर - उज्जैन संभाग, मोती का तबेला इंदौर।
03. निदेशक, महाविद्यालयीन विकास परिषद् विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
04. सहायक कुलसचिव, परीक्षा / गोपनीय विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।

1927  
23/6/12

आदेशानुसार  
  
उपकुलसचिव (अकादमिक)  
दिनांक : - २२/६/०१२

सहायक कुलसचिव (अकादमिक)



## विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

कं./अका./सन्धिन/2010/ ४९०६  
प्रति.

दिनांक :-  
३१-७-१०

प्राचार्य,  
राजानाथ विज्ञान महाविद्यालय, उज्जैन

विषय :- सत्र 2010-11 हेतु अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने विषयक ।

रिक्षा सत्र 2010-11 में नवीन शास्यक्रम/ नवीन विषय/ सीट वृद्धि/ पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की आगामी कक्षा निरन्तरता हेतु सम्बद्धता प्रदान करने के लिये आपके जावेदत पर निरीक्षण समिति की अनुरागालों को विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 30 एवं 31 जुलाई 2010 में अनुमोदित किया गया है। अनुमोदन उपरात कुलपातिजी द्वारा कार्यपरिषद की स्वीकृति की प्रत्यक्षा में आपके महाविद्यालय को सत्र 2010-11 से निम्न विवरणानुसार शर्तों के अधीन निराज अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

### कक्षा / विषय / पाठ्यक्रम -

दो.सो.ए	- द्वितीय वर्ष (अनुशासित अधिकतम स्थान संख्या 60)
दो.रस.सो.	- तृतीय वर्ष (बायोइंजीनियरिंग)
एन.एस.सो.	(अनुशासित अधिकतम स्थान संख्या 60)

एन.एस.सो.	- पूर्वांड (इंस्ट्रैंग कार्नर्स्ट्रूटिकल केमेट्री)
	(अनुशासित अधिकतम स्थान संख्या 35)

शर्त :-

- 01 नहाविद्यालय द्वारा यदि आवेदित पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित शुल्क जमा नहीं करता तथा नवा हो तो आवश्यक लप से दो दिवस में जमा करते। निश्चित / स्वीकृत सरलता से अधिक स्थानों पर प्रवेश दिये जाने पर विजिरित छार्यवाही की जावेगी तथा इसके लिये नहाविद्यालय ही जवाबदार होगा।

टीप :- उपरोक्त शर्त पूर्ण न होने पर सम्बद्धता स्वेच्छा निरस्त सन्देश जावेगी।

- 01 यह अस्थायी सम्बद्धता उच्चशिक्षा विभाग, म.प्र.शासन, भोपाल द्वारा जारी अनावृत्ति प्रकाश पत्र के आधार पर प्रदान की गई है।  
02 यह सम्बद्धता पूरक अस्थायी है।

आदेशानुचार

२०१०  
सहायक कुलस्त्रिव (अकादमिक)

दिनांक -  
३१-७-१०

कं./अका./सन्धिन/2010/ ४९०६

प्रतिलिपि :-

- 01 आयुक्त, उच्चशिक्षा, म.प्र.शासन (अशास्त्रीय संस्थाएं) सत्रपुडा नक्ष भौमिका।  
02 क्षेत्रीय अलिरिक्त संचालक, इन्डौर उज्जैन सभाग, माती तब्ला, इन्डौर।  
03 निदेशक नहाविद्यालयीन विकास परिषद, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।  
04 सहायक कुलस्त्रिव (परीक्षा / नोटीफी/ अकादमिक) विभाग विश्वविद्यालय, उज्जैन।

२०१०  
सहायक कुलस्त्रिव (अकादमिक)

Principal

Govt. Model Vidyashala, Mahadevpur, Ujjain  
MP (M.P.)



## विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्र. / अंक. / सम्बद्धन / 2011 / 2904

दिनांक : - ३०-७-११

माध्यमिक शास्त्रीय माध्यविज्ञान महाविद्यालय,  
उज्जैन।

**विषय :-** विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 की धारा 24(XIII)एवं धारा 35(j) के तहत निर्मित परिनियम क्र. 27 वं खण्ड 11 के अन्तर्गत सम्बद्धता प्रदान करने विषयक।

शिक्षा सत्र 2011-12 में नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय/पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की आगामी कक्षा वर्षात हेतु सम्बद्धता प्रदान करने के लिये विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति की अनुशंसाओं को कुलपतिजी द्वारा धारा 52(अ)खण्ड 15 (4) के अंतर्गत अनुमोदन किया गया है, तदोपरात कार्यपरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा गे परिनियम 27 के अन्तर्गत आपके महाविद्यालय को सत्र 2011-12 से निम्न विवरणानुसार शर्तों के अधीन निरान्त अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

**क्र. / विषय / पाठ्यक्रम :-**

प्राचीन एस.सी. - पूर्वार्द्ध, गणित (अनुशंसित अधिकतम स्थान संख्या 40)

महाविद्यालय द्वारा निम्न शर्तों की पूर्ति शीघ्र की जावे :-

01. निश्चित/ दीकृत संख्या से अधिक स्थानों पर प्रवेश दिये जाने पर विपरित कार्यवाही की जावेगी तथा इसके लिये महाविद्यालय ही उत्तरदायी होगा।
02. सम्बद्ध विषय/पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु शासन से निर्देश प्राप्त कर पालन सुनिश्चित करें।
03. स्नातकोत्तम कक्षाओं के शिक्षण हेतु अनुभवी प्राध्यापकों की नियुक्ति की जावें।

**टीप :-** पत्र प्राप्ति के पश्चात एक सप्ताह के अन्दर महाविद्यालय को छः माह के भीतर समस्त अधिरोपित शर्तें पूर्ण करने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। शर्तें छः माह में पूर्ण न होने पर सम्बद्धता स्वमेव निरस्त समझी जावेगी।


आदेशानुसार

  
उपकुलसचिव (अकादमिक)  
दिनांक : - ३०-७-११

क्र. / अंक. / सम्बद्धन / 2011 / 2905

**प्रतिलिपि :-**

01. आय वर्त, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, सतपुडा भवन, भोपाल।
02. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, इन्दौर - उज्जैन संभाग, मोती का तबेला इंदौर।
03. निरेशक, महाविद्यालयीन विकास परिषद्, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
04. जाह यक कुलसचिव, परीक्षा/गोपनीय विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।

  
26-8-11

सहायक कुलसचिव (अकादमिक)

# विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2017/120  
प्रति,

दिनांक : 3/6/17

प्राचार्य,

श.माधव विज्ञान महाविद्यालय,  
उज्जैन।

**विषय :-** श. माधव विज्ञान महाविद्यालय का नाम सत्र 2017-18 की प्रवेश प्रक्रिया हेतु  
म.प्र.शासन के पोर्टल पर दर्ज कराने के संबंध में।

**संदर्भ :-** नौहाविद्यालय का पत्र क्रमांक/609, दिनांक 03.06.2017

**महोदय,**

उपरोक्त विषयाब्लॉगत लेख है कि, आपके द्वारा शैक्षणिक सत्र 2017-18 में निम्नानुसार  
विषयों की सम्बद्धता हेतु आवेदन पत्र शुल्क एवं मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के अनापत्ति  
प्रमाण-पत्र के साथ विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया गया है :-

**क्र. पाठ्यक्रम**

- |                                   |                                |                   |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 01. <u>पी.जी.डिप्लोमा इन योगा</u> | (एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम) | <b>सीट संख्या</b> |
| 02. <u>पी.जी.डी.सी.ए.</u>         | (एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम) | 60                |

उक्त विषयों की सम्बद्धता प्रकरण प्रक्रियाधीन है, लक्षण से वृति उपरान्त शीघ्र सम्बद्धता जारी  
कर दी जायेगी।

आदेशानुसार

कुलसचिव

**नोट :-** यह पत्र केवल म.प्र. शासन के पोर्टल पर उक्त महाविद्यालय का नाम दर्ज कराने एवं प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु जारी किया जा रहा है। छात्रों की परीक्षा सम्बद्धता पत्र जारी होने के पश्चात ती आयोजित कराई जायेगी।

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2017/121

दिनांक : 3/6/17

**प्रतिलिपि :-**

01. अविहिक्त संचालक, उच्च शिक्षा उज्जैन संभ.ग, श.माधव विज्ञान महाविद्यालय, उज्जैन।
02. प्राचार्य, श.कालिदास कव्या (ज्ञातकोत्तरांश्चाणी) महाविद्यालय, उज्जैन, की ओर ग्रेषित कर निवेदन है कि, शैक्षणिक सत्र 2017-18 से प्रवेश प्रक्रिया हेतु उक्त महाविद्यालय का नाम मध्यप्रदेश शासन, भोगल के पोर्टल पर अपलोड किये जाने की कार्यवाही संपादित करने का कष्ट करें।
03. विदेशक, महाविद्यालयीन विकास परिषद, विकास विश्वविद्यालय, उज्जैन।
04. उप/सहायक कुलसचिव, परीक्षा गोपनीय विभाग विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
05. प्रभारी, ऑनलाइन लैंटर, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
06. माननीय कुलपतिजी/कुलसचिव जी के नियमी रूप से, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

उपकुलसचिव(अकादमिक)

क्रमांक/अकादमिक/सम्बन्धता/20 7/120  
प्रति

## विक्रम विश्वविद्यालय जैन

दिनांक : 3/6/17

पाठ्यालय

शा.मा डॉ. जगन महाविद्यालय  
उज्जैन।

विषय :- इस संघर्ष विद्यालय जैन काम द्वारा 17/6/18 की प्रवेश प्रक्रिया हेतु  
क.प्र.शासन के गोट्टे पर उर्जा लंबागे के साथ सं

संदर्भ :- महाविद्यालय का पत्र क्रमांक/509, दिनांक 13/06/2017

महोदय,

उदाहरण विद्यालयीन लेख डै कि अपके द्वारा शैक्षणिक विषयों की उन्नति हेतु आयोग एवं शुल्क एवं मध्यप्रदेश शासन च शिक्षा विभाग के अनुपरि  
प्रभाग-पर तथा विद्यालयीन में प्रत्युत्त दिया जाया है :-

क्र. पाठ्यक्रम

01. पी.ज्ञ.डिलोमा इन दोगो एक वर्षीय डिलोमा पाठ्यक्रम  
02. पी.जी.डी.सी.ए. एक वर्षीय डिलोमा पाठ्यक्रम


सीट संख्या

60

60

उपर्युक्त विद्यालयीन प्रक्रिया प्रसिद्ध है। इस विद्यालयीन सम्बन्धता जारी कर दी जाती है।

आदेशालय द्वारा



कुलाचिव

नोट :- यह सभी केवल क.प्र.शासन के गोट्टे पर उक्त जैनविद्यालय का बाब दर्ज करने एवं प्रवेश प्रक्रिया प्राप्ति करने हेतु जारी किया जा रहा है छात्र जी इसीला उन्नति उन्नति पर जारी होने के पश्चात वे आयोजित करें जाएंगे।

क्रमांक/अकादमिक/सम्बन्धता/20 7/121

दिनांक 3/6/17

प्रतिलिपि :-

01. आगेरीक जैनालय, उच्च शिक्षा उज्जैन संक्र. ग्र. 1  
प्राचीन वा कालिक वा वृत्त्या गतिकोरण विधि  
का विद्यालय है कि शैक्षणिक 13/2/15  
का निम्न अधिकारों वा अधिकारों का दर्शक  
व्यापार करने का दाट करता है।  
03. लिंदेश्वर, महाविद्यालयीन विद्यालय परिषद, यि  
04. उप-सहायक कुलसचिव, परीक्षा गोपनीय बोर्ड  
प्रभारी और नियन्त्रित हैं विद्यालयीन  
06. राजनीति कूलपात्रों कुलपात्रों जै ले विद्या रीड  
की ओर सुधारार्थ प्रेरित।

इस विद्यालय जैनविद्यालय, उज्जैन।  
हायिन्द्रालय उज्जैन वा और प्रेषित  
वेद विद्यालय उज्जैन।  
उपर्युक्त विद्यालय उज्जैन।  
क. पिक्कम विद्यालय, उज्जैन।

लिंदेश्वर विद्यालय, उज्जैन।  
हिन्दू विद्यालय, उज्जैन।  
उज्जैन।

क. पिक्कम विद्यालय, उज्जैन।

उपकुलाचिव(अकादमिक)



## विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्र. / अका. / सम्बद्धन / 2011 / ५७१२

दिनांक : १ / १० / ०१

प्रति.

प्राचार्य,

शा.भाधव विज्ञान महाविद्यालय,  
उज्जैन।

**विषय :-** विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 की धारा 24(XIII) एवं धारा 35(j) के तहत निर्भित परिनियम क्र. 27 के खण्ड 11 के अन्तर्गत सम्बद्धता प्रदान करने विषयक।

शिक्षा सत्र 2011-12 में नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय/पूर्व सचालित पाठ्यक्रमों की आगामी कक्षा निरन्तरता हेतु सम्बद्धता प्रदान करने के लिये विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति की अनुशंसाओं को कुलपर्षाजी द्वारा धारा 52(4) एवं 15 (4) के अंतर्गत अनुमोदन किया गया है, तदोपरात कार्यपरिवद के अनुमोदन को प्रत्याशा में परिनियम 27 के अंतर्गत आपके महाविद्यालय को सत्र 2011-12 से निम्न विवरणानुसार शर्तों के अधीन नितान्त अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

कक्षा/विषय/पाठ्यक्रम :-

(1) पी.जी. डिप्लोमा इन फार्मासीटीकल क्लालिटी कंट्रोल एण्ड क्लालिटी एस्यरेस मेनेजमेंट

(अनुशंसित अधिकतम स्थान संख्या 30)

**महाविद्यालय द्वारा निम्न शर्तों की पूर्ति शीघ्र की जावे—**

01. महाविद्यालय में उक्त पाठ्यक्रमानुसार 50 पुस्तकें क्रय की जायें।

02. शासन के नियमों के अधीन समुचित संख्या में शिक्षकों (अतिथि विद्यार्थी) को नियुक्ति की जावे।

**टीप :-** 01. उपरोक्त विषय/पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु शासन से निर्देश प्राप्त कर पालन करना सुनिश्चित करें एवं निश्चित/स्वीकृत संख्या से अधिक स्थानों पर प्रवेश न दिये जावे अन्यथा विषयका कार्यवाही की जावेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तर दायित्व महाविद्यालय को होगा।  
02. पत्र प्राप्ति के पश्चात एक सप्ताह के अन्दर महाविद्यालय को छः माह के भीतर समर्त अधिरोपित शर्त पूर्ण करने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। शब्द 12 माह गे तरीन होने पर सम्बद्धता स्वरूप निरस्त समझी जावेगी।

\* यह अस्थायी सम्बद्धता उच्चशिक्षा विभाग, म.प्र.शासन भोपाल द्वारा जारी अनापत्ती प्रमाण-पत्र के आधार पर प्रदान की गई है।

आदेशानुसार

उपकुलसचिव (अकादमिक)

दिनांक : १ / १० / ०१

क्र. / अका. / सम्बद्धन / 2011 / ५७१३

प्रतिलिपि -01. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल।

02. क्षेत्रिय अतिरिक्त संचालक, इन्डोर - उज्जैन समाग, मोती का लघेला इंदौर।

03. निर्देशक, महाविद्यालयीन विकास परिषद विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।

04. सहायक कुलसचिव, परीक्षा/गोपनीय विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।

सहायक कुलसचिव (अकादमिक)

Principal  
Govt. Madhav Vigyan Mahavidyalaya  
UJJAIN (M.P.)

Scanned by CamScanner



आज दिनांक 10.02.16 को महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति की आवश्यक बैठक आयोजित की गई जिसमें निम्न पदाधिकारी तथा सदस्य उपस्थित थे —

श्री कवीन्द्र कियावत - जिलाधीश एवं अध्यक्ष  
 डॉ. (ओमती) उषा श्रीवास्तव - प्राचार्य एवं सचिव  
 डॉ. इन्द्रेश मंगल - सदस्य  
 डॉ. संजय शर्मा ५  
 श्री राकेश शर्मा ५  
 डॉ. (ओमती) शुभा जैन ५  
 श्री भरत व्यास ५  
 श्री सुभाष नागर ५  
 डॉ. अजय चतुर्वेदी ५  
 डॉ. संजय झानी ५

बैठक के प्रारंभ में समस्त पदाधिकारियों तथा सदस्यों का स्वागत किया गया।

जनभागीदारी समिति द्वारा कार्यसूची अनुसार निम्न-लिखित निर्णय लिये गये —

दिनांक 27.06.15 को आयोजित जनभागीदारी बैठक में पारित प्रस्तावों की पुष्टि की गई।

जनभागीदारी समिति के बजट प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया। यह बजट अनुमोदन सत्र 2016-17 हेतु किया गया।

विभिन्न स्वावितीय पाठ्यक्रमों से प्राप्त प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। महाविद्यालय में एम.एस.सी.एफ.जिक्स, एम.एस.सी.एम्प्यूटर साइंस एवं पी.जी.डी.सी.ए.

पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान होती है। अप्टरेज़र्लर रिसर्च प्रोग्राम प्रारंभने हेतु 5,00,000/- व्यय की अनुमति प्रदान की गई। महाविद्यालय में बी.एससी., रम. सससी. व बी.सी.ए. के विश्वविद्यालय सम्बन्धित शुल्क हेतु अनुमानित व्यय रु. 2,90,000/- की अनुमति प्रदान की गई।

महाविद्यालय में 22 अतिथि विद्यार्थियों के माल हेतु अनुमानित व्यय रु. 38,00,000/- की अनुमति प्रदान की गई।

महाविद्यालय में 9 लेक तकनीशीयन के माल हेतु अनुमानित व्यय रु. 9,72,000/- की अनुमति प्रदान की गई।

महाविद्यालय में 15 लेक अटेन्डेन्ट के माल हेतु अनुमानित व्यय रु. 12,60,000/- की अनुमति प्रदान की गई।

महाविद्यालय में 3 कम्प्यूटर, ऑपरेटर के माल हेतु अनुमानित व्यय रु. 3,60,000/- की प्रदान की गई। कम्प्यूटर इन्सट्रूक्टर का इसमें सामिल है।

महाविद्यालय में कलेज गतिविधियों हेतु व्यय रु. 1,00,000/- की अनुमति प्रदान होती है। इसमें फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम समिल है। महाविद्यालय में विजनेस इनक्यूबेशन सेन्टर अनुमानित व्यय रु. 1,20,000/- की अनुमति

प्रदान की गई।

महाविद्यालय में व्यक्तित्व विकास / उद्यमिता / कौशल विकास / कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु अनुमानित व्यय रु. 2,00,000/- की अनुमति प्रदान की गई।

महाविद्यालय में पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम हेतु अनुमानित व्यय रु. 40,000/- की अनुमति प्रदान की गई।

महाविद्यालय में भारतीय संस्कृति के शिक्षण एवं सुवा उत्सव के आयोजन हेतु अनुमानित व्यय 1,00,000/- की अनुमति प्रदान की गई। सांस्कृतिक विधाओं का प्रशिक्षण एवं स्थिक भौके कार्यक्रम के लिये इसमें सामिलित है।

महाविद्यालय में अतिथि व्यारव्यान / सेमीनार / विश्वान दिवस / महिला दिवस / योग दिवस / अन्य समान आयोजनों हेतु अनुमानित व्यय रु. 4,00,000/- की अनुमति प्रदान की गई। इसमें कार्यशाला, संगोष्ठी, ट्रेनिंग, रेगेडियल कोचिंग सामिलित है। महाविद्यालय में विद्यार्थियों के शैक्षणिक भ्रमण हेतु अनुमानित व्यय रु. 4,50,000/- की अनुमति प्रदान की गई।

महाविद्यालय में परिसर विकास, स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों के विभिन्न क्रम प्रस्तावों - पुस्तक क्रम / इलाइब्रेरी स्थापना / ऑफोमेशन / उपकरण / स्मार्ट क्लास रूम / सॉफ्टवेयर / कैमिकल्स ब ग्लासवेयर / ऑफिस

स्टेशनरी / बैब कैमरा / प्रयोगशाला, कक्षा फर्नीचर /  
कक्षाओं तथा उपकरणों के रखरखाव हेतु  
सामग्री क्रय आदि हेतु अनुमानित व्यय  
रु. 50,00,000/- की अनुमति प्रदान की गई।  
परिसर विकास में सीमेन्ट चेयर / ट्यूब वेल  
रवनन, मोटर इवं पाइप लाइन फिटिंग, सोल  
लाइट, जल प्रदाय हेतु टेकी क्रय इवं अन्य  
आवश्यक व्यवस्थाओं - पुताई, पेकर ब्लॉक्स,  
वाटी की विकास तथा अन्य विविध क्रय  
पर व्यय समिलित है। कार्यालय हेतु कम्प्यूटर  
क्रय राशि पर व्यय भी इसी में समिलित है।

महाविद्यालय में उत्कृष्टता पुरस्कार तथा राज्य  
स्तरीय / राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में विजेताओं को  
पुरस्कृत करने हेतु अनुमानित व्यय रु.  
50,000/- की अनुमति प्रदान की गई।

महाविद्यालय के विद्यार्थियों हेतु जर्न सह जर्न  
प्रोजेक्ट के अन्तर्गत दुकान किराया इवं अन्य  
गात्रविधि हेतु अनुमानित व्यय रु. 50,000/-  
की अनुमति प्रदान की गई।

महाविद्यालय परिसर में प्राद्यापकों तथा विद्यार्थियों  
के सहयोग से जल संरचना (लघु तालाब)  
बनवाया गया है। उसके विकासेत करने के  
लिये अनुमानित व्यय रु. 1,00,000/- की अनु-  
मति प्रदान की गई।



महाविद्यालय में विविध कार्य हेतु अनुमति निम्नलिखित  
व्यय रु. 5,00,000/- की अनुमति प्रदान  
की गई। बायोमेट्रिक मशीन क्रय स्वं संधारण  
का व्यय इसमें सम्मिलित है।

प्राचार्य को अधिकतम वार्षिक रु. 2,00,000/- के  
व्यय की विवेकाधीन अनुमति तथा स्क बार  
में अधिकतम रु. 50,000/- की राशि व्यय  
करने की अनुमति प्रदान की गई।

*[Signature]*

प्राचार्य स्वं सचिव

*[Signature]*

कलेक्टर स्वं अध्यक्ष  
कलेक्टर  
जिला उज्ज॒

आज दिनांक 03.11.2016 को महाविद्यालय की जनभागी-दारी समिति की आवश्यक बैठक आयोजित की गई जिसमें निम्न पदाधिकारी तथा सदस्य उपस्थित थे -

श्री संकेत भोड़वे - जिलाधीश स्वरूप अध्यक्ष-

डॉ. (श्रीमती) उषा श्रीवास्तव - प्राचार्य स्वरूप सचिव

डॉ. अनंद चतुर्वेदी - सदस्य

श्री प्रमोद जैन -

डॉ. इन्द्रेश मंगल -

श्री तोमर -

डॉ. (श्रीमती) शुभा जैन -

श्री संजय ज्ञानी -

श्री भरत व्यास -

श्री राकेश शर्मा -

संगीता तिवारी -

बैठक के प्रारंभ में समस्त पदाधिकारियों तथा सदस्यों का स्वागत किया गया।

जनभागीदारी समिति द्वारा कार्यसूची अनुसार निम्नलिखित निर्णय लिये गये —

दिनांक 10.02.2016 को आयोजित जनभागीदारी बैठक में पारित प्रस्तावों की पुष्टि की गई।

जनभागीदारी समिति के बजाए प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया।

विषेन्न रखीकरण पाठ्यक्रमों से प्राप्त प्रस्तावों को स्वीकृत प्राप्त की गई।

कलस्टर गतिविधियों (वर्कशॉप, सेमीनार, ट्रेनिंग आदि का आयोजन स्वं विद्यार्थियों द्वारा अन्य महाविद्यालय में सहभागिता हेतु पेजीयन, यात्रा स्वं अन्य भुगतान हेतु रु. 4.00 लाख रुपीकृत किये गये।

डैडर ग्रेजुस्ट रिसर्च प्रोग्राम (आई.आई.टी.) इन्होंने के सहयोग से) वर्कशॉप, सेमीनार, ट्रेनिंग आदि के आयोजन स्वं विद्यार्थियों द्वारा अन्य महाविद्यालय में सहभागिता हेतु पेजीयन, यात्रा स्वं अन्य भुगतान हेतु रु. 2.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई।

साईंस और आर्ट वर्कशॉप (वैज्ञानिकों के जीवन पर आधारित नाटक, विभिन्न वैज्ञानिक विचारों का नवाचारी मंचन स्वं प्रदर्शन, अंधावैश्वास स्वं कुरीतियों के निर्मूलन हेतु येतना प्रसार प्रचार आदि के आयोजन हेतु मानदेय भुगतान स्वं अन्य व्यय हेतु रु. 2.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई।

महाविद्यालय में ररवी लोहे की जालियों को बढ़ा करने हेतु रु. 2.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई।

इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में कम्प्यूटर टेक्न तथा क्लासरूम फर्नीचर तथा अन्य प्रयोगशाला उपकरण हेतु रु. 2.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई।

कम्प्यूटर साईंस विभाग में नये प्रयोगशाला निवास स्वं पुराने कम्प्यूटर सिस्टम अपग्रेड करने हेतु



रु. ३०.०० लाख की स्वीकृति प्रदान की गई।

माइक्रोबॉयलाजी विभाग में उपकरणों के रिफ़ेरर के लिये १.०० लाख की स्वीकृति प्रदान की गई।

बी.सी.ए. विभाग की कार्यशाला के लिये १.०० लाख की स्वीकृति प्रदान की गई।

सांख्यिकी विभाग में एस पी एस एस प्राशिकाण हेतु रु. २५. हजार की स्वीकृति प्रदान की गई।

रसायन विभाग में सी.एन.जी. बैस कनेक्शन हेतु रु. १.०० लाख की स्वीकृति प्रदान की गई।

रसायन शास्त्र के अण्डार गृह एवं बिजली विभाग एवं फनीचर की मरम्मत के लिये १.५० लाख की स्वीकृति प्रदान की गई।

महाविद्यालय में योग विषय में साईफिकेट पाठ्यक्रम डिप्लोमा पाठ्यक्रम, पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की गई। इसके सम्बावन व्यय रु. ३.०० लाख की स्वीकृति प्रदान की गई।

जियोलॉजी विभाग में कम्प्यूटर क्रय एवं पार्टीशन हेतु रु. १.०० लाख स्वीकृत किये गये।

बायोइफैटेक्स विभाग में कम्प्यूटर क्रय करने हेतु १.०० लाख स्वीकृत किये गये।



कार्यालय में हाई-स्पीड कनेक्शन के अनुमति हेतु  
वार्षिक रु. 65000/- की स्वीकृति प्रदान की गई।

विद्यार्थियों से लिये जाने वाले शुल्क में विकास शुल्क  
रु. 200/- से बढ़ाकर, छात्रों के लिए रु. 300/- और  
रु. 250/- छात्राओं के लिए करने की अनुमति प्रदान  
की गई। प्रयोगशाला शुल्क, स्नातक स्तर पर, रु.  
50/- प्रति विषय से बढ़ाकर रु. 100/- प्रति विषय  
(सिर्फ छात्रों के लिये) करने की अनुमति प्रदान  
की गई। स्नातकोत्तर स्तर पर प्रयोगशाला शुल्क  
छात्रों के लिये रु. 150/- से बढ़ाकर रु. 500/- तक  
छात्राओं के लिये 400/- रु. करने की अनुमति प्रदान  
की गई। समस्त वित्तीय पाठ्यक्रमों के शिक्षण में  
में रु. 1000/- की वृद्धि करने की अनुमति प्रदान  
की गई।

प्रयोगशाला सहायकों का मानदेय रु. 9000/- से  
बढ़ाकर रु. 10500/- तथा आतिथे व्याख्याताओं का  
मानदेय रु. 15000/- से बढ़ाकर रु. 16500/-  
करने की अनुमति प्रदान की गई।

स्मार्ट सिटी की ट्लाइंग एवं स्वच्छ भारत अभियान  
से सम्बन्धित सेमीनार / वर्कशॉप आयोजित करने की  
अनुमति प्रदान की गई। इसका आयोजन जनवरी  
2017 में किया जारू।

स्टार्ट-अप योजना के प्रचार प्रसार हेतु कार्यक्रम  
किये जावे तथा विद्यार्थियों से प्रस्ताव प्राप्त  
करनेकर महोदय के माध्यम से बैंक भेजे जावे

महाविद्यालय में साइन - बोर्ड - 2 Nos. लगवाने के लिये रु. 1.50 लाख रुपीकृत किये गए।

शुल्क Soil - Testing Kit का करने हेतु रु. 500 लाख रुपीकृत किये गये।

अन्य संस्थानों की रुपीकृत दर पर महाविद्यालय में Private Security Agency को नियुक्त किया जावे।

Conference-Hall को well-equipped (with AC, chairs, LCD projector आदि) करने के लिये रु. 5.00 लाख रुपीकृत किये गए।

Waste to wealth प्रोग्राम का प्रचार प्रसार किया जाए। इक लौरी केराये से लेकर e-waste का collection किया जाए। इकात्रित e-waste का auction किया जाएगा।

Fire-audit एवं Green-audit करवाने के लिये रु. 2.00 लाख रुपीकृत किये गए।

तहसीलदार को पत्र लिखकर महाविद्यालय की भूमि का सीमांकन करवाया जाए। तत्पश्चात Boundary wall का निर्माण किया जावे।

निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिला योजना समिति के माध्यम से किये जाने के निर्देश दिये गये। इनमें होने वाले व्यय का आधा जिला योजना समिति का द्वारा किया जाएगा।

सभी कार्यक्रमों के लिए विभेन्न समितियाँ बनाई जाएं जिसमें एक सदस्य जनभागीदारी समिति हो।

कन्या धात्रावास के निमित्त कार्य को पूरा करने हेतु महाविद्यालय जनभागीदारी से रु 10.00 लाख उच्चतम विकास प्राधिकरण में जमा कराये जायें। यू.जी.एस. से राशि प्राप्त होने पर पुनः महाविद्यालय जनभागीदारी में लिये जाएँ। इस हेतु प्रमुख संस्था उच्च शिक्षा से अनुमति प्राप्त कर ली जाए।

आंतरिक व्याख्याता आदि की वेतन वृद्धि माह दिसंबर 2016 रुपये शुरू कर वृद्धि सत्र 2017-18 से लागू होनी।

महाविद्यालय में पार्किंग सरिया, साईकिल स्टेप, केन्टीन एवं मुख्य प्रवेश द्वार हेतु तकनीकी प्राप्ति लेने वाले नि.वि. की तकनीकी स्वीकृति के आधार पर स्वीकृति किये गए। यह भी नियमित लिया गया कि उपर्युक्त में से साईकिल स्टेप एवं केन्टीन वी.ओ.टी. आधार पर चलाने के प्रयास किए जाएँ।

# कार्यालय प्राचार्य, शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय, उज्जैन

शास्त्रो का नाम - जनभागीदारी समिति

प्रभारी अधिकारी - डॉ. अर्पण भारद्वाज

NSP-

प्रभारी शास्त्रो लिपिक - श्री संजीव शास्त्री

आपरेटर का नाम - श्री मयंक श्रोत्रिय

आचार्य  
कमांड

विषय :- जनभागीदारी समिति बैठक दिनांक 03.11.17 को पारित प्रस्तावों की पुष्टि हेतु  
हस्ताक्षर विषयक

आचार्य  
कमांड

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है की महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति की बैठक  
आपकी अध्यक्षता मे दिनांक 03.11.17 को आहूत की गई थी। उक्त बैठक में पारित  
प्रस्ताव हस्ताक्षर हेतु आपकी और प्रेषित है।

कृपया हस्ताक्षर करने का कष्ट करें।

अध्यक्ष महादय,

3896  
30/11/16  
06/12/16

प्राचार्य एवं सचिव

al

SD  
कलेपटर  
जिला संघ

**कार्यालय,प्राचार्य शा.माधव विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय  
उज्जैन(म.प्र)**

नेक द्वारा ए.ग्रेड प्रदत्त एवं डी.एस.टी.—एफ.आई.एस.टी. महाविद्यालय  
फोन/फैक्स : 0734 –2511803 / 0734252236 ईमेल:prinmvm@yahoo.co.in  
महाविद्यालय कोड –1812

**जनभागीदारी समिति की बैठक दिनांक 03.11.16**

दिनांक 03.11.16 को महाविद्यालय की जनभागीदारी की आवश्यक बैठक कलेक्टर श्री संकेत भोंडवे की उपस्थिति में सम्पन्न हुई जिसमें निम्न पदाधिकारी तथा सदस्य उपस्थित थे।

- 1.श्री संकेत भोंडवे – कलेक्टर एवं अध्यक्ष
- 2.डॉ.(श्रीमती)उषा श्रीवास्तव – प्राचार्य एवं सचिव
- 3.डॉ.अजय चतुर्वेदी, सदस्य जनभागीदारी समिति
- 4.श्री प्रमोद जैन ,सांसद प्रतिनिधि जनभागीदारी समिति
- 5.डॉ.इन्द्रेश मंगल, सदस्य जनभागीदारी समिति
- 6.श्री अनिलसिंह तोमर प्रतिनिधि लोक निर्माण विभाग सदस्य जनभागीदारी समिति
- 7.डॉ.(श्रीमती)शुभा जैन, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन सदस्य जनभागीदारी समिति
- 8.श्री संजय ज्ञानी, अल्केमी इन्डस्ट्रीज उद्योगपुरी ,मक्सी रोड उज्जैन सदस्य जनभागीदारी समिति
- 9.श्री भरत व्यास, शा.उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय उज्जैन (म.प्र.) सदस्य जनभागीदारी समिति
- 10.श्री राकेश शर्मा ,उज्जैन (म.प्र.) सदस्य जनभागीदारी समिति
- 11.संगीता तिवारी ,त्रिष्णु नगर उज्जैन सदस्य जनभागीदारी समिति

बैठक का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है। :-

- 1.गत बैठक 10/02/16 की कार्यविवरण की चर्चा  
**कार्यविवरण की पुष्टि**
  3. कलस्टर गतिविधियों (वर्कशाप,ट्रेनिंग, सेमीनार,पंजीयन यात्रा एवं अन्य भुगतान)हेतु लगभग रु 4.00 लाख बजट का प्रस्ताव।  
**प्रस्ताव पारित**
  4. अंडर ग्रेजुएट रिसर्च प्रोग्राम के अन्तर्गत विद्यार्थियों द्वारा अन्य महाविद्यालयों में सहभागिता,पंजीयन यात्रा,एवं अन्य भुगतान हेतु लगभग रु 2.00 लाख बजट का प्रस्ताव।  
**प्रस्ताव पारित**
  5. सांइस थू आर्ट वर्कशाप(वैज्ञानिक मंचन,प्रदर्शन,अंधविश्वास एवं कुरुतियों के निर्मूलन एवं अन्य व्यय हेतु लगभग 1.00 लाख बजट का प्रस्ताव।  
**प्रस्ताव पारित**
  6. महाविद्यालय मे रखी लोहे की जालियों को फिट करने हेतु रु 2.00 लाख बजट का प्रस्ताव।  
**प्रस्ताव पारित**

**कार्यालय, प्राचार्य शा. माधव विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय**  
**उज्जैन(म.प्र)**

नेक द्वारा ए ग्रेड प्रदत्त एवं डी.एस.टी.-एफ.आई.एस.टी. महाविद्यालय

फोन/फैक्स : 0734 -2511803 / 0734252236  
महाविद्यालय कोड - 1812

ईमेल:prinmvm@yahoo.co.in

7. इलेक्ट्रॉनिक विभाग में कम्प्यूटर टेबल तथा क्लासरूम, फर्निचर तथा अन्य प्रयोगशाला उपकरण हेतु रु 2.00 लाख बजट का प्रस्ताव।

**प्रस्ताव पारित**

8. कम्प्यूटर सांइंस विभाग में नये प्रयोगशाला निर्माण एवं पुराने कम्प्यूटर सिस्टम अपग्रेड करने हेतु रु 30.00 लाख बजट का प्रस्ताव।

**प्रस्ताव पारित**

9. माइक्रोबॉयलोजी विभाग में उपकरणों के रिपेयर हेतु रु 1.00 लाख बजट का प्रस्ताव।

**प्रस्ताव पारित**

10. बी.सी.ए विभाग की कार्यशाला हेतु रु 1.00 लाख का प्रस्ताव।

**प्रस्ताव पारित**

11. सांख्यिकी विभाग में एस पी एस एस प्रशिक्षण हेतु रु 25 हजार का प्रस्ताव।

**प्रस्ताव पारित**

12. रसायन विभाग में सी.एन.जी गैस कनैक्शन हेतु 1.00 लाख का प्रस्ताव।

**प्रस्ताव पारित**

13. रसायन शास्त्र के भण्डार ग्रह एवं बिजली विभाग एवं फर्निचर की मरम्मत हेतु रु 1.50 लाख लाख का प्रस्ताव।

**प्रस्ताव पारित**

14. महाविद्यालय में योग में सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम, डिप्लोमा पाठ्यक्रम, पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम एवं पी.जी.डी.सी.ए पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु रु 3.00 लाख का प्रस्ताव।

**प्रस्ताव पारित**

15. जियोलौजी विभाग में कम्प्यूटर क्रय एवं पार्टिशन हेतु रु 1.00 लाख का प्रस्ताव।

**प्रस्ताव पारित**

16. कार्यालय में हाई-स्पीड नेट कनैक्शन के भुगतान हेतु रु 65000 हजार का प्रस्ताव।

**प्रस्ताव पारित**

17. विद्यार्थियों से लिये जाने वाले शुल्क में विकास शुल्क में रु 200.00 से बढ़ाकर रु 300.00 व प्रयोगशाला शुल्क स्नातक स्तर पर रु 50.00 प्रति विषय से बढ़ाकर रु 100.00 प्रति विषय एवं स्नातकोत्तर स्तर पर रु 150.00 से बढ़ाकर रु 500 तथा समस्त स्व वित्तीय पाठ्यक्रमों के शिक्षण शुल्क में रु 1000.00 की वृद्धि करने का प्रस्ताव।

**प्रस्ताव पारित**

18. प्रयोगशाला सहायकों का मानदेय रु 9000.00 से बढ़ाकर रु 10500.00 व अतिथि व्याख्याताओं का मानदेय रु 15000.00 से बढ़ाकर रु 16500.00 करने का प्रस्ताव।

**प्रस्ताव पारित**

19. अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय:-

1. बायोइन्फोर्मेटिक्स विभाग में कम्प्यूटर क्रय करने हेतु 1.00 लाख की राशि का प्रस्ताव पारित।

2. स्मार्ट सिटी की प्लानिंग एवं स्वच्छ भारत अभियान से सम्बन्धित सेमीनार, वर्कशाप, आयोजित किया जाए।

3. स्टार्ट-अप, स्टेण्डअप योजना के प्रचार प्रसार हेतु कार्यक्रम किये जावें तथा विद्यार्थियों से प्रस्ताव प्राप्त कर कलेक्टर महोदय के माध्यम से बैंक भेजे जावें।

4. महाविद्यालय में 2 साइन - बोर्ड लगवाने के लिए 1.50 लाख की राशि का प्रस्ताव पारित।

5. सोइल टेस्टिंग क्रय करने हेतु रु 1.50 लाख की राशि का प्रस्ताव पारित।

6. अन्य संस्थानों की स्वीकृत दर पर में प्रायवेट सेक्यूरिटी एजेंसी को नियुक्त किया जाए।

# कार्यालय, प्राचार्य शा. माधव विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय

उज्जैन(म.प्र)

नेक द्वारा ए ग्रेड प्रदत्त एवं डी.एस.टी.—एफ.आई.एस.टी. महाविद्यालय

फोन/फैक्स : 0734 -2511803 / 0734252236  
महाविद्यालय कोड — 1812

ईमेल:prinmvm@yahoo.co.in

7. कॉन्फ्रेन्स हॉल को आधुनिक स्वरूप देने हेतु (एयरकंडीशनर्स, कॉन्फ्रेन्स चेयर, एल.सी.डी आदि आवश्यक सामग्री) हेतु 5.00 लाख की राशि का प्रस्ताव पारित।
8. फायर ऑडिट एवं ग्रीन ऑडिट करवाने हेतु रु 2.00 लाख की राशि का प्रस्ताव पारित।
9. तहसीलदार को पत्र लिखकर महाविद्यालय की भूमि का सीमांकन करवाया जाए। तत्पश्चात् बाउंडरी वॉल का निर्माण किया जाए।
10. निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिला योजन समिति के माध्यम से किया जाए एवं इनमें होने वाले व्यय का आधा व्यय जिला योजना समिति द्वारा किया जावेगा।
11. सभी कार्यक्रमों के लिए विभिन्न समितियाँ बनाई जावें, जिसमें एक सदस्य जनभागीदारी समिति से हो।
12. कन्या छात्रावास के निर्माण कार्य को पूरा करने हेतु महाविद्यालय जनभागीदारी से रु 10.00 लाख उज्जैन विकास प्राधिकरण में जमा कराये जाए। इस हेतु प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा से अनुमति प्राप्त कर ली जाए।
13. अतिथि व्याख्याता आदि की वेतन वृद्धि माह दिसम्बर 2016 एवं शुल्क वृद्धि सत्र 2017-18 से लागू की जाए।
14. महाविद्यालय में पार्किंग एरिया, साईकिल स्टेण्ड, केन्टीन एवं मुख्य प्रवेश द्वार हेतु तकनीकी प्रावकलन लो.नि.वि. की तकनीकी स्वीकृति के आधार पर स्वीकृत किये गए। यह भी निर्णय लिया गया कि उपर्युक्त में से साईकिल स्टेण्ड एवं केन्टीन बी.ओ.टी. आधार पर चलाने के प्रयास किये जाए।

(डॉ. उषा श्रीवास्तव)  
प्राचार्य/सचिव ज.भा.समिति

12/11/16  
(श्री संकेत भौदवे)  
कलेक्टर/अध्यक्ष  
जनभागीदारी समिति

प्राचार्य एंव सचिव जनभागीदारी समिति शा. माधव विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय उज्जैन

प्रति,

डॉ. मोहन यादव जी  
विधायक उज्जैन दक्षिण एंव अध्यक्ष जनभागीदारी समिति  
शा. माधव विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय  
उज्जैन

विषय – जनभागीदारी समिति की बैठक के मिनिट्स पर हस्ताक्षर करने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक 15.11.17 को आयोजित जनभागीदारी समिति की बैठक में पारित प्रस्ताव के मिनिट्स हस्ताक्षर हेतु आपकी ओर प्रेषित है। कृपया हस्ताक्षर करने का कष्ट करे।

धन्यवाद

(डॉ. श्रीमती उषा श्रीवास्तव )  
प्राचार्य एंव सचिव जनभागीदारी समिति

# कार्यालय, प्राचार्य शा. माधव विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय

उज्जैन(म.प्र)

नेक द्वारा ए.ग्रेड प्रदत्त एवं डी.एस.टी.-एफ.आई.एस.टी. महाविद्यालय फोन/फैक्स :

0734 -2511803 / 0734252236 ईमेल:prinmvm@yahoo.co.in महाविद्यालय कोड -1812

जनभागीदारी समिति की बैठक दिनांक 15.11.17

दिनांक 15.11.17 को महाविद्यालय की जनभागीदारी की आवश्यक बैठक डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में सम्पन्न हुई जिसमें निम्न पदाधिकारी तथा सदस्य उपस्थित थे।

1. डॉ. मोहन यादव - अध्यक्ष जनभागीदारी समिति
2. डॉ. अर्पण भारद्वाज - प्रभारी प्राचार्य
3. श्री प्रमोद जैन सांसद प्रतिनिधि सदस्य जनभागीदारी समिति
4. डॉ. शुभा जैन सदस्य जनभागीदारी समिति
5. श्री राकेश शर्मा सदस्य जनभागीदारी समिति
6. श्री संजय शर्मा सदस्य जनभागीदारी समिति
7. श्री संजय ज्ञानी, अल्केमी इन्डस्ट्रीज उद्योगपुरी, मक्सी रोड उज्जैन सदस्य जनभागीदारी समिति
8. डॉ. आई. के. मंगल सदस्य जनभागीदारी समिति
9. डॉ. अजय चतुर्वेदी सदस्य जनभागीदारी समिति
10. श्रीमती संगीता तिवारी सदस्य जनभागीदारी समिति
11. श्री भरत व्यास प्राचार्य शा. उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शास्त्री नगर उज्जैन

## विशेष आमंत्रित सदस्य

1. श्री अश्विनी कुमार गुप्ता
2. श्री सुभाष पाटीदार
3. श्री पवन पाण्डेय
4. श्री रविशंकर वर्मा
5. श्री मोहनलाल चौधरी

बैठक का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है। :-

1. बैठक के प्रारम्भ में समस्त सदस्यों का परिचय नवमनोनीत अध्यक्ष डॉ. मोहन यादव के साथ करवाया गया।

2. गत बैठक 27/05/17 की कार्यविवरण की चर्चा

### कार्यविवरण की पुष्टि

3 महाविद्यालय के विकास की कड़ी में कन्या छात्रावास की बाउण्ड्री वाल हेतु महाविद्यालय के अंशदान के रूप में 08.89 लाख रु. तथा साइकिल स्टैण्ड के निर्माण हेतु महाविद्यालय के अंशदान के रूप में राशि 16.62 रु का प्रस्ताव

### प्रस्ताव पारित

4. रसायन एंव फार्मास्यूटिकल विभाग द्वारा प्रस्तुत सेमीनार आयोजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया तथा व्यय राशि जनभागीदारी मद से नियमानुसार दिए जाने की स्वीकृति का प्रस्ताव

### प्रस्ताव पारित

5. जल बचाओ कल बचाओ कार्यक्रम के अन्तर्गत छत पर रखी पानी की टंकियों में ऑटोमेटिक कट ऑफ, फ्लोट वॉल्व, सेन्सर आदि व्यवस्थाओं हेतु रु. 25000/- की स्वीकृति प्रदान की गई।

### प्रस्ताव पारित

6. विद्यार्थियों द्वारा केन्टीन संचालन करने हेतु जनभागीदी समिति द्वारा स्वीकृति देने का प्रस्ताव  
प्रस्ताव पारित

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नानुसार निर्देश प्रदान किए गए।

1. बास्केट बॉल तथा कबड्डी तथा अन्य खेल मैदानों के निर्माण की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु कीड़ा अधिकारी को निर्देश प्रदान किए गए तथा जिम का नियमित उपयोग सुनिश्चित करे आवश्यक होने पर सहायक को कलेक्टर दर पर आमंत्रित करने के निर्देश दिए।

2. वनस्पति विभाग वाले गेट वाली दिशा में तथा अन्य स्थानों पर सी.सी.टी.वी कैमरे लगावे।  
इस कार्य में व्यय होने वाली राशि जनभागदारी मद से देने की स्वीकृति प्रदान की गई।

W.M.C.

3. पी.डब्ल्यू.डी को सर्विस रोड का ऐस्टीमेट बनवाने के निर्देश दिए। इस कार्य में व्यय होने वाली राशि जनभागदारी मद से देने की स्वीकृति प्रदान की गई।

4. कॉलेज केम्पस का मास्टर प्लान तैयार करवाना जाए। और इस हेतु निजी आर्कीटेक्ट की सेवाये भी ली जा सकती है। जिसका भुगतान जनभागीदारी मद से करने के निर्देश दिए।  
इस कार्य में व्यय होने वाली राशि जनभागदारी मद से देने की स्वीकृति प्रदान की गई।

5. पुराने छात्रों का सम्मेलन आयोजित किया जाए। और इस अवसर पर स्मारिका का प्रकाशन करने के निर्देश दिए। इस कार्य में व्यय होने वाली राशि जनभागदारी मद से देने की स्वीकृति प्रदान की गई।


6. विक्रम महोत्सव की तैयारी के अवसर पर कार्यशाला, और विज्ञान की समृद्धि हेतु कार्यक्रम का आयोजन किया जाए तथा इन कार्यक्रमों में अन्य स्थानीय महाविद्यालय पोलीटेक्नीक एंव इंजीनियरिंग महाविद्यालयों को सम्मेलित करवाने के निर्देश दिए। इस कार्य में व्यय होने वाली राशि जनभागदारी मद से देने की स्वीकृति प्रदान की गई।

7. महाविद्यालय में संभाग स्तरीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता एंव विज्ञान प्रदर्शनी के आयोजन किए जाने के निर्देश दिए। इस कार्य में व्यय होने वाली राशि जनभागदारी मद से देने की स्वीकृति प्रदान की गई।

8. महाविद्यालय के विद्यार्थियों को तारामण्डल एंव डोंगला स्थित वेधशाला का प्रशिक्षण भ्रमण भी करवाया जाए एंव आवश्यक राशि का प्रावधान जनभागीदारी एंव विधायक निधि के समन्वय से किये जाने के निर्देश दिए। इस कार्य में व्यय होने वाली राशि जनभागदारी मद से देने की स्वीकृति प्रदान की गई।

9. छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए कम्युनिकेशन स्किल, नवाचार, एंव शोध प्रवृत्ति को प्रेरित करने हेतु विद्यालयों तथा महाविद्यालय के बीच बेहतर समन्वय के साथ कार्यशाला आयोजित की जाए। इस आयोजन में व्यय होने वाली राशि जनभागदारी मद से देने की स्वीकृति प्रदान की गई।

10. बाहरी छात्रों के प्रवेश को रोकने के लिए नियमित रूप से सभी विद्यार्थियों को परिचय – पत्र रखने के निर्देश दिए। इस कार्य में व्यय हुई राशि रु. 30000/- की स्वीकृति प्रदान की गई।
11. विश्व बैंक को भेजे जाने वाली संस्थागत विकास योजना को तैयार करने में व्यय हुई राशि रु. 15000/- की स्वीकृति प्रदान की गई।

  
(डॉ. श्रीमती उषा श्रीवास्तव )  
प्राचार्य एंव सचिव जनभागीदारी समिति

  
(डॉ. मोहन यादव)  
विधायक एंव अध्यक्ष जनभागीदारी समिति



# कार्यालय प्राचार्य, शासकीय माधव विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय

## उज्जैन(म.प्र.)

क्रमांक / 588

दिनांक : 29.05.17

प्रति,

श्री के.के. रावत  
संयुक्त कलेक्टर  
उज्जैन (म.प्र.)

विषय : जनभागीदारी की बैठक के मिनट्स पर हस्ताक्षर करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जनभागीदारी की बैठक दिनांक 27.05.17 को आपकी अध्यक्षता में आहूत की गई थी। इस बैठक में पारित प्रस्तावों को लेख बद्ध कर मिनट्स हस्ताक्षर हेतु आपकी ओर प्रेषित है। कृपया हस्ताक्षर करने का कष्ट करें।

धन्यवाद

प्राचार्य

शा. माधव विज्ञान स्नातकोत्तर महा.  
उज्जैन

# कार्यालय, प्राचार्य शा. माधव विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय

उज्जैन(म.प्र)

नेक द्वारा ए.ग्रेड प्रदत्त एवं डी.एस.टी.—एफ.आई.एस.टी. महाविद्यालय

फोन/फैक्स : 0734 -2511803 / 0734252236

ईमेल:prinmvm@yahoo.co.in महाविद्यालय कोड - 1812

## जनभागीदारी समिति की बैठक दिनांक 27.05.17

दिनांक 27.05.17 को महाविद्यालय की जनभागीदारी की आवश्यक बैठक संयुक्त कलेक्टर श्री के.के रावत की उपस्थिति में सम्पन्न हुई जिसमें निम्न पदाधिकारी तथा सदस्य उपस्थित थे।

1. श्री के.के रावत - संयुक्त कलेक्टर
2. डॉ. मोहन यादव - विधायक उज्जैन दक्षिण
3. डॉ.(श्रीमती) उषा श्रीवास्तव - प्राचार्य एंव सचिव
4. श्री प्रमोद जैन - सांसद प्रतिनिधि जनभागीदारी समिति
5. डॉ.(श्रीमती) शुभा जैन - सदस्य जनभागीदारी समिति
6. श्री संजय ज्ञानी - सदस्य जनभागीदारी समिति
7. श्री राकेश शर्मा - सदस्य जनभागीदारी समिति
8. संगीता तिवारी - सदस्य जनभागीदारी समिति
9. डॉ. अजय चतुर्वेदी - सदस्य जनभागीदारी समिति
10. श्री सुभाष नागर - सदस्य जनभागीदारी समिति
11. श्री अनिलसिंह तोमर प्रतिनिधि लोक निर्माण विभाग सदस्य जनभागीदारी समिति

बैठक में निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए एंव पारित किए गए।

1. गत बैठक 03/11/16 की कार्यविवरण की चर्चा

### कार्यविवरण की पुष्टि

2. विभिन्न स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों से प्राप्त निम्न प्रस्तावों की स्वीकृति का प्रस्ताव  
**प्रस्ताव पारित**
3. बी.एससी.पाठ्यक्रम के अन्तर्गत एन.सी.सी. को एक ऐच्छिक विषय (स्ववित्तीय पाठ्यक्रम) के रूप में प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करें।

### प्रस्ताव पारित

4. महाविद्यालय में बी.एससी., एम.एससी. व बी.सी.ए के विश्वविद्यालय समबद्धता शुल्क हेतु अनुमानित व्यय 2,47,500/- बजट का प्रस्ताव

### प्रस्ताव पारित

5. महाविद्यालय में 27 अतिथि विद्वानों के मानदेय(रु 16500.00 प्रतिमाह की दर से 11माह हेतु) हेतु अनुमानित व्यय 49,00,500/- बजट का प्रस्ताव

### प्रस्ताव पारित

6. महाविद्यालय में 12 लेब तकनीशियन के मानदेय (रु 10500.00 प्रतिमाह की दर से 12 माह हेतु) हेतु अनुमानित व्यय 15,12000/- बजट का प्रस्ताव

### प्रस्ताव पारित

7. महाविद्यालय में 19 लेब अटेन्डेन्ट के मानदेय हेतु (अनुमानि रु 7500.00 प्रतिमाह की दर कलेक्टर दर से 12 माह हेतु) व्यय 17,10000/- बजट का प्रस्ताव

### प्रस्ताव पारित

8. महाविद्यालय में ई -लाइब्रेरी के संचालन, बहुउद्देशीय स्पोर्ट्स संकुल के संचालन केरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ, के संचालन हेतु एक-एक अर्हताधारी व्यक्ति को आमत्रण करने एंव कम्यूटर साइंस एवं कम्यूटर एप्लिकेशन विभाग में अतिरिक्त कार्य करने वाले कर्मचारी को अतिरिक्त मानदेय (रु 10500.00 प्रतिमाह की दर से 12 माह हेतु) हेतु अनुमानित व्यय वार्षिक रु. 276000/- बजट का प्रस्ताव

### प्रस्ताव पारित

संग्रहीत कलेक्टर  
कलेक्टर जिला - झज्जू

# कार्यालय,प्राचार्य शा.माधव विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय

उज्जैन(म.प्र)

नेक द्वारा ए.ग्रेड प्रदत्त एवं डी.एस.टी.-एफ.आई.एस.टी. महाविद्यालय

फोन/फैक्स : 0734 -2511803 / 0734252236

ईमेल:prinmvm@yahoo.co.in महाविद्यालय कोड -1812

9. पुस्तक कय हेतु 7,20000/- उपकरण कय हेतु 46,15,000/- प्रयोगशाला संधारण हेतु 3,00000/- रु रसायन एंव ग्लासवेयर कय हेतु 5,10,000/-रु. एक्सटेंशन लेक्चर, सेमीनार,वर्कशॉप,क्लीन केम्पस,सौलर लाइट, हेतु 8,95,000/- रु, ऐजुकेशन टूर हेतु 4,40,000/- रु, विविध व्यय हेतु 10,90,000/- रु, फर्नीचर हेतु 18,20,000/- रु बजट का प्रस्ताव

प्रस्ताव पारित

10. महाविद्यालय में क्लस्टर गतिविधियों हेतु अनुमानित व्यय 2,00,000/- बजट का प्रस्ताव

प्रस्ताव पारित

11. महाविद्यालय में बिजनेस इनक्यूबेशन सेन्टर /स्टार्टअप स्टेण्ड अप योजना /स्वच्छ भारत अभियान / स्मार्ट सिटी योजना आधारित कार्यक्रम/योग दिवस,महिला दिवस,विज्ञान दिवस,सूर्यनमस्कार अंडर ग्रेजुएट रिसर्च प्रोग्राम(आई.आई.टी. इन्डौर के सहयोग से),भारतीय सेना मे प्रवेश हेतु प्रशिक्षण आदि आयोजन हेतु अनुमानित व्यय 7,,00,000/- बजट का प्रस्ताव

प्रस्ताव पारित

12. महाविद्यालय में व्यक्तित्व/उद्यमिता/ कौशल विकास/कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु अनुमानित व्यय 2,00,000/- बजट का प्रस्ताव

प्रस्ताव पारित

13. महाविद्यालय में पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम हेतु अनुमानित व्यय 50,000/- बजट का प्रस्ताव

प्रस्ताव पारित

14. महाविद्यालय में भारतीय संस्कृति के शिक्षण एंव प्रशिक्षण एंव प्रदर्शन हेतु समर केम्प आयोजन एंव स्पिक मेके के कार्यक्रम एंव वर्ष पर्यन्त समान गतिविधियों के संचालन एंव स्वतंत्रता दिवस /गणतंत्र दिवस /युवा उत्सव आदि आयोजन हेतु अनुमानित व्यय 1,50,000/- बजट का प्रस्ताव

प्रस्ताव पारित

15. सांइंस थू आर्ट एण्ड आर्ट फॉर सांइंस वर्कशाप (वैज्ञानिकों के जीवन पर आधारित नाटक,विभिन्न वैज्ञानिक विचारों का नवाचारी मंचन एंव प्रदर्शन,अंधविश्वास एंव कुरीतियों के निर्मूलन हेतु चेतना प्रचार प्रसार) राष्ट्रभाषा उन्नति – सर्वोन्नति एंव “साथी हाथ बढ़ाना” कार्यक्रम प्रारंभ करने एंव “साथी हाथ बढ़ाना” कार्यक्रम में स्थानीय प्रतिभाओं एंव महाविद्यालय के पूर्व विद्यार्थी एंव विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं मे सफल हो चुके पूर्व विद्यार्थियों को प्रति 60 मिनिट व्याख्यान के लिए रु 275 के भुगतान की अनुमति सहित संचालन करने हेतु रु 250000/- बजट का प्रस्ताव

प्रस्ताव पारित

16. रसायन विभाग में सी.एन.जी गैस कनैक्शन हेतु 100000/- बजट का प्रस्ताव  
प्रस्ताव पारित

17. रसायन शास्त्र के भण्डार ग्रह एंव बिजली विभाग एंव फर्नीचर की मरम्मत हेतु रु 150000/- बजट का प्रस्ताव

प्रस्ताव पारित

18. जियोलौजी विभाग में कम्प्यूटर क्रय एंव पार्टिशन हेतु रु 100000/- बजट का प्रस्ताव  
प्रस्ताव पारित

ग्रन्ट  
विद्युत कलेक्टर  
तिला - तरु

# कार्यालय, प्राचार्य शा. माधव विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय

उज्जैन(म.प्र)

नेक द्वारा ए.ग्रेड प्रदत्त एवं डी.एस.टी.-एफ.आई.एस.टी. महाविद्यालय

फोन / फैक्स : 0734 - 2511803 / 0734252236

ईमेल:prinmvm@yahoo.co.in महाविद्यालय कोड - 1812

19. कार्यालय में हाई-स्पीड नैट कनैक्शन के भुगतान हेतु रु 65000 हजार बजट का प्रस्ताव  
प्रस्ताव पारित
  20. ऑफिस हेतु स्टेशनरी एंव कम्प्यूटर / सी.सी.टी.वी. कैमरा / वाटर कूलर (तीन) एंव आर ओ वाटर  
प्लांट(तीन) / सीमेन्ट चेयर / पाइप लाइन फिटिंग, सोलर लाइट, जल प्रदाय हेतु टंकी क्रय एंव अन्य  
आवश्यक व्यवस्थों, पुताई, पेवर ब्लॉक, वाटिका विकास तथा अन्य विविध क्रय पर व्यय रु 5,00000/-  
बजट का प्रस्ताव
- प्रस्ताव पारित
21. महाविद्यालय में उत्कृष्टता पुरस्कार तथा राज्य स्तरीय / राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में विजेताओं को पुरस्कृत  
करने हेतु अनुमानित व्यय 50,000/- बजट का प्रस्ताव
- प्रस्ताव पारित
22. महाविद्यालय के विद्यार्थियों हेतु लर्न एण्ड अर्न प्रोजेक्ट के अन्तर्गत दुकान किराया एंव अन्य गतिविधि हेतु  
अनुमानित व्यय 50,000/- बजट का प्रस्ताव
- प्रस्ताव पारित
23. महाविद्यालय परिसर में प्राध्यापकों तथा विद्यार्थियों के सहयोग से जल संरचना (लघु तालाब) बनवाया  
गया है। उसको विकसित करने के लिए अनुमानित व्यय 1,00,000/- बजट का प्रस्ताव
- प्रस्ताव पारित
24. फायर ऑडिट एंव ग्रीन ऑडिट करवाने हेतु रु 200000/- बजट का प्रस्ताव
- प्रस्ताव पारित
25. महाविद्यालय में कौन्फेन्स हॉल के लिए एक एसी, दो वर्टीकल एसी एंव 50 कॉफेंस चेयर एक मोटराइज्ड  
स्क्रीन, एल.सी.डी. प्रोजेक्टर तथा समुचित ध्वनि व्यवस्था के लिए 500000/- बजट का प्रस्ताव
- प्रस्ताव पारित
26. बी.सी.ए / इलेक्ट्रानिक / आई.टी विभागों में निर्माण कार्य के लिए 12,50,000/- रु व्यय करने का प्रस्ताव
- प्रस्ताव पारित
27. प्राचार्य को अधिकतम वार्षिक 1,00,000/- के व्यय की विवेकाधीन अनुमति तथा एक बार में अधिकतम  
20,000/- की राशि व्यय करने का प्रस्ताव
- प्रस्ताव पारित

1/1

गुरु  
मधुवत्त कलेक्टर  
गढ़ कलेक्टर जिला - ३८

# कार्यालय, प्राचार्य शा. माधव विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय

उज्जैन(म.प्र)

नेक द्वारा ए.ग्रेड प्रदत्त एवं डी.एस.टी.-एफ.आई.एस.टी. महाविद्यालय

फोन/फैक्स : 0734 - 2511803 / 0734252236

ईमेल:prinmvm@yahoo.co.in महाविद्यालय कोड - 1812

28. अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय:-

1. छात्राओं को जनभागीदारी एवं प्रयोगशाला शुल्क वृद्धि से मुक्त रखा जाए।
2. महाविद्यालय में कीड़ा गतिविधियों के विकास हेतु बॉस्केट बॉल, व्हॉली बॉल, एवं कबड्डी खेलों हेतु कोर्ट विकसित किए जाए प्रस्तावित व्यय की रूप रेखा शीघ्र प्रस्तुत की जाए।
3. लोक तंत्र में विद्यार्थियों की सुदृढ़ भागीदारी सुनिश्चित करने एवं नेतृत्व क्षमता विकास हेतु शिविर आयोजित किए जाए एवं इसमें जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाए।
4. कन्या छात्रावास के निर्माण कार्य को पूर्ण करने हेतु उज्जैन विकास प्राधिकरण को पत्र लिख कर निवेदन किया जाए कि वे गैर योजना मद से इस निर्माण कार्य को पूर्ण करवाने में सहायता प्रदान करे तथा यूजी. सी से राशि प्राप्त होने पर राशि प्राधिकरण का पुनः लौटा दी जाए।
5. विक्रम संवत का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस हेतु महाविद्यालय एक राज्य/राष्ट्र स्तरीय विज्ञान विवर एवं अन्य प्रतियोगिता का आयोजन करे। साथ ही विज्ञान का भारत की देन विषय पर प्रदर्शनी का आयोजन किया जाए इस हेतु रु. 1.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई।
6. फार्मास्यूटिकल रसायनप विभाग मे एस.जी.एस इण्डिया द्वारा प्रशिक्षण हेतु रु 60.00 हजार एवं विशेषज्ञों के यात्रा व्यय की अनुमति प्रदान की गई।
7. वाटिका विकास हेतु विस्तृत प्रस्ताव बनाकर माननीय विधायक जी को प्रेषित किया जाए।
8. महाविद्यालय के देवास रोड स्थित दूसरे प्रवेश द्वार को भी खुलवाया जाए।
9. पर्यावरण सुरक्षा तथा शिप्रा सेवा यात्रा जैसे आयोजनों मे विद्यार्थियों के परिवहन आदि व्यय हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।
10. महाविद्यालय के बाहर वैज्ञानिक दृष्टिकोण अथवा विज्ञान विकास को दर्शाता एक मूर्तिशिल्प स्थापित किया जाए।
11. विद्यार्थियों का जैविक खेती के बारे मे जागरूक करने हेतु आवश्यक कार्यक्रम आयोजित किए जाए।
12. पुराने विद्यार्थियों का सम्मेलन आयोजित किया जाए।
13. पी.डब्ल्यू.डी. विभाग से महाविद्यालय के अन्दर सीमेन्टेड सड़क निर्माण हेतु एस्टीमेट प्राप्त किया जाए।
14. महाविद्यालय मे मिट्टी प्रशिक्षण की सुविधा का प्रचार - प्रसार किया जाए।

प्राचार्य एवं सचिव

जनभागीदारी समिति

शा. माधव विज्ञान महाविद्यालय, उज्जैन

श्री क.क. माधव कलोवटर  
संयुक्त कलोवटर एवं अध्यक्ष प्रतिनिधि  
जनभागीदारी समिति

# कार्यालय, प्राचार्य शा. माधव विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय उज्जैन(म.प्र)

प्रति,

डॉ. मोहन यादव जी  
विधायक उज्जैन दक्षिण एवं अध्यक्ष जनभागीदारी समिति  
शा. माधव विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय  
उज्जैन म.प्र.

विषय – जनभागीदारी समिति की बैठक के मिनिट्स पर हस्ताक्षर करने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक 31.03.18 को आयोजित जनभागीदारी समिति की बैठक मे पारित प्रस्ताव के मिनिट्स हस्ताक्षर हेतु आपकी ओर प्रेषित है।  
कृपया हस्ताक्षर करने का कष्ट करे।

धन्यवाद

(डॉ. अर्पण भारद्वाज)  
प्राचार्य

शा. माधव विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय उज्जैन म.प्र.

दिनांक 31.03.2018 को महाविद्यालय की जनभागीदारी की आवश्यक बैठक डॉ. मोहन जी यादव विधायक उज्जैन दक्षिण की अध्यक्षता मे सम्पन्न हुई जिसमे निम्न पदाधिकारी तथा सदस्य उपस्थित थे।

1. डॉ. मोहन यादव, विधायक उज्जैन दक्षिण एवं जनभागीदारी अध्यक्ष
2. डॉ. उषा श्रीवास्तव, प्राचार्य शा. माधव विज्ञान महा. उज्जैन एवं सचिव जनभागीदारी समिति
3. डॉ. शुभा जैन, सदस्य जनभागीदारी समिति
4. डॉ. संजय शर्मा, सदस्य जनभागीदारी समिति
5. श्री सुभाष नागर, सदस्य जनभागीदारी समिति
6. श्रीमती संगीता तिवार सदस्य जनभागीदारी समिति
7. श्री राकेश शर्मा, सदस्य जनभागीदारी समिति
8. श्री भरत व्यास, प्राचार्य शा. उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शास्त्री नगर उज्जैन
9. डॉ. अजय चतुर्वेदी, सदस्य जनभागीदारी समिति शा. माधव विज्ञान महा. उज्जैन

### 1. दिनांक 15.11.17 के कार्यविवरण की चर्चा

#### कार्यविवरण की पुष्टि

2. माइक्रोबॉयलोजी एवं बायोटेक्नोलॉजी विभाग के भवन निर्माण हेतु ₹.75.00 लाख का प्रस्ताव जिला योजना समिति द्वारा स्वीकृत किया गया है। इस राशि का 50 प्रतिशत अर्थात् 37.50 लाख ₹. जनभागीदारी समिति के माध्यम उपलब्ध कराने हेतु प्रस्तावों की स्वीकृति का प्रस्ताव।

#### प्रस्ताव पारित

3. मुक्ताकांक्षी मंच के ऊपर एवं सम्मुख डोम निर्माण हेतु ₹. 25.00 लाख का प्रस्ताव जिला योजना समिति द्वारा स्वीकृत किया गया है। इस राशि का 50 प्रतिशत अर्थात् 12.50 लाख ₹. जनभागीदारी समिति के माध्यम उपलब्ध कराने की सहमति हेतु प्रस्ताव की स्वीकृति का प्रस्ताव

#### प्रस्ताव पारित

4. विभिन्न स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों से प्राप्त निम्न प्रस्तावों की स्वीकृति का प्रस्ताव

5. बी.एससी.पाठ्यक्रम के अन्तर्गत एन.सी.सी. को एक ऐच्छिक विषय (स्ववित्तीय पाठ्यक्रम) के रूप में प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करने का प्रस्ताव

#### प्रस्ताव पारित

6. एम.एससी योग पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति का प्रस्ताव

#### प्रस्ताव पारित

7. महाविद्यालय में बी.एससी., एम.एससी. व बी.सी.ए एवं अन्य के विश्वविद्यालय समबद्धता शुल्क हेतु अनुमानित व्यय 4,00,000/- बजट का प्रस्ताव

#### प्रस्ताव पारित

8. महाविद्यालय में 27 अतिथि विद्वानों के मानदेय हेतु अनुमानित व्यय 51,97,500/- बजट का प्रस्ताव

#### प्रस्ताव पारित

9. महाविद्यालय में 12 लेब तकनीशियन के मानदेय हेतु अनुमानित व्यय 16,56000/- बजट का प्रस्ताव

#### प्रस्ताव पारित

10. महाविद्यालय में 18 लेब अटेन्डेन्ट के मानदेय हेतु अनुमानित व्यय 15,39000/- बजट का प्रस्ताव

#### प्रस्ताव पारित

11. महाविद्यालय में ई -लाइब्रेरी / उन्नत उपकरण प्रयोगशाला, बहुउद्देशीय स्पोर्ट्स संकुल, केरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ, के संचालन एंव कम्प्यूटर साइंस एंव ऐप्लिकेशन एक-एक अर्हताधारी व्यक्ति को आमंत्रण करने एंव अतिरिक्त मानदेय हेतु अनुमानित व्यय वार्षिक ₹ 360000/- बजट का प्रस्ताव

#### प्रस्ताव पारित

- 12.** पुस्तक क्रय हेतु 7,20,000/- उपकरण क्रय हेतु 50,00,000/-, प्रयोगशाला संधारण हेतु 12,40,000/- रु रसायन एवं ग्लासवेयर क्रय हेतु 6,50,000/-रु. एक्सटेंशन लेक्चर/आमंत्रित व्याख्यान नेट/स्लेट/विशेषज्ञों के यू.जी.सी. दर से प्रति व्याख्यान का भुगतान किया जाए, अन्य प्रतियोगी परीक्षा हेतु सेमीनार, वर्कशॉप, क्लीन केम्पस, सोलर लाइट, हेतु 7,00,000/- रु, ऐजुकेशन टूर हेतु 5,00,000/- रु, विविध व्यय हेतु 7,50,000/- रु, फर्नीचर हेतु रु 7,00,000/- बजट का प्रस्ताव

**प्रस्ताव पारित**

- 13.** महाविद्यालय में क्लस्टर गतिविधियों हेतु अनुमानित व्यय 2,50,000/- बजट का प्रस्ताव  
**प्रस्ताव पारित**

- 14.** महाविद्यालय में बिजनेस इनक्यूबेशन सेन्टर /स्टार्टअप स्टेण्ड अप योजना /स्वच्छ भारत अभियान/स्मार्ट सिटी योजना आधारित कार्यक्रम/योग दिवस, महिला दिवस, विज्ञान दिवस, सूर्यनमस्कार, अंडर ग्रेजुएट रिसर्च प्रोग्राम(आई.आई.टी. इन्डौर के सहयोग से), भारतीय सेना एवं पुलिस सेवा में मे प्रवेश हेतु प्रशिक्षण एवं अन्य प्रक्षिपण कार्यक्रम आदि के आयोजन हेतु अनुमानित व्यय 50,000/- बजट का प्रस्ताव

**प्रस्ताव पारित**

- 15.** महाविद्यालय में व्यक्तित्व/उद्यमिता/ कौशल विकास/कम्प्यूटर प्रशिक्षण/भाषा सुधार/कम्प्यूनिकेशन स्किल /पर्यावरण जागरूकता एवं अन्य समान महत्वपूर्ण कार्यक्रमों हेतु अनुमानित व्यय 50,000/- बजट का प्रस्ताव

**प्रस्ताव पारित**

- 16.** महाविद्यालय में भारतीय संस्कृति के शिक्षण एवं प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन हेतु समर केम्प आयोजन एवं स्पिक मेके के कार्यक्रम एवं वर्ष पर्यन्त समान गतिविधियों के संचालन एवं स्वतंत्रता दिवस / गणतंत्र दिवस /युवा उत्सव/वार्षिकोत्सव आदि आयोजन हेतु अनुमानित व्यय 10,00,000/- बजट का प्रस्ताव

**प्रस्ताव पारित**

- 17.** सांइंस थू आर्ट एण्ड आर्ट फॉर सांइंस वर्कशाप (वैज्ञानिकों के जीवन पर आधारित नाटक, विभिन्न वैज्ञानिक विचारों का नवाचारी मंचन/विज्ञान प्रदर्शनी, अंधविश्वास एवं कुरीतियों के निर्मूलन हेतु चेतना प्रचार प्रसार) राष्ट्रभाषा उन्नति – सर्वोन्नति एवं “साथी हाथ बढ़ाना” कार्यक्रम संचालित करने हेतु रु 3,00,000/- बजट का प्रस्ताव

**प्रस्ताव पारित**

- 18.** रसायन विभाग में सी.एन.जी गैस कनेक्शन/प्रयोगशाला बिजली नल हेतु रु 3.50 बजट का प्रस्ताव  
**प्रस्ताव पारित**

- 19.** महाविद्यालय में क्रीड़ा विभाग में सी.सी.टी.वी केमरा एवं अन्य व्यय हेतु रु. 2.00 बजट का प्रस्ताव  
**प्रस्ताव पारित**

- 20.** जियोलॉजी विभाग में कम्प्यूटर क्रय एवं पार्टिशन हेतु रु 1.00 बजट का प्रस्ताव  
**प्रस्ताव पारित**

- 21.** कार्यालय में हाई-स्पीड नेट कनेक्शन के भुगतान हेतु रु 65,000 बजट का प्रस्ताव  
**प्रस्ताव पारित**

- 22.** ऑफिस हेतु स्टेशनरी एवं कम्प्यूटर एवं अन्य आवश्यक सामग्री/ वेब कैमरा /सी.सी.टी.वी केमरा वाटर कूलर एवं आर ओ वाटर प्लांट/ सीमेन्ट चेयर/पाइप लाइन फिटिंग, सोलर लाइट, जल प्रदाय हेतु टंकी क्रय एवं विभिन्न मरम्मत कार्यों, संधारण एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं, पुताई, पेवर ब्लॉक, वाटिका विकास तथा अन्य विविध क्रय पर व्यय रु 70,00,000/- बजट का प्रस्ताव  
**प्रस्ताव पारित**

- 23.** महाविद्यालय में उत्कृष्टता पुरस्कार तथा राज्य स्तरीय/राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं एन.सी.सी./एन.एस.एस राज्य स्तरीय/राष्ट्रीय स्तरीय गतिविधियों में भाग लेने वाले विजेताओं को पुरस्कृत एवं प्रोत्साहित करने हेतु अनुमानित व्यय 100,000/- बजट का प्रस्ताव

**प्रस्ताव पारित**

24. महाविद्यालय के विद्यार्थियों हेतु लर्न एण्ड अर्न प्रोजेक्ट के अन्तर्गत हेतु अनुमानित व्यय 500000/- बजट का प्रस्ताव

**प्रस्ताव पारित**

25. महाविद्यालय परिसर में प्राध्यापकों तथा विद्यार्थियों के सहयोग से जल संरचना (लघु तालाब) बनवाया गया है। उसको विकसित करने के लिए अनुमानित व्यय 1,00,000/- बजट का प्रस्ताव  
**प्रस्ताव पारित**

26. फायर ऑडिट एवं ग्रीन ऑडिट करवाने हेतु रु 2.00 लाख बजट का प्रस्ताव  
**प्रस्ताव पारित**

27. महाविद्यालय में कॉफेन्स हॉल के लिए एक एसी, 50 कुर्सी एक मोटराइज्ड स्कीन, ए.ल.सी.डी. प्रोजेक्टर एवं ऑडीयो सिस्टम के लिए 500000/- बजट का प्रस्ताव  
**प्रस्ताव पारित**

28. प्राचार्य को अधिकतम वार्षिक 2,00,000/- के व्यय की विवेकाधीन अनुमति तथा एक बार में अधिकतम 25,000/- की राशि व्यय करने का प्रस्ताव  
**प्रस्ताव पारित**

29. पीजीडीसीएसए की फीस रु. 15000/- से घटाकर रु. 10000/- करने का प्रस्ताव  
**प्रस्ताव पारित**

30. सुचारू रूप से परीक्षा संचालन हेतु सी.सी.टी.वी केमरों की शिपिटंग तथा आवश्यकता अनुसार नये केमरों की खरीदी का प्रस्ताव

**प्रस्ताव पारित**

31. माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्न निर्देश दिये गये।  
**प्रस्ताव पारित**

32. विभाग की विभिन्न गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु विभागाध्यक्ष / प्राध्यापक को रु. 15000/- अथवा अधिकतम रु. 50000/- का अग्रिम का प्रस्ताव।  
**प्रस्ताव पारित**

33. माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्न निर्देश दिये गये।

1. बिन्दु 2 एवं 3 की राशि हेतु स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों से प्राप्त प्रस्तावों के अतिरिक्त राशि हेतु..... राशि प्राप्त की जाए।
2. इलेक्ट्रिशियन एवं प्लम्बर रखने की व्यवस्था की जाए।
3. शारीरिक प्रशिक्षक रखने की व्यवस्था की जाए।
4. विक्रमोउत्सव को जनमानस से जोड़ने से लिए विस्तृत कार्यक्रम का आयोजन करना, स्मारिका छपवाना एवं साइंस एण्ड टेक्नोलोजी विभाग से समन्वय स्थापित किया जाए।
5. खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बास्केट बॉल, वॉली बॉल, आदि खेलों के मैदान का निर्माण किया जाए।
6. विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने वाले दल हेतु महाविद्यालय के मोनो प्रिन्ट टी शर्ट प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
7. विद्यार्थियों को सेना तथा पुलिस सेवाओं में प्रवेश हेतु प्रशिक्षण गतिविधियों प्रारंभ की जाए। इस हेतु प्रति विद्यार्थी रु. 3000/- वार्षिक शुल्क निर्धारित किया जाता है। इस गतिविधि को संचालित करने हेतु सेवा निवृत्त सैन्य अधिकारी / कर्मचारी / पुलिस अधिकारी / पूर्व एन.सी.सी. केडेट्स को म.प्र शासन द्वारा निर्धारित दर से प्रति व्याख्यान भुगतान किया जाए।

(डॉ. श्रीमती उषा श्रीवास्तव)  
प्राचार्य एवं सचिव जनभागीदारी समिति

(डॉ. मोहन यादव)  
विधायक एवं अध्यक्ष जनभागीदारी समिति

**जनभागीदारी समिति की बैठक दिनांक 23.06.18**

दिनांक 23.06.18 को महाविद्यालय की समिति के घटक सामान्य परिषद, प्रबंध समिति एवं वित्त समिति की सम्मिलित बैठक डॉ. मोहन जी यादव विधायक उज्जैन दक्षिण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें निम्न पदाधिकारी तथा सदस्य उपस्थित थे।

1. डॉ. मोहन यादव, विधायक उज्जैन दक्षिण एवं जनभागीदारी अध्यक्ष
2. डॉ. अर्पण भारद्वाज, प्राचार्य शा. माधव विज्ञान महा. उज्जैन एवं सचिव जनभागीदारी समिति
3. डॉ. शुभा जैन, सदस्य जनभागीदारी समिति
4. डॉ. संजय शर्मा, सदस्य जनभागीदारी समिति
5. श्री सुभाष नागर, सदस्य जनभागीदारी समिति
6. श्री राकेश शर्मा, सदस्य जनभागीदारी समिति
7. श्री भरत व्यास, प्राचार्य शा. उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शास्त्री नगर उज्जैन
8. डॉ. अजय चतुर्वेदी, सदस्य जनभागीदारी समिति शा. माधव विज्ञान महा. उज्जैन
9. डॉ. इन्द्रेश गंगल सदस्य जनभागीदारी समिति

**01. दिनांक 31.03.18 की बैठक के कार्यविवरण पर चर्चा  
कार्यविवरण की पुष्टि**

02 a) महाविद्यालय में जनभागीदारी मद से साईकल रस्टेण्ड के निर्माण का कार्य जारी है। इससे बचने वाली राशि से निम्न निर्माण कार्य प्रस्तावित है।

- 2.1 पुराने साईकल रस्टेण्ड का संधारण
- 2.2 साईकल रस्टेण्ड के दोनों प्रवेश द्वार को जोड़ना
- 2.3 कक्ष क्रमांक 11 से वनस्पतिशास्त्र तक शेड लगवाने की अनुमति
- 2.4 स्नातकोत्तर रसायन ब्लॉक के सामने क्रांक्रीट से पक्का निर्माण हेतु अनुमति
- 2.5 महाविद्यालय के सामने की ओर पेवर ब्लॉक लगाने की अनुमति

02 b) महाविद्यालय में जनभागीदारी मद कम्यूटर विज्ञान, प्रयोगशाला एवं प्रवेश द्वार का कार्य जारी है। इससे बचने वाली राशि से निम्न निर्माण कार्य प्रस्तावित है।

02.1 नवीन माइक्रोबॉयोलोजी विभाग के सामने की ओर पेवर ब्लॉक लगाना।

**प्रस्ताव पारित**

03. जनभागीदारी मद से कन्या छात्रावास की बाउण्ड्री वॉल का निर्माण जारी है। इससे बचने वाली राशि से निम्न निर्माण कार्य प्रस्तावित है।
- 3.1 कन्या छात्रावास की वह दीवार जो देवास रोड की ओर बनी हुई है। उसे तीन फिट और ऊँचा करना जिससे सुरक्षा सुनिश्चित हो
  - 3.2 कन्या छात्रावास के अन्दर पेवर ब्लॉक से पहुँच मार्ग ले निर्माण की अनुमति
  - 3.3 कन्या छात्रावास के अन्दर पार्किंग क्षेत्र का निर्माण करने की अनुमति
  - 3.4 महाविद्यालय भवन के मुख्य द्वार के साईड वाली दीवार का प्लास्टर उखड़ गया है। संधारण करने की अनुमति

**प्रस्ताव पारित**

- 04 डॉ. ए.पी.जे.अब्दुल कलाम पी.जी ब्लॉक (नये भवन) में नये विद्युत कनेक्शन हेतु  
अनुमति प्रदान करने का प्रस्ताव
- प्रस्ताव पारित
- 04 महाविद्यालय में दो नए ट्यूब वेल खनन एवं पुराने ट्यूब वेल की जाँच हेतु रु. 2 लाख  
की अनुमति प्रदान करने का प्रस्ताव
- प्रस्ताव पारित
- 05 अंग्रेजी विभाग में दो लोहे की अलमीरा क्रय करने हेतु रु. 15 हजार की अनुमति  
अनुमति प्रदान करने का प्रस्ताव
- प्रस्ताव पारित
- 06 महाविद्यालय में महाविद्यालय की संख्या 2100 के लगभग है। तथा हिन्दी विषय में  
केवल एक ही प्राध्यापक है। इसलिए दो अतिथि विद्वान की आवश्यकता है। इसके लिए  
अनुमति प्रदान करने का प्रस्ताव इन विद्वानों का जनभागीदारी मद से शिक्षण आदि  
निर्धारित कार्यों हेतु आमंत्रण देने का प्रस्ताव
- प्रस्ताव पारित
- 07 भू-विज्ञान विभाग में एक अलमीरा एवं एक टेबल क्रय करने हेतु रु. 20 हजार की  
अनुमति प्रदान करने का प्रस्ताव
- प्रस्ताव पारित
- 08 महाविद्यालय के संबंधित शुल्क के भुगतान हेतु रु. 3.50 लाख की अनुमति एवं  
महाविद्यालय में अध्ययनरत शोध छात्रों से रु. 100/- प्रतिमाह विश्वविद्यालय संबंधित  
शुल्क प्राप्त करने की अनुमति प्रदान करने का प्रस्ताव
- प्रस्ताव पारित
- 09 “हम छू लेंगे आसमा” माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना के क्रियान्वयन  
के संबंध में शासन से प्रात पत्र क्र. 873/1347/2018/38-2 दिनांक 14.06.2018.  
का अनुमोदन एवं स्वीकृति अनुमति प्रदान करने का प्रस्ताव
- प्रस्ताव पारित
- 10 शोधार्थियों से प्राप्त प्रयोगशाला शुल्क को विभागों को वितरित करने की अनुमति  
अनुमति प्रदान करने का प्रस्ताव
- प्रस्ताव पारित
- 11 कम्प्यूटर साइंस विभाग में नवीन लेब की फाल्स सिलिंग, नेटवर्किंग 120 कम्प्यूटिंग  
सिस्टम क्रय, 2 यू.पी.एस. (10 के.वी.) क्रय 250 ली. का वाटर कूलर की असेम्बलिंग  
और फिटिंग का कार्य के लिये 20 लाख की अनुमति प्रदान करने का प्रस्ताव  
GEM/MPLUN पर सामग्री उपलब्ध न होने पर मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम 2015  
एवं वित्तीय आचार सहित का पालन करते हुए तदनुसार निविधा आमंत्रित करने की  
स्वीकृति का प्रस्ताव
- प्रस्ताव पारित
- 12 योग कक्षा को जिम्नेशियन हॉल में संचालित करने के लिए अनुमति प्रदान करने का  
कष्ट करे। जिम्नेशियम उपकरण की सुरक्षा हेतु एल्युमिनियम सेक्सन का कार्य किए  
जाने की अनुमति प्रदान करने का प्रस्ताव
- प्रस्ताव पारित
- 13 जनभागीदारी मद से रखे गए अतिथि विद्वानों का मानदेय रु. 2000/- एवं प्रयोगशाला  
तकनिशियन के मानदेय में रु. 1000/- के बढ़ाने की अनुमति प्रदान करने का प्रस्ताव
- प्रस्ताव पारित



# कार्यालय प्राचार्य, शासकीय माधव विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय

उज्जैन(म.प्र.)

जनभागीदारी समिति बैठक दिनांक 19.09.18 तक 2018-19

दिनांक 19.09.18 को सत्र 2018-19 हेतु महाविद्यालय की जनभागीदारी की आवश्यक बैठक डॉ. मोहन जी यादव विधायक उज्जैन दक्षिण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें निम्न पदाधिकारी तथा सदस्य उपस्थित थे।

1. डॉ. मोहन यादव, विधायक उज्जैन दक्षिण एवं जनभागीदारी अध्यक्ष
2. डॉ. अर्पण भारद्वाज, प्राचार्य शा.माधव विज्ञान महा. उज्जैन एवं सचिव जनभागीदारी समिति
3. डॉ. शुभा जैन, सदस्य जनभागीदारी समिति
4. डॉ. संजय शर्मा, सदस्य जनभागीदारी समिति
5. श्री सुभाष नागर, सदस्य जनभागीदारी समिति
6. श्रीमती संगीता तिवार सदस्य जनभागीदारी समिति
7. श्री राकेश शर्मा, सदस्य जनभागीदारी समिति
8. डॉ. अजय चतुर्वेदी, सदस्य जनभागीदारी समिति शा.माधव विज्ञान महा. उज्जैन

1. दिनांक 23.06.018 को आयोजित जनभागीदारी बैठक में के कार्यविवरण पर चर्चा  
कार्यविवरण की पुष्टि

2. जनभागीदारी समिति बैठक दिनांक 31.03.18 के बिन्दु क्रमांक 16 दिनांक में पारित प्रस्ताव अनुसार युवा वैज्ञानिक संवाद 2018 का आयोजन जनभागीदारी समिति द्वारा किया जाना प्रस्तावित किया गया। जिसके लिए पृथक से अनुमानित व्यय रु. 5,00000/- का प्रस्ताव

#### प्रस्ताव पारित

3. महाविद्यालय के प्रवेश द्वार का निर्माण कार्य लो.नि. वि. की गलती से रुक गया है। जिससे प्रवेश द्वार खुला रहता है। महाविद्यालय में उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करते हुए प्रवेश द्वार बनवाने की अनुमति प्रदान करें। (अनुमानित व्यय 25000/-)

#### प्रस्ताव पारित

4. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल के पत्र क्रमांक F.No.GD/107037/XII/12-13/CRO दिनांक 16.07.18 द्वारा राशि रु. 5,10,662/- अस्वीकृत की गई है। पत्राचार जारी है। परन्तु यदि समायोजन नहीं होता है तो उस स्थिति में उक्त राशि जनभागीदारी मद से जमा करने का प्रस्ताव।

#### प्रस्ताव पारित

5. ग्रीनवॉल निर्माण की स्वीकृति का प्रस्ताव (अनुमानित व्यय रु.25,000/-)

#### प्रस्ताव पारित

6. कार्य अधिक होने पर कार्यालय प्रयोगशालाओं में कलेक्टर दर से भुगतान पर आधारित सहायक को बुलाने का प्रस्ताव

#### प्रस्ताव पारित

7. साईकिल स्टेण्ड निर्माण से बची राशि का उपयोग पुराने तथा नये साईकिल स्टेण्ड के विस्तार एवं संधारण हेतु किया जाए। आसपास भराव, समतलीकरण आदि कार्य किए जाने हेतु प्रस्ताव

#### प्रस्ताव पारित

8. महाविद्यालय में जनभागीदारी समिति द्वारा आमंत्रित किए गए अतिथि विद्वान का मानदेय प्रतिमाह रु. 20000/- तथा प्रयोगशाला तकनीशियन का मानदेय रु. 12000/- करने का प्रस्ताव

#### प्रस्ताव पारित

9. कन्या छात्रावास को अधिग्रहण करने हेतु प्राधिकरण द्वारा चाही गई लगभग राशि रु. 3.00 लाख प्रदान करन का प्रस्ताव

#### प्रस्ताव पारित

10. छात्राओं के शौचालय हेतु सेनिटरी पेड इन्सीनरेशन मशीन क्य करने का प्रस्ताव अनुमानित व्यय रु. 35000/- का प्रस्ताव

#### प्रस्ताव पारित

11. ग्राउण्ड ग्रॉस कटिंग एवं पेडो की छटाई एवं कटिंग करने की मशीन को क्य करने हेतु रु. 50000/- का प्रस्ताव

#### प्रस्ताव पारित

12. प्रज्ञा के प्रकाशन हेतु रु. 2.50 लाख की अनुमति का प्रस्ताव

#### प्रस्ताव पारित

13. आगामी चुनावों को देखते हुए जनभागीदारी समिति के वर्ष 2018 – 19 के समस्त प्रस्ताव आगामी जनभागीदारी बैठक तक स्वीकृत करने का प्रस्ताव

#### प्रस्ताव पारित

प्राचार्य

(डॉ. अर्पण साहस्रद्वाज) महाविद्यालय  
प्राचार्य एवं सचिव जनभागीदारी समिति  
(दूरभाष क्र. 0734-2511802)

(डॉ. मोहन यादव)  
विधायक एवं अध्यक्ष जनभागीदारी समिति

14. कैरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ में एक कम्प्यूटर प्रिंटर सहित एवं 4 अलमीरा क्य करने का प्रस्ताव

### प्रस्ताव पारित

15. कम्प्यूटर सांइस डिपार्टमेन्ट में कम्प्यूटर सामग्री एवं अन्य एसेसरिस क्य करने हेतु रु. 1,61,280/- का प्रस्ताव

### प्रस्ताव पारित

15. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य बिन्दुः -

1. महाविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों एवं शासकीय योजनाओं की जानकारी विद्यार्थियों तक पहुंचाने हेतु महाविद्यालय में उचित योग्यता धारी (न्यूनतम स्नातक) उम्मीदवार को नियोजित करने का प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय द्वारा दिया गया। इससे विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि होगी साथ ही महाविद्यालय की अकादमिक गुणवत्ता में भी उन्नयन होगा। तथा स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों में अधिकाधिक प्रवेश सुनिश्चित हो सकेगा। इस हेतु स्थानीय स्तर पर विज्ञापन जारी कर साक्षात्कार द्वारा उचित अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। पूर्ण पारदर्शिता रखी जाए। यदी संभव होतो रोजगार मेले में साक्षात्कार लिए जाए जिससे अधिकाधिक प्रत्याशी भाग ले सके। यह कार्य एक सप्ताह में पूर्ण कर लिया जाए।

मानदेय काउन्सिलर हेतु मानदेय निर्धारित शासन की दर से दिए जाए।

2. जनभागीदारी सदस्य श्री राकेश शर्मा द्वारा सामाजिक संस्था रोटरी क्लब की सहायता से महाविद्यालय में वाटिका विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया।  
प्रस्ताव क्रमांक 01 एवं 02 सर्वसहमति से पारित किए गए।

3. तालाब से संधारण हेतु रु.1.00 लाख की सहमति का प्रस्ताव

प्राचार्य एवं सचिव  
जनभागीदारी समिति  
शा. माधव विज्ञान महाविद्यालय, उज्जैन

डॉ. मोहन यादव  
अध्यक्ष जनभागीदारी समिति  
शा. माधव विज्ञान महाविद्यालय, उज्जैन

रायल्य, प्राचार्य शा. माधव विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय उज्जैन(म.प्र)  
नेक द्वारा ए.ग्रेड प्रदत्त एवं डी.एस.टी.-एफ.आई.एस.टी. महाविद्यालय  
फोन/फैक्स : 0734 -2511803 / 0734252236 ईमेल:prinmvm@yahoo.co.in महाविद्यालय  
कोड -1812

जनभावीदादी समिति की बैठक दिनांक 29.08.2019

दिनांक 29.08.2019 को महाविद्यालय की सामान्य परिषद की एक आवश्यक बैठक श्री ऋषभ गुप्ता  
अपर कलेक्टर

उज्जैन की अध्यक्षता मे सम्पन्न होने जा रही है। जिसमे चर्चा हेतु कार्यबिन्दु निम्नानुसार है।

1 दिनांक 19.09.2018 की कार्यविवरण की पुष्टि

### कार्यविवरण की पुष्टि

#### प्रस्ताव पारित

2 स्ववित्तीय विषयों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार बजट की स्वीकृति का प्रस्ताव

1. महाविद्यालय की सम्बद्धता शुल्क हेतु रु. 450000/- बजट का प्रस्ताव

2.1 महाविद्यालय में 27 अतिथि विद्वानों एवं अतिथि ई - लाइब्रेरियन के मानदेय हेतु अनुमानित व्यय 68,00000/- बजट का प्रस्ताव

2.2 महाविद्यालय में 08 लेब तकनीशियन एवं लाईब्रेरी कम्प्यूटर सहायक के मानदेय हेतु अनुमानित व्यय 11,50,000/- बजट का प्रस्ताव

2.3 महाविद्यालय में 18 लेब अटेंडेन्ट साईकिल स्टेण्ड कर्मचारी/गार्ड के मानदेय हेतु अनुमानित व्यय 1600000/- बजट का प्रस्ताव

2.4 महाविद्यालय में विषय विशेषज्ञ हेतु अनुमानित व्यय 2,00000/- बजट का प्रस्ताव

2.5 अतिथि विद्वान का मानदेय में रु. 1000/- की वृद्धि का प्रस्ताव

2.6 प्रयोगशाला तकनीशियन का मानदेय रु. 500/- वृद्धि का प्रस्ताव

2.7 स्ववित्तीय पाठ्यक्रम मे मासिक मानदेय 29 दिवस दी जाने वाली तथा एक दिवसीय कार्य मुक्त करने की शासन विपरीत प्रक्रिया का समाप्त करने बाबत पत्र संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा को भेजा जा चुका है।

3.1 अंडर ग्रेजुएट एण्ड पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च प्रोग्राम एवं पीएच.डी प्रोग्राम हेतु विद्यार्थियों को विश्लेषणात्मक व्यय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु रु. 500000/- के व्यय का प्रस्ताव

3.2 अकादमिक नवाचार के अन्तर्गत सांइस थू आर्ट एण्ड आर्ट फॉर सांइस वर्कशाप (वैज्ञानिकों के जीवन पर आधारित नाटक, विभिन्न वैज्ञानिक विचारों का नवाचारी मंचन/विज्ञान प्रदर्शनी अंधविश्वास एवं कुरीतियों के निर्मलन हेतु चेतना प्रचार प्रसार) हेतु रु. 250000/- बजट का प्रस्ताव

3.3 महाविद्यालय में स्ववित्तीय पाठ्यक्रम के लिए रेमेडीयल क्लास हेतु रु 200000 बजट का प्रस्ताव

3.4 महाविद्यालय मे स्ववित्तीय विषयों की पुस्तके क्रय करने हेतु अनुमानित व्यय 5,00,000/- बजट प्रस्ताव

3.5 महाविद्यालय मे उपकरण क्रय करने हेतु अनुमानित व्यय 5,00000/- बजट का प्रस्ताव

3.6 महाविद्यालय मे ग्लासवेयर क्रय एवं केमिकल क्रय करने हेतु अनुमानित व्यय 6,00000/- बजट का प्रस्ताव

3.7 महाविद्यालय मे लेब मेन्टेनेंस हेतु 200000/- बजट का प्रस्ताव

3.8 Prizes Awards and Free ship SWAYAM हेतु रु. 200000/- बजट का प्रस्ताव

3.9 प्रज्ञा के प्रकाशन हेतु 250000/- का बजट का प्रस्ताव।

3.10 Laboratory Expenses on Conventional Subject हेतु 900000/- बजट का प्रस्ताव।

3.11 महाविद्यालय मे अन्य कार्य Miscellaneous, हेतु रु. 50,000/- बजट का प्रस्ताव

## करियर एवं काउंसलिंग गतिविधियों

- 4.1 कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों यथा 1.कम्प्यूटर प्रशिक्षण 2.उदयमिता प्रशिक्षण, एवं अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम
- 4.2 प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु करियर कॉउंसलिंग सेल के अंतर्गत बजट स्वीकृति हेतु
- 4.3 महाविद्यालय में व्यक्तित्व विकास /कम्पूनिकेशन स्किल/ एवं अन्य समान महत्वपूर्ण कार्यक्रमों
- 4.4 Earn while you learn कार्यक्रम,
- 4.5 महाविद्यालय में बिजनेस इनक्यूबेशन सेन्टर
- 4.6 साथी हाथ बढ़ाना पूर्व विद्यार्थियों द्वारा शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम रु. 500/- प्रति व्याख्यान हेतु सम्पूर्ण गतिविधियों का कुल व्यय रु. 300000/- बजट का प्रस्ताव

## 5 शासकीय कार्यक्रमों में सहभागिता हेतु प्रस्ताव

- 5.1 स्वच्छ भारत अभियान
- 5.2 स्मार्ट सिटी योजना
- 5.3 योग दिवस, महिला दिवस, विज्ञान दिवस, सूर्यनमस्कार, आदि के आयोजन
- 5.4 महाविद्यालय में भारतीय संस्कृति के शिक्षण एवं प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन हेतु समर केम्प आयोजन एंव स्पिक कार्यक्रम एंव वर्ष पर्यन्त समान गतिविधियों के संचालन एवं स्वतंत्रता दिवस / गणतंत्र दिवस /युवा उत्सव/वार्षिकोत्सव आदि आयोजन हेतु सम्पूर्ण गतिविधियों हेतु सम्पूर्ण गतिविधियों का कुल व्यय रु. 300000/- बजट का प्रस्ताव

## 6. प्रशासनिक प्रस्ताव

### 6.1 छवि निर्माण

- Vision Mission on Wall, Publication of brochure, Branding and Advertisement
- Wall Painting Periodic table (IYPT), College Documentary

6.2 वर्ष पर्यन्त कार्यालय कार्य हेतु दो कम्प्यूटर, प्रिंटर, स्टेशनरी, परिचय पत्र, फोटोकॉपी पर व्यय हेतु प्रस्ताव

6.3 महाविद्यालय में उत्कृष्टता पुरस्कार तथा राज्य स्तरीय/राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं एन.सी.सी./एन.एस.एस राज्य स्तरीय/राष्ट्रीय स्तरीय गतिविधियों में भाग लेने वाले विजेताओं को पुरस्कृत एवं प्रोत्साहित करने हेतु प्रस्ताव

6.4 कार्य की अधिक होने पर महाविद्यालय के विद्यार्थियों से ही कम्प्यूटर संबंधित कार्य एवं अन्य कार्य करवाने की अनुमति प्रदान करें तथा इसमें छात्रों को कलेक्टर दर से भुगतान हेतु प्रस्ताव

6.5 फायर ऑडिट एवं ग्रीन ऑडिट हेतु सम्पूर्ण गतिविधियों का कुल व्यय रु. 800000/- बजट का प्रस्ताव

## विकास संबंधित प्रस्ताव

- 7.1 महाविद्यालय मे कॉन्फ्रेन्स हॉल के लिए एक एसी, 30 कुर्सी एक मोटराइज्ड स्कीन,एल.सी.डी प्रोजेक्टर एवं ऑडीयो सिस्टम,इनफोरमेशन कियोस्क के लिए प्रस्ताव
  - 7.2 महाविद्यालय भवन संधारण एवं प्रयोगशाला उपकरणों के मेन्टेनेंस हेतु प्रस्ताव
  - 7.3 महाविद्यालय विकास हेतु निम्न योजनाओं हेतु प्रस्ताव
    - रेन वॉटर हार्वेस्टींग एवं रूफ वॉटर हार्वेस्टींग
    - तालाब एवं वाटिका उन्नयन,परिसर सौदर्यकरण
    - महाविद्यालय भवन अनुरक्षण,रंगरोगन, एवं स्वच्छता
    - इलेक्ट्रिसिटी एवं वाटर सप्लाय मेंटेनेंस
    - पेवर ब्लाक, रोड मेंटेनेंस एवं पार्किंग
- सम्पूर्ण गतिविधियों का कुल व्यय रु. 1600000/- बजट का प्रस्ताव
8. सत्र 2020 – 21 मे NAAC मूल्यांकन कार्य कराया जाना हैं जिसकी गतिविधियों 6 माह पूर्व प्रारंभ करनी होती है। इस हेतु कई आवश्यकतानुसार कार्य करवाने हेतु 500000/-बजट का प्रस्ताव
  9. महाविद्यालय में फर्नीचर क्य करने हेतु अनुमानित व्यय 2,00000/- बजट का प्रस्ताव
  - 10 स्वर्ण जंयती समारोह आयोजन हेतु राशि रु. 30,00,00/- बजट का प्रस्ताव
  11. महाविद्यालय में सड़क मार्ग हेतु रु. 500000/- बजट का प्रस्ताव – जिला सांख्यिकी एवं योजना कार्यालय से 50 प्रतिशत अनुदान प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जाएगा।
  12. अन्य प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय की अनुमति से



डॉ. अर्पण भारद्वाज

प्राचार्य

शा. माधव विज्ञान महाविद्यालय उज्जैन

फोन/फैक्स : 0734 –2511803 / 0734252236 ईमेल:prinmvm@yahoo.co.in महाविद्यालय कोड –1812  
 दिनांक 29.06.20 को महाविद्यालय की सामान्य परिषद की एक आवश्यक बैठक श्री आशीष सिंह कलेक्टर उज्जैन एवं अध्यक्ष जनभागीदारी समिति की  
 अध्यक्षता में सम्पन्न होने जा रही है। जिसमें चर्चा हेतु कार्य  
 बिन्दु निम्नानुसार है।

स.क्र	कार्यविवरण	पारित/अपारित/ संशोधित	रिमार्क
	दिनांक18.03.2020 की कार्यविवरण की पुष्टि	कार्यविवरण की पुष्टि की गई	
1	नैक संबंधी कार्य हेतु तकनीकी टीम हेतु चार कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं एक प्रयो. तकनि यिन (नैक निरीक्षण तक) हेतु प्रस्ताव अनुमानित लागत रु. 03 लाख।	पारित	
2	महाविद्यालय में अन्य स्नातकोत्तर विषय Physics, Statistic,Computer Science प्रारंभ करने का प्रस्ताव	पारित	
3	महाविद्यालय में चार स्मार्ट क्लास रुम (02 फार्म रसायन हेतु) बनवाने हेतु प्रस्ताव अनुमानित लागत रु. 10 लाख।	पारित	
4	महाविद्यालय 20 कम्प्यूटर एवं 10 प्रोजेक्टर हेतु प्रस्ताव अनुमानित लागत रु. 15 लाख। महाविद्यालय परिसर को वाय फाय कनेक्शन हेतु प्रस्ताव अनुमानित लागत रु. 03 लाख।	पारित	
5	महाविद्यालय की उत्कृष्ट वेवसाईट हेतु राशि रु. 50,000/-हेतु प्रस्ताव। वेब प्लेटफर्म ऑनलाईन बेबीनार एवं ऑनलाईन ऐक्सामिनेशन शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन हेतु राशि रु. 20,000/- प्रतिमाहके हिसाब से 8 माह के लिए कुल राशि रु. 1,60,000/- हेतु प्रस्ताव।	पारित	
6	लाइसेंस सॉफ्टवेयर इफोग्राफिक, पिलप पुस्तकें आदि के लिए राशि रु. 30,000/- हेतु प्रस्ताव।	पारित	
7	वेबीनार विशेषज्ञ हेतु 1,50,000/- वार्षिक हेतु प्रस्ताव।	पारित	
8	आई.क्यू.ए.सी. स्पेस रखरखाव, फर्नीचर आदि और उन्नयन हेतु राशि रु. 1,50,000/- हेतु प्रस्ताव।	पारित	
9	कन्या छात्रावास रु. 25.00 लाख, की स्वीकृति के अतिरिक्त 25.00 लाख की राशि उपलब्ध कराए जाने की अनुमति के विषय में यह निर्णय लिया गया कि उ.वि.प्रा. को Non- Plan राशि में से महाविद्यालय को रु. 25.00 लाख उपलब्ध कराने के लिए कहा जाएगा अथवा यह राशि जनभागीदारी अध्यक्ष अन्य किसी मद से उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेंगे अन्यथा महा.की जनभागीदारी निधि से राशि उपलब्ध कराई जाएगी।	पारित	
10	महाविद्यालय में आचार्य श्रीनिवासलु पीठ की स्थापना एवं रसायन पुस्तकालय का नाम श्रीनिवासलु के नाम पर रखने का प्रस्ताव।	पारित	

11	ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली विकासित करने के लिये आवश्यक सुविधा हेतु प्रस्ताव।	प्रस्ताव पारित
12	महाविद्यालय के अंदर आंतरिक सड़क निर्माणहेतु प्रस्ताव अनुमानित लागत रु. 20 लाख।	प्रस्ताव पारित
13	महाविद्यालय परिसर की सफ-सफाई, सच्चिता एवं परिसर सौंदर्यकरण हेतु प्रस्ताव अनुमानित लागत प्रतिमाह रु. 20 हजार के हिसाब से रु. 2.40 लाख।	प्रस्ताव पारित
14	महाविद्यालय परिसर में लाईट व्यवस्था हेतु उचित व्यवस्था हेतु प्रस्ताव अनुमानित लागत रु. 40 हजार।	प्रस्ताव पारित
15	महाविद्यालय कक्षों में छत के 50 पंखे लगाने हेतु प्रस्ताव अनुमानित लागत रु. 40 हजार।	प्रस्ताव पारित
16	महाविद्यालय परिसर में विद्युत ड्रान्सफॉर्मर लगाने हेतु प्रस्ताव अनुमानित लागत रु. 01 लाख।	प्रस्ताव पारित
17	महाविद्यालय में योजना सांख्यिकी से बनी कम्प्यूटर विज्ञान प्रयोगशाला अधुरी है इसकी पूर्ता हेतु राशि जारी करने की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव।	प्रस्ताव पारित
18	महाविद्यालय भवन की पुताई के लिए अनुमानित लागत रु. 10 लाख।	प्रस्ताव पारित

(डॉ. अपन भारद्वाज)  
माचार्य एवं सचिव जनभागीदारीसमिति

श्री आशीष सिंह  
कलेक्टर एवं अध्यक्ष जनभागीदारी समिति

फोन/फैक्स : 0734 –2511803 / 0734252236 ईमेल:prinmvm@yahoo.co.in महाविद्यालय कोड –1812  
 दिनांक 29.06.20 को महाविद्यालय की सामान्य परिषद की एक आवश्यक बैठक श्री आशीष सिंह कलेक्टर उज्जैन एवं अध्यक्ष जनभागीदारी समिति की  
 अध्यक्षता में सम्पन्न होने जा रही है। जिसमें चर्चा हेतु कार्य  
 बिन्दु निम्नानुसार है।

स.क्र	कार्यविवरण	पारित/अपारित/ संशोधित	रिमार्क
	दिनांक18.03.2020 की कार्यविवरण की पुष्टि	कार्यविवरण की पुष्टि की गई	
1	नैक संबंधी कार्य हेतु तकनीकी टीम हेतु चार कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं एक प्रयो. तकनि यिन (नैक निरीक्षण तक) हेतु प्रस्ताव अनुमानित लागत रु. 03 लाख।	पारित	
2	महाविद्यालय में अन्य स्नातकोत्तर विषय Physics, Statistic,Computer Science प्रारंभ करने का प्रस्ताव	पारित	
3	महाविद्यालय में चार स्मार्ट क्लास रुम (02 फार्म रसायन हेतु) बनवाने हेतु प्रस्ताव अनुमानित लागत रु. 10 लाख।	पारित	
4	महाविद्यालय 20 कम्प्यूटर एवं 10 प्रोजेक्टर हेतु प्रस्ताव अनुमानित लागत रु. 15 लाख। महाविद्यालय परिसर को वाय फाय कनेक्शन हेतु प्रस्ताव अनुमानित लागत रु. 03 लाख।	पारित	
5	महाविद्यालय की उत्कृष्ट वेवसाईट हेतु राशि रु. 50,000/-हेतु प्रस्ताव। वेब प्लेटफर्म ऑनलाईन बेबीनार एवं ऑनलाईन ऐक्सामिनेशन ऐक्सामिनेशनों के संचालन हेतु राशि रु. 20,000/- प्रतिमाहके हिसाब से 8 माह के लिए कुल राशि रु. 1,60,000/- हेतु प्रस्ताव।	पारित	
6	लाइसेंस सॉफ्टवेयर इफोग्राफिक, पिलप पुस्तकें आदि के लिए राशि रु. 30,000/- हेतु प्रस्ताव।	पारित	
7	वेबीनार विशेषज्ञ हेतु 1,50,000/- वार्षिक हेतु प्रस्ताव।	पारित	
8	आई.क्यू.ए.सी. स्पेस रखरखाव, फर्नीचर आदि और उन्नयन हेतु राशि रु. 1,50,000/- हेतु प्रस्ताव।	पारित	
9	कन्या छात्रावास रु. 25.00 लाख, की स्वीकृति के अतिरिक्त 25.00 लाख की राशि उपलब्ध कराए जाने की अनुमति के विषय में यह निर्णय लिया गया कि उ.वि.प्रा. को Non- Plan राशि में से महाविद्यालय को रु. 25.00 लाख उपलब्ध कराने के लिए कहा जाएगा अथवा यह राशि जनभागीदारी अध्यक्ष अन्य किसी मद से उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेंगे अन्यथा महा.की जनभागीदारी निधि से राशि उपलब्ध कराई जाएगी।	पारित	
10	महाविद्यालय में आचार्य श्रीनिवासलु पीठ की स्थापना एवं रसायन पुस्तकालय का नाम श्रीनिवासलु के नाम पर रखने का प्रस्ताव।	पारित	

11	ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली विकासित करने के लिये आवश्यक सुविधा हेतु प्रस्ताव।	प्रस्ताव पारित
12	महाविद्यालय के अंदर आंतरिक सड़क निर्माणहेतु प्रस्ताव अनुमानित लागत रु. 20 लाख।	प्रस्ताव पारित
13	महाविद्यालय परिसर की सफ-सफाई, सच्चिता एवं परिसर सौंदर्यकरण हेतु प्रस्ताव अनुमानित लागत प्रतिमाह रु. 20 हजार के हिसाब से रु. 2.40 लाख।	प्रस्ताव पारित
14	महाविद्यालय परिसर में लाईट व्यवस्था हेतु उचित व्यवस्था हेतु प्रस्ताव अनुमानित लागत रु. 40 हजार।	प्रस्ताव पारित
15	महाविद्यालय कक्षों में छत के 50 पंखे लगाने हेतु प्रस्ताव अनुमानित लागत रु. 40 हजार।	प्रस्ताव पारित
16	महाविद्यालय परिसर में विद्युत ड्रान्सफॉर्मर लगाने हेतु प्रस्ताव अनुमानित लागत रु. 01 लाख।	प्रस्ताव पारित
17	महाविद्यालय में योजना सांख्यिकी से बनी कम्प्यूटर विज्ञान प्रयोगशाला अधुरी है इसकी पूर्ता हेतु राशि जारी करने की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव।	प्रस्ताव पारित
18	महाविद्यालय भवन की पुताई के लिए अनुमानित लागत रु. 10 लाख।	प्रस्ताव पारित

(डॉ. अपन भारद्वाज)  
माचार्य एवं सचिव जनभागीदारीसमिति

श्री आशीष सिंह  
कलेक्टर एवं अध्यक्ष जनभागीदारी समिति

**कायलिय प्राचार्य शा. माधव विज्ञान स्कूलकोतर महाविद्यालय उज्जैन(मप्र)**

नेक द्वारा इ. प्रेड प्रदत्त एवं डी. ई.स.टी.-एफ.आई.एस.टी. महाविद्यालय

फोन / फैक्स : 0734 -2511803 / 0734252236 ईमेल: printmvm@yahoo.co.in महाविद्यालय कोड -1812

दिनांक 20/01/2021 को महाविद्यालय की सामान्य परिषद की एक आवश्यक बैठक श्री आशीष सिंह कलेक्टर उज्जैन की अध्यक्षता मे सम्पन्न होने जा रही है। जिसमे चर्चा हेतु कार्य बिन्दु निमानुसार है।

संक्र.	कार्य विवरण	दिनांक 29.06.2020 की कार्यविवरण की पुष्टि	परित / अपारित / संशोधित	रिमार्क
	अकादमिक उन्नयन	कार्य विवरण की पुष्टि की गई		
	एनजी स्वराज संस्थान की कार्यशाला महाविद्यालय मे ख्यापित करने हेतु राशि की स्थीरकृति रु. 2,50,000/- मात्र का प्रस्ताव विभिन्न विषयों की पुस्तकें / सदर्म ग्रथ करने हेतु राशि की स्थीरकृति 4,00,000/- मात्र	प्रस्ताव पारित	प्रस्ताव पारित	
	डिजीटल resources CD/DVD 1,00,000/-, software 1,00,000/- स्वारितीय रेमेडियल कक्षाओं हेतु राशि की स्थीरकृति रु. 2,50,000/- -मात्र का प्रस्ताव	प्रस्ताव पारित	प्रस्ताव पारित	प्रस्ताव पारित
	फार्म रसायन द्वारा कृषि आधारित एथी लेब /Bee Keeping की स्थापना 3,00,000/- -मात्र	प्रस्ताव पारित	प्रस्ताव पारित	प्रस्ताव पारित
	विज्ञान आधारित परियोजनाएं (1,75,000/-) यथा महाविद्यालय मे विज्ञान म्हूजियन की स्थापना अनुमानित व्यय 1,00,000/- - मात्र (महाविद्यालय मे उपलब्ध संसाधनों के उपयोग से) सौर परिवार एवं सौर ग्रह आधारित आकाशगंगा / मॉडल की स्थापना 25,000/- -मात्र पुर्णीबायोटिक टाइम लाइन 25,000/- -मात्र	प्रस्ताव पारित	प्रस्ताव पारित	प्रस्ताव पारित
	Green House effect/ozone layer depletion संबंधित मॉडल्स की स्थापना 25,000/- -मात्र		प्रस्ताव पारित	प्रस्ताव पारित
	English Language lab हेतु आवश्यकतानुसार विशेषज्ञ आमंत्रण की अनुमति		प्रस्ताव पारित	



## प्रशासनिक

लीज लाइन / नेट / टेलीफोन कनेक्शन हेतु राशि की स्वीकृति रु. 6,00,000 / – मात्र का प्रस्ताव	प्रस्ताव पारित
घटनोत्तर स्वीकृति विश्व बैंक परियोजना अंतर्गत व्यय की गई राशि की स्वीकृति रु. 2,84,100 /-मात्र का प्रस्ताव ऐमेडियल कक्षाओं 1,50,000/-, सेनिटाइजेशन मशीन 23,600/-, Academic excellence 95,500/-, Pad incinerator machine 15,000/- का प्रस्ताव	प्रस्ताव पारित
महाविद्यालय में देनिम्बनीय/कार्यों हेतु आवश्यकतानुसार कुशल, अद्विकृत एवं अकुशल दर पर जनभागीदारी समिति द्वारा ही व्यवस्था दिये जाने विषयक (कलेक्टर द्वारा घोषित दर पर )	प्रस्ताव पारित
NAAC की तैयारियों हेतु राशि की आवश्यकता— 3,00,000/- मात्र	प्रस्ताव पारित
NAAC signage, Nameplates, indicators हेतु राशि की स्वीकृति Rs. 1,00,000/-	प्रस्ताव पारित
अतिथि व्याख्यान/वेबीनार/online events हेतु राशि की स्वीकृति 50,000 / –मात्र	प्रस्ताव पारित
Management information system (server machine HP) 1,90,000/-	प्रस्ताव पारित
NAAC शुल्क Rs. 4,00,000/-	प्रस्ताव पारित
Solid Waste management Plant लापित करने की स्वीकृति राशि Rs. 3,00,000/-	प्रस्ताव पारित
कार्यालयीन अध्यासरचना विकास 3,00,000/-	प्रस्ताव पारित
महाविद्यालय में Wellness Campus की स्थापना	प्रस्ताव पारित
महाविद्यालय में जनभागीदारी योजनान्तर्गत प्रयोगशाला तकनीशियनों का मानदेय समान करने विषयक	प्रस्ताव पारित
जनभागीदारी द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के आनंदित स्टॉफ का वेतन आदि भुगतान की स्वीकृति	प्रस्ताव पारित



## विभिन्न विभागों के प्रस्ताव

		प्रस्ताव पारित
1	रसायन विभाग - 11,06,000/- नवीन स्नातकोत्तर कार्बनिक एवं अकर्बनिक रसायन प्रयोगशाला में L.P.G. पाईपलाईन फिटिंग का कार्य करवाया जाना है। औतिक, कार्बनिक एवं अकर्बनिक रसायन प्रयोगशाला में स्टूडेन्ट रेस्स बनवाया जाना है। स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए ग्लास देऊर क्रय करना एवं रसायन भण्डार में रखी लकड़ीयों की अलमारियों को रिपेअरिंग, काच लगावाना एवं कलर करवाना एवं वेटीलेशन पर काच लगावाना एवं कलर करवाना है। कक्ष क्र. 17 में प्रोजेक्टर का इस्टालेशन किया जाना है। केमिकल फ्यूस हूड (1 नग) प्रयोगशाला हेतु।	प्रस्ताव पारित
2	भौतकशास्त्र विभाग (PG) - 5,00,000/- प्रायोगिक उपकरण एम.एससी प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष के लिए प्रायोगिक उपकरण खरीदने हेतु। Text Book तथा फ़िलेस बुक खरीदने हेतु। कम्प्यूटर सिस्टम, प्रिंटर फोटोकापी मशीन। भौतकशास्त्र विभाग Conventional 1,00,000	प्रस्ताव पारित
3	भाषा- इनिश 20,000/-	प्रस्ताव पारित
4	वायोइंफोमेटिक्स विभाग - 10,00,000/- (कम्प्यूटर एवं AC)	प्रस्ताव पारित
5	BCA Department - 8,25,000/- (कम्प्यूटर एवं प्रोजेक्टर)	प्रस्ताव पारित
6	Computer Science - 12,17,000/- (कम्प्यूटर, प्रोजेक्टर एवं अच्य)	प्रस्ताव पारित
7	(बिन्दु क्र. 6, 7 एवं 8 को मिलाकर कुल 15,00,000/- मात्र के कम्प्यूटर क्रय करने की स्वीकृति)	प्रस्ताव पारित
8	→ 6 लैटटोटर लैटटोटर → 21,000/- (21,000/- 10.00 लैटटोटर)	प्रस्ताव पारित
9	Sports facilities Creation - Basket Ball, Cricket, Volley ball. ( 21,000/- , 30 प्ररुप )	प्रस्ताव पारित



डॉ. अपन आधार पर  
प्राचर्य एवं सचिव उन्नतानन्दार्थ कामकाज  
प्राचर्य एवं सचिव उन्नतानन्दार्थ कामकाज

श्री आशीष सिंह

कलेक्टर एवं अध्यक्ष जनसभानिदारी समिति